महानगर नई दिल्ली मंगलवार 24 मार्च, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कोरोना संक्रमण से हिमाचल व पश्चिम बंगाल में पहली मौत

पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू का एलान

जनसत्ता टीम/एजंसी
नई दिल्ली/कोलकाता/धर्मशाला/चंडीगढ़, 23 मार्च।

देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्ण बंदी की घोषणा के बाद कोरोना संक्रमण से सोमवार को पश्चिम बंगाल के एक और हिमाचल प्रदेश के एक मरीज की मौत हो गई। दोनों राज्यों में मौत के ये पहले मामले हैं। पूर्ण बंदी के बावजूद देश के कई राज्यों में लोगों के द्वारा पाबंदियों का पालन नहीं किए जाने के कारण प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। इसके तहत पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया। देश के 20 राज्यों में पूर्ण बंदी की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से और सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में भी पूर्ण बंदी लागू की गई है।

अमेरिका से धर्मशाला लौटे तिब्बती मूल के संक्रमित शख्स की सोमवार को टांडा अस्पताल में मौत हो गई। इसकी पुष्टि हिमाचल के अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने की है। उन्होंने बताया कि तिब्बती मूल के एक व्यक्ति तेंजिन छोड़ेन (69) की सोमवार को टांडा अस्पताल में मौत हो गई। 15 मार्च को वह अमेरिका से दिल्ली लौटा था। उसके बाद 21 मार्च को ही वह दिल्ली से टैक्सी में मैक्लोडगंज पहुंचा और घर पर ही अलग-थलग किया गया था। सोमवार सुबह 23 मार्च को उसे सांस लेने में तकलीफ के चलते कांगड़ा के निजी अस्पताल **बाकी पेज 8 पर**

कई हिस्सों में कर्फ्यू, मोदी ने कहा पूर्ण बंदी का पालन हो

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर की गई पूर्ण बंदी के बावजूद लोगों के घरों से बाहर निकलने और पाबंदियां नहीं मानने के कारण देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया। इससे पहले पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी यह कदम उठाया गया।

सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई थी कि लोग पूर्ण बंदी का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे। इसके बाद अधिकारियों ने नई दिल्ली में हालात की समीक्षा करने के बाद छह **बाकी पेज 8 पर**

पूर्ण बंदी को अब भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ट्वीट)

360 मामले थे भारत में रविवार को कोरोना से संक्रमण के।

468 मामले हो गए इस बीमारी से संक्रमण के सोमवार को।

3,50 हजार मामले संक्रमण के हो गए दुनिया में सोमवार को।

25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 25 मार्च से देश में किसी भी घरेलू यात्री विमान को परिचालन की अनुमति नहीं होगी।

तेजी से फैल रहे कोरोना विषाणु संक्रमण को नियंत्रित करने के लिहाज से यह कदम उठाया गया **बाकी पेज 8 पर**

108 नए मामले, नौ की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

देश में कोरोना विषाणु से संक्रमित लोगों की संख्या सोमवार को 468 हो गई है जिनमें 41 विदेशी शामिल हैं। चौबीस घंटे में 108 संक्रमण के मामले बढ़े हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक नौ लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है जिनमें दो महाराष्ट्र के **बाकी पेज 8 पर**

शेयर बाजार में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के कारण कल-कारखानों को एहतियातन बंद करने व राज्यों में आवागमन रोकने से अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने की आशंका में सूचकांक करीब 4,000 अंक टूट गया। यह शेयर बाजार में एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। -खबर पेज 13

पहला दिन : दिल्ली/एनसीआर में बंदी

सीमा पर पुलिस से वाहन चालकों की नोकझोंक, धारा 144 को लेकर बढ़ी सख्ती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली में धारा 144 का पूरी तरह से अनुपालन नहीं होने के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने सोमवार को दिल्ली की सभी सीमाओं को तुरंत प्रभाव से सील करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से लागू की गई पूर्ण बंदी के पहले दिन सोमवार को सड़कों पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सुबह से शाम तक जीवन अस्त-व्यस्त रहा। कुछ लोग अपने घरों से निकले तो दोबारा घर जाने के लिए पुलिस से मिन्नते करते रहे।

दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मयूर विहार फेस एक पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली-नोएडा सीमा पर गाड़ियों के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऑटो नहीं के बराबर दिखे। जरूरत की चीजों के लिए भी लोग कई किलोमीटर तक दौड़ते भागते रहे। थोड़ी-थोड़ी देर पर अवरोधक हटाने के और पहचान पत्र देखने के बाद डॉक्टर, मीडिया और अन्य सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों को इधर से उधर जाने की अनुमति का असर यह हुआ कि यहां लंबा जाम लग गया।

पूर्ण बंदी सख्ती से लागू कराने के लिए राजधानी के उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस मुस्तैदी से जांच करती देखी गई और लोगों को अपने-अपने घरों को लौटने की सलाह भी दी। डॉक्टर, अस्पताल जा रहे मरीज, मीडियाकर्मी और जरूरी सेवाओं में शामिल लोगों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर दुकानें बंद रहीं, लेकिन दूध, किराना, दवाई की दुकानें, पेट्रोल पंप **बाकी पेज 8 पर**

राजधानी के उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस मुस्तैदी से जांच।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटिड की दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में दो तिहाई आउटलेट बंद।

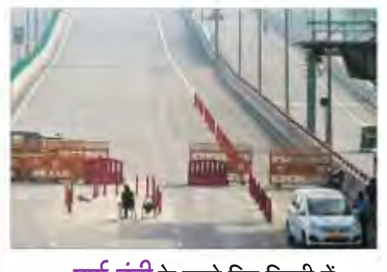

पूर्ण बंदी के पहले दिन दिल्ली में अधिकतर दुकानें बंद
दूध, किराना, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप और एटीएम खुले मिले

अयोध्या में विशेष पूजा के साथ राम मंदिर का काम शुरू

अयोध्या, 23 मार्च (भाषा)।

अयोध्या में विशेष पूजा अर्चना के साथ देव प्रतिमाओं को एक अस्थायी संरचना में स्थानांतरित करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण का काम सोमवार को आरंभ हुआ।

मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रतिमाएं अस्थायी संरचना में रहेंगी। कोरोना विषाणु के खतरे के चलते प्रशासन के जरिए लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। विशेष पूजा मंगलवार को भी जारी रहेगी और प्रतिमाओं को नए ढांचे में बुधवार की सुबह स्थानांतरित किया जाएगा।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों विमलेंद्र मिश्रा और डॉ. अनिल मिश्रा की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना की गई। राम मंदिर न्यास के सचिव चंपत राय ने कहा कि कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए अयोध्या के साधु-संतों को पूजा में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर 24 मार्च तक नजर रखेंगे और तदनुसार आगे की कार्य योजना पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुधवार को प्रस्तावित अयोध्या दौरे के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा कि यह अभी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री पर लोगों की सुरक्षा का दायित्व है। यह 'राजा' का प्रथम कर्तव्य है। जयपुर के कारीगरों के जरिए बनाए गए साढ़े नौ किलो के चांदी के सिंहासन पर 25 मार्च को देव प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी।

मंदिर का निर्माण पूरा होने तक देव प्रतिमाएं अस्थायी संरचना में रहेंगी

कोरोना विषाणु के खतरे के चलते प्रशासन के जरिए लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत हुई

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों विमलेंद्र मिश्रा और डॉ. अनिल मिश्रा की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना की गई।

राम मंदिर न्यास के सचिव चंपत राय ने कहा कि कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए अयोध्या के सा

राय ने कहा कि हम स्थिति पर 24 मार्च तक नजर रखेंगे और तदनुसार आगे की कार्य योजना पर निर्णय लेंगे।

सरकार को मिला आठ रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का अधिकार

पेट्रोल-डीजल पर बढ़ सकता है उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के तेजी से गिरते दाम के बीच सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन किया है और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपए लीटर तक की वृद्धि करने का अधिकार हासिल कर लिया है। अब सरकार आने वाले दिनों में कभी भी पेट्रोल-डीजल पर आठ रुपए के दायरे में उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2020 में संशोधन पेश किया। इसमें इन ईंधनों पर भविष्य में एक सीमा तक विशेष उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। सदन ने विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल पर चार रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति लीटर तक कर सकती है।

सरकार ने इससे पहले 14 मार्च को दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपए प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि से सालाना आधार पर सरकार को 39,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। इस शुल्क वृद्धि में दो रुपए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मद में दो रुपए और सड़क व अवसंरचना उपकर की मद में एक रुपए प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया गया। कुल मिलाकर तीन रुपए **बाकी पेज 8 पर**

इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल पर चार रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए लीटर तक कर सकती है।

बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना संकट से उत्पन्न हालात के कारण संसद का बजट सत्र अपने निर्धारित कार्यक्रम से पहले सोमवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इससे पहले वित्त विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराकर बजट प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया।

संसद का यह सत्र दोनों सदनों की 31 जनवरी को संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और इसे तीन अप्रैल तक चलना था। सत्र की अवधि घटाए जाने के कारण **बाकी पेज 8 पर**

सरकार मुस्तैदी से उठा रही कदम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना विषाणु महामारी से निपटने के लिए केंद्र द्वारा मुस्तैदी से उठाए गए अति सक्रिय कदमों पर सोमवार को संतोष जताया और कहा कि उसके आलोचक भी इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा, 'यह राजनीति नहीं बल्कि हकीकत है।'

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा, 'हम संतुष्ट हैं कि सरकार मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए बहुत सक्रिय हो गई है और उसके आलोचक भी कह **बाकी पेज 8 पर**

वकीलों के कक्ष सील करने के निर्देश

कोरोना विषाणु महामारी के मद्देनजर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत परिसर और इसके आसपास स्थित वकीलों के सारे कक्ष सील करने का सोमवार को निर्णय लिया और कहा कि अत्यावश्यक होने पर सिर्फ एक न्यायालय ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। -खबर पेज 8

शिवराज चौहान फिर बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

भोपाल, 23 मार्च (भाषा)।

भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार रात को एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें शपथ राज्यपाल लालजी टंडन ने दिलाई। इसी के साथ उन्होंने चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रच लिया है। उन्होंने अकेले ही शपथ ली।

मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि सोमवार शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को दल का नेता चुना गया। उन्होंने सोमवार को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

उन्होंने कहा कि केवल मुख्यमंत्री ने ही शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को शपथ नहीं दिलाई गई।

शर्मा ने यहां मीडिया से कहा, कोरोना वायरस के खतरे के कारण तत्काल यह निर्णय लिया गया था कि भाजपा विधायक दल की बैठक बुला कर नेता का चुनाव किया जाए। ताकि वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इस महामारी से **बाकी पेज 8 पर**

दरअसल

कई राष्ट्रों और शहरों में असाधारण बंदी लागू

वैश्विक भय

हांगकांग ने सभी अनिवासियों के लिए अपनी सीमाएं बंद की

एक अरब आबादी को घर में ही रहने की हिदायत

पेरिस/रोम, 23 मार्च (एएफपी)।

दुनियाभर के 50 से ज्यादा देशों में सरकारों ने एक अरब से ज्यादा लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है। सरकारें कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इस दौरान फ्रांस, इटली और अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों ने अनिवार्य रूप से बंदी लागू किया है जबकि ईरान और ब्रिटेन ने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी है।

दुनियाभर में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा 15 हजार पहुंचने के बीच सोमवार को इस महामारी से निपटने के लिए वैश्विक उपायों में तेजी दिखी जब कई और राष्ट्रों और शहरों ने असाधारण बंदी लागू की। जर्मनी में जहां दो से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है तो न्यूजीलैंड ने चार हफ्ते की बंदी की घोषणा की है और हांगकांग ने सभी अनिवासियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। रोकथाम के लिए किए जा रहे इन नए उपायों से इस महामारी को लेकर दुनियाभर में मची अफरा-तफरी को आसानी से समझा जा सकता है।

कोरोना महामारी के बढ़े खतरे के बीच, जुलाई में होने वाले तोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने के आसार भी बढ़ते जा रहे हैं, कनाडा ने घोषणा कर दी है कि वह अपने खिलाड़ियों को जापान नहीं भेजेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह एक साल की देरी के लिए तैयारी कर रहा है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में हजारों आपातकालीन बिस्तर तैयार करने का आदेश दिया है, वहीं इस दौरान अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अरबों डॉलर के राहत पैकेज से जुड़ा प्रस्ताव सीनेट में खारिज हो गया। ट्रंप ने कहा, 'हम युद्ध में हैं, सही मायने में हम युद्ध में हैं।'

यूरोपीय देश लगातार नागरिकों की आवाजाही को कम से कम करने में लगे हुए हैं, इटली, स्पेन और फ्रांस की तर्ज पर ग्रीस ने भी राष्ट्रव्यापी बंदी की घोषणा कर दी। जर्मनी में चांसलर एंजेला मर्केल ने रविवार **बाकी पेज 8 पर**

तीन लाख में से आखिरी **100,000** मामले सिर्फ चार दिन में दुनियाभर में सामने आए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह किया कि कोविड-19 महामारी स्पष्ट तौर पर तेज गति से फैल रही है। हालांकि, संगठन ने कहा कि प्रकोप के इस रूख को बदलना संभव है।

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में हजारों आपातकालीन बिस्तर तैयार करने का आदेश दिया।

www.readwhere.com

सांसदों ने ताली बजा कर सेवाकर्मियों का जताया आभार

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

लोकसभा सदस्यों ने कोरोना संकट से निपटने में योगदान दे रहे लोगों का सोमवार को सदन में ताली बजा कर आभार जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने रविवार को प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू के दौरान पूरे देश में शाम पांच बजे लोगों द्वारा ताली, थाली और घंटी बजा कर आवश्यक सेवाकर्मियों का आभार जताए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, न कोई राजनीति दिखी, न कोई मतभिन्नता, न जाति या पंथ दिखा। जो दिखा वो भारत की आत्मा थी।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्य अपने क्षेत्र में जाएं तो वहां यह प्रयास करें कि सरकारी दिशा-निर्देशों का पूरा पालन हो। बिरला ने सदन से कहा कि यह सभा भी चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों, सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और मीडियाकर्मियों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजाए। इसके बाद सदन के सदस्यों ने अपने स्थानों से खड़े होकर ताली बजाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में मौजूद थे।

लोकसभा में सोमवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्य कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्क पहुंच कर सदन में पहुंचे। भाजपा के जयंत सिन्हा, सत्यपाल सिंह, संगीता सिंह देव और कुछ अन्य सदस्य, कांग्रेस के गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद, बीजू जनता दल के

सम्मान में खड़े हुए लोकसभा के सदस्य-सब एकजुट- प्रधानमंत्री मोदी भी थे सदन में मौजूद

पिनाकी मिश्रा और बसपा के श्याम सिंह यादव सदन में मास्क पहने हुए दिखे। शिवसेना, राकांपा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आईयूएमएल और एआईएमआईएम के सदस्य आज सदन में नहीं दिखे।

सेवाकर्मियों के प्रति आभार जताने के साथ सदन ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को नक्सली हमले में शहीद हुए 17 सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने शहीद दिवस की चर्चा की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान फांसी पर लटकाया गया था।

अध्यक्ष ने सदन को बीते 21 मार्च को छत्तीसगढ के सुकमा में पुलिस दल पर माओवादियों के हमले में 17 जवानों के शहीद होने और 15 जवानों के घायल होने की भी जानकारी दी। सदस्यों ने कुछ पल का मौन रख कर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू तथा सुकमा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

राज्यसभा में भी सभापति एम वेंकैया नायडू ने शहीद दिवस का जिक्र किया। नायडू ने मातृभूमि के लिए तीनों शहीदों की देशभक्ति और उनके सर्वोच्च बलिदान का उल्लेख किया। नायडू ने भी सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 सुरक्षाकर्मियों की मौत होने तथा 15 जवानों के घायल होने का जिक्र किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल सुरक्षाकर्मियों के जल्द स्वाथ्य होने की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता के साथ ही ऐसी घटनाओं का मुकाबला किया जा सकता है।

अभिवादन लोकसभा में सोमवार को ताली बजाकर सेवाकर्मियों का शुक्रिया अदा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी।

पटना में 10 विदेशी धार्मिक उपदेशक सहित 12 हिरासत में

पटना, 23 मार्च (भाषा)।

पटना में एक मस्जिद से पुलिस ने 10 विदेशी धार्मिक उपदेशकों सहित 12 लोगों को हिरासत में लेकर कोरोना संबंधी जांच के लिए सोमवार सुबह एम्स भेजा।जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें किर्गिस्तान से आए 10 धार्मिक उपदेशक और उत्तर प्रदेश निवासी दो रहबर शामिल हैं।

बिहार लौट रहे लोगों को पंचायत या स्कूलों की इमारतों में रखने का निर्देश

लोग उन्हें घरों में रहने देने में संकोच कर रहे हैं

पटना, 23 मार्च (भाषा)।

बिहार सरकार ने अन्य राज्यों से लौट रहे प्रदेशवासियों के रहने की अस्थाई व्यवस्था उनके गांवों में स्थित विद्यालय भवनों में करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर सभी जिलाधिकारियों को कहा कि वे अन्य राज्यों से अपने गांव लौट रहे प्रदेशवासियों के फिलहाल रहने की अस्थाई व्यवस्था उनके गांवों के विद्यालय भवनों में करें। उसमें कहा गया है कि सूचना प्राप्त हुई है कि अन्य राज्यों से लौट रहे लोगों को गांव के लोग तुरंत घरों में रहने देने में संकोच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के रहने की अस्थाई व्यवस्था जिला पदाधिकारी करेंगे। इसके लिए गांव के विद्यालय भवनों या पंचायत भवनों का उपयोग किया जा सकता है।

पटना के मीठापुर बस स्टैंड पहुंचे जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अन्य प्रदेशों से लौट रहे लोगों को सार्वजनिक हित में उनके घरों तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पटना में लॉकडाउन के मद्देनजर बस अड्डे से सभी बसों को अगले दो घंटे के भीतर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। बस अड्डे को खाली करवा कर उसे बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मीठापुर बस अड्डे पहुंचने वाले यात्रियों का नाम, उनके पते, वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, फोन नंबर आदि रजिस्टर में नोट किया जा रहा है। रवि ने बताया कि यात्रियों के बारे में संकलित जानकारी संबंधित जिलों को भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि विशेष ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की पटना और दानापुर रेलवे स्टेशनों पर तथा हवाईअड्डा से बस अड्डे आने वाले यात्रियों की उन स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की जा रही है।

पटना में लॉकडाउन का अनावश्यक रूप से उल्लंघन कर रहे लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा स्वयं सड़क पर मौजूद हैं। उपेंद्र ने कहा कि हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सबक सीखें इसके लिए कोई त्रुटि पाए जाने पर एमवीआइ एक्ट के तहत जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी वे नहीं माने तो ऐसे लोगों के खिलाफ संगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

बिहार सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए 31 मार्च तक के लिए सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडल मुख्यालयों, सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी नगर निकायों के लाकडाउन का रविवार को निर्णय लिया था।

सामूहिक रूप से नमाज अदा न करने की अपील

भागलपुर 23 मार्च। (जनसत्ता)

भागलपुर के जिलाधीश प्रणब कुमार ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि मुसलिम धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक कर सामूहिक तौर पर नमाज अदा न करने की अपील की गई है। खानगाह और मस्जिद से इस बात का एलान करने को उन्हें कहा गया कि वे नमाज अदा करने वालों से अनुरोध करें कि घरों से ही इबादत करे। क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय सावधानी बरतना है। अपने को भीड़ से पृथक कर इससे बचा जा सकता है।

जिलाधीश ने कहा कि पर्व-त्योहार भी बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे। उनका मतलब सामने रामनवमी त्योहार से था। ऐसे आयोजनों को सामूहिक तौर पर मनाने की छूट ऐसे हालात में नहीं दी जा सकती। बैठक हिंदू धर्म के लोगों के साथ भी डीएम ने की है।

उधर, कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में बंदी के आदेश की भागलपुर में धज्जियां उड़ रही है। सार्वजनिक वाहन ऑटो, ई-रिक्शा, माल ढोने वाले वाहन सड़कों पर दौड़ रहे है। लोग भी घरों से निकल सरकार की अपील का मजाक उड़ा रहे है। सब्जी मंडी में भीड़ से संक्रमण फैलने का खतरा है। इस सवाल पर जिलाधीश ने सख्ती बरतने की बात कही है। उनका कहना था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था। इसके बाद बिहार में बंदी करने की सूचना आधिकारिक तौर पर मिली। लोगों तक संदेश सुबह पहुंचा। बाजार तो बंद है। मगर लोग लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे।

इसके लिए प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद एसएसपी आशीष भारती को सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई। जिलाधीश ने साथ ही कहा कि लोग घरों में अपने को कैद कर कोरोना संक्रमण को रोकने में खुद और सरकार की मदद करें।

जिलाधीश ने इस बात पर राहत की सांस ली कि भागलपुर में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी पॉजीटिव रिपोर्ट वाला मरीज नहीं है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में 130 बिस्तर, नौगछिया, कहलगांव और सदर अनुमंडल अस्पताल में 30-30 बिस्तर यानी जिले में 220 बिस्तर वाले मरीजों के वास्ते पृथक वार्ड बनाए गए हैं। चार वाहनों के साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद है। खबर मिलते ही मरीज के उपचार का इंतजाम किया जा रहा है। फिर भी गांवों में इसे फैलने से रोकने के लिए प्रखंड व पंचायतों को साफ-सफाई रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

जिलाधीश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस में इस बात पर बार-बार जोर दिया कि सावधानी-सतर्कता जरूरी है। आवागमन बहुत जरूरी होने पर ही करे। सार्वजनिक वाहन बंद हैं। निजी वाहनों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। इस बात का लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

Kamlesh W/o Prakash chand khatri, R/o. 9/24 South Patel nagar, New Delhi-08 changed my name to JAGRITI KHATRI

0130015406-2

I,Arun Navalagi,R/o-Ward No.5,Jayanagar,Mudhol,Tq:-Mudhol,Distt.Bagalkot,in Karnataka my surname wrongly written Navalgi in my(Army No.15736296N Havaldar) mention Navalagi,have changed my Surname from Navalgi to Navalagi for all future documents. 0040536513-2

I, Navjyoti Singh D/o Lehmbar Singh Nanak Singh W/o Patrick Brillant R/o E/501 Sukun Residency, 1 B/H, New CG Road, Chandkheda, Ahmedabad, Gujarat-382424, that name of mine has been wrongly written as Navjyoti Ronak Sandil in my Marriage Certificate. The actual name of mine is Navjyoti Singh

0070703714-1

I Shahid Mahmood S/o Late Mahmood Ahmad Shamsi R/o 4th Floor Galaxy Health Centre, Plot No. D, Vivek Khand-2 Gomti Nagar Lucknow Pin-226010, U.P. have changed my name to Shahid Mahmood Shamsi for all future purposes.

0060073723-2

I, Laisram Trueman S/o Tezamani Singh R/o 166A, Humayunpur Safdarjung Enclave, Flat No-8, New Delhi-110029 Have changed my name to Trueman Laisram.

0070703712-1

I, Himanshu S/o Sanjeev Kumar R/o MCF-70, Gali No-5B, Bhudatt Colony Ballabgarh Faridabad-121004 Have Changed my Name to Himanshu Bhardwaj.

0070703715-1

I No JC-341579Y,Priy Pravin Kumar (Branch IHQ)MoD (Army),inform that my Wife name & D.OB. is wrongly mentioned in field service Documents as Kumari Neelam(01.01.1974)instead of Neelam Kumari(11.12.1974), Her Actual and correct name &D.O.B. is Neelam Kumari (11.12.1974)as per Aadhaar Card,Pan Card &other Documents. 0040536513-1

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कोरेगांव भीमा न्यायिक आयोग ने मांगा छह महीने का विस्तार

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र में 2018 के कोरेगांव भीमा हिंसा मामले की जांच कर रहे दो सदस्यीय न्यायिक आयोग ने सोमवार को प्रदेश सरकार से छह महीने के कार्यकाल विस्तार का अनुरोध किया क्योंकि उसने कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके कारण लॉकडाउन को देखते हुए अपनी सुनवाई टाल दी है।

आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्यकाल बढ़ाने की बात कही। आयोग के सचिव वीवी पालनितकर के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी और पूर्ण बंद के मद्देनजर आयोग ने अपनी कार्यवाही अगले आदेश तक रोक दी है। ऐसे में आयोग कोई भी रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो आयोग पुलिस, प्रशासन और प्रमुख राजनेताओं समेत 40-50 और गवाहों से पूछताछ का इरादा रखता है। इस उद्देश्य के लिए आयोग को करीब छह और महीने का समय चाहिए होगा।

पुणे में 1 जनवरी, 2018 को कोरेगांव भीमा युद्ध के 200 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कोरेगांव-भीमा और आसपास के इलाकों में हिंसा हुई थी। इन दंगों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने हिंसा की जांच के लिए फरवरी 2018 में दो सदस्यीय आयोग गठित किया था।

आयोग की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जेएन पटेल कर रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक इसके सदस्य हैं। आयोग को तब से चार बार विस्तार मिल चुका है। आयोग को पिछले महीने आठ अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आखिरी बार विस्तार दिया गया था। आयोग ने राकांपा प्रमुख शरद पवार को 18 मार्च को नोटिस जारी कर चार अप्रैल तक उसके समक्ष गवाह के तौर पर पेश होने को कहा था। पवार के अलावा आयोग ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया था।

'नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे'

सुकमा, 23 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 17 जवानों के शहीद होने की घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और राज्य से नक्सलियों को जड़ से उखाड़कर फेंका जाएगा।

सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद संवाददाताओं से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मिनपा गांव के जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। हमारे जवान बहादुरी से लड़े हैं। मुझे उन पर गर्व है। बघेल ने कहा कि जवानों ने लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घायल जवानों से उन्हें जानकारी मिली है कि मुठभेड़ के दौरान कई नक्सली भी लगातार गिरते रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जवानों के परिवार के साथ खड़ी है। वह हर परिस्थिति में उनका सहयोग करेगी।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक यह समस्या खत्म नहीं हो जाती है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम नक्सलियों को जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि डीआरजी, एसटीएफ और अर्द्धसैन्य बल नक्सलियों का मुकाबला करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की रणनीति में कोई कमी नहीं है और न ही सूचना तंत्र में कोई चूक हुई है। नक्सली गतिविधि की सूचना के बाद सुरक्षा बलों के जवानों को रवाना किया गया था। नक्सली पहाड़ में थे और सुरक्षा बल के जवान मैदान में थे। यदि जवान पहाड़ में होते, तब नक्सलियों को ज्यादा नुकसान होता।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के मिनपा गांव के करीब नक्सलियों ने शनिवार को सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया था। इस हमले में 15 जवान घायल हो गए थे और 17 जवान लापता हो गए थे। रविवार को लापता जवानों के शव बरामद किए गए। शहीद जवानों में 12 डीआरजी के जवान शामिल हैं। यह पहली बार है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डीआरजी के जवानों पर बड़ा हमला हुआ है। डीआरजी के ज्यादातर जवान बस्तर क्षेत्र से हैं और इनमें कई आत्मसमर्पित नक्सली हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच अन्य शहीद जवानों में एसटीएफ के प्लाटून कमांडर गीतराम राठिया और सहायक प्लाटून कमांडर नारद निषाद शामिल हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः भगीरथ पैलेस, दिल्ली-110006

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भगीरथ पैलेस, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/04/2019** जारी की थी, **दिनांक 29.05.2019 को पावती**, जिसके द्वारा **कर्जदारों :- (1) मैसर्स ज्वाला (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (2) निदेशक- श्रीमती शालिनी अग्रवाल पत्नी अखिलेश अग्रवाल मैसर्स ज्वाला इंडिया प्रा. लि. के निदेशक एवं गारंटर**, जे-1, हंस अपार्टमेन्ट, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 **(3) श्री मनोज कुमार अग्रवाल, मैसर्स ज्वाला इंडिया प्रा. लि. के निदेशक एवं गारंटर, मृतक के बाद से अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से :- (क) श्रीमती गिरजा अग्रवाल पत्नी स्व0 मनोज कुमार अग्रवाल,** फ्लैट नं.पी-6, तीसरा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली-110032 **(ख) श्रीमती हर्षिका अग्रवाल पुत्री स्व0 मनोज कुमार अग्रवाल,** फ्लैट नं.पी-6, तीसरा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली-110032 **(ग) श्रीमती मंजुला अग्रवाल पुत्री स्व0 मनोज कुमार अग्रवाल,** फ्लैट नं.पी-6, तीसरा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली-110032 **(घ) मास्टर मानव अग्रवाल अपनी माँ और प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से श्रीमती गिरजा अग्रवाल, पत्नी स्व0 मनोज कुमार अग्रवाल,** फ्लैट नं.पी-6, तीसरा तल, हंस अपार्टमेन्ट, शाहदरा, दिल्ली-110032 को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.1,19,37,801/-** (एक करोड़ उन्नीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ एक रूपये मात्र) **30.04.2019 को देय उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 18 मार्च, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.1,26,37,185/-** (एक करोड़ छब्बीस लाख सैंतीस हजार एक सौ पिचासी रूपये मात्र) **25.09.2019 को देय एवं आगे कोई भी ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भगीरथ पैलेस, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री एन. के. अग्रवाल के नाम में जमीन, तीसरा तल ब्लॉक पी, प्लॉट नं. 6 पर आवासीय फ्लैट नं.6, हंस अपार्टमेन्ट में रोड़ नं.57, हंस भवन फ्रेन्ड्स सी.जी.एच.एस. लि, सीबीडी शाहदरा, दिल्ली के साम्यिक बंधक जमीन के सभी भाग एवं हिस्से **जो निम्नानुसार घिरा है:-**

उत्तर: अन्य की सम्पत्ति — **दक्षिण:** फ्लैट नं. पी-5
पूर्व: 45 फीट चौड़ी सडक — **पश्चिम:** खुली जगह / सीढ़ी

स्थानः दिल्ली
तिथिः 18.03.2020

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

तेलंगाना में कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले मिले

हैदराबाद, 23 मार्च (भाषा)।

तेलंगाना में कोरोना वायरस के तीन नए मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है।

कोरोना वायरस पर जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार इन तीन लोगों में से एक व्यक्ति फ्रांस और एक लंदन की यात्रा कर चुका है। तीसरा व्यक्ति करीमनगर का निवासी है जो कोरोना से संक्रमित पाए गए इंडोनेशिया के 10 लोगों के समूह के संपर्क में आया था। इंडोनेशियाई यात्रियों का समूह दिल्ली में एक ट्रेन में यात्रा करने के बाद दो दिन करीमनगर में ठहरा था। राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सोमवार से बंदी शुरू हो गया है, जो 31 मार्च तक चलेगा।

गुजरात में संक्रमण के 11 नए मामले

अमदाबाद, 23 मार्च (भाषा)।

गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमण के 11 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 29 तक पहुंच गई है।

सार्वजनिक परिवहन का संचालन 31 तक स्थगित

रायपुर, 23 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना विषाणु संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सार्वजनिक परिवहनों का संचालन 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि राज्य शासन ने कोरोना विषाणु संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में संचालित सभी सार्वजनिक परिवहन यान, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया है।

इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना विषाणु संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार नागरिक ऐसा कोई काम ना करें जिससे संक्रमण की आशंका बढ़े, वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे-जैसे तीसरा स्टेज नजदीक आ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी छत्तीसगढ़ में एक ही पॉजिटिव केस मिला है और वह भी नियंत्रण में है। यह छत्तीसगढ़ के लोगों की जागरूकता से ही संभव हो सका है। लोग 31 मार्च तक और सहयोग दें।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोराना विषाणु से बचाव के लिए राज्य के नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च तक पूर्णबंदी करने का फैसला किया है। इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराना दुकानें, जनरल स्टोर्स, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, जल प्रदाय सेवाएं, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफसफाई और कचरा निपटान सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के कर्मिशयल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी। राज्य के वरिष्ठ अधिकरियों ने बताया कि इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के खाद्य और औषधि नियंत्रक प्रशासन ने मुंगेली जिले के मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट्स (पी) लिमिटेड धूमा (सरगांव) और दुर्ग जिले के मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीस लिमिटेड खापरी (कुम्हारी) को यह लाइसेंस एक साल के लिए प्रदान किया है। इससे राज्य में हैंड सेनेटाइजर की सुचारू आपूर्ति में मदद होगी। राज्य में प्रति 200 मिलीलीटर सेनेटाइजर के लिए एक सौ रुपए मूल्य निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा मात्रा होने पर उसी अनुपात में मूल्य निर्धारित होगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के उचित मूल्य दुकानों से अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित, निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को अपैल तथा मई माह का चावल एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी तक एक युवती में कोरोना विषाणु संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसका इलाज रायपुर के एम्स में किया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक युवती की हालत में सुधार हो रहा है।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाली बसों के परिवहन को स्थगित कर दिया है।

www.readwhere.com

मौसम			
तापमान	नई दिल्ली		
अधिकतम- 32.8 डि.से.		सूर्योदय-	6:20
न्यूनतम- 17.3 डि.से.		सूर्यास्त-	18:34

बीमारी की दहशत के बीच राष्ट्रीय राजधानी का बजट पास

आयुष्मान भारत को हरी झंडी, कोरोना के लिए 50 करोड़

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

नई सरकार बनने के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया। 65 हजार करोड़ रुपए के बजट में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास मॉडल का बजट तैयार किया है। बीते वर्ष यह बजट करीब 60 हजार करोड़ रुपए का था।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये बजट ऐसे समय मे पेश कर रहा हूं जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। इस बीमारी से निपटने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी। वह पैसा सरकार मुहैया कराएगी। इस बजट को मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मॉडल इसका आधार है। शिक्षा पर काम पहले भी हुआ है लेकिन इसमें कमी थी कि 5 फीसद को बेहतरीन शिक्षा मिल रही थी बाकी 95 फीसद को बेहतरीन शिक्षा नहीं थी।

दिल्ली सरकार ने इस मॉडल को बदला है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य व विकास के क्षेत्र में भी यह काम जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न मुफ्त योजनाओं को लेकर एक सर्वे कराया है। इसमें 11 जिलों के 3500 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 68 फीसद लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने योजना से बचा पैसा बाजार में खर्च किया, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में जीजीपीएस बढ़ी है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। दिल्ली के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी दिल्ली का सहयोग बढ़ा।

बजट में इंतजाम

शिक्षा : देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू होगा

- स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए अखबार देंगे
- अंग्रेजी सिखाने के लिए 12 करोड़ रुपए
- 17 नई स्कूल बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव
- हर स्कूल में 10 डिजिटल क्लासरूम के लिए 100 करोड़ रुपए
- शिक्षा के लिए दिल्ली का अपना बोर्ड होगा
- नर्सरी से आठवीं तक का पाठ्यक्रम भी बदलेगा
- 90 स्कूलों को एकल शिफ्ट में बदला जाएगा
- 145 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, हर जोन में एक
- खेल और कौशल विश्वविद्यालय का काम इस साल शुरू होगा
- टीचर ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी बनाएगी
- 2024 में शिक्षा के पीइएसए टेस्ट होगा

स्वास्थ्य : आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू होगी

- कोरोना व ऐसी महामारी के लिए 50 करोड़ रुपए
- अब तब 451 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं
- 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे, 365 करोड़ रुपए आबंटित
- हर नागरिक के लिए मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना लागू होगी
- 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7704 करोड़ रुपए आबंटित

बिजली, परिवहन व पर्यावरण

- बिजली में राहत आगामी वितीय वर्ष में जारी रहेगी
- 2820 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया
- 20 करोड़ रुपए पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए
- नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्रीन सिटीजन अवार्ड
- पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी सरकार
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
- 11,000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य
- ओखला, हरिनगर, समेत 4 डिपो मल्टीलेवल होंगे
- महिलाओं की मुफ्त यात्रा योजना जारी रहेगी

अन्य योजनाएं

- दूसरे चरण में 1, 40, 000 और सीसीटीवी कैमरे और लगेंगे, 250 करोड़ आबंटित
- मुफ्त वाइफाइ के 11,000 हॉटस्पॉट में से 2,000 शुरू हुए
- कच्ची कॉलोनी में बुनियादी ढांचे के लिएव1700 करोड़ रुपए का आबंटन
- 20 करोड़ रुपए समाज व्यवहार परिवर्तन के लिए
- 100 करोड़ रुपए जय भीम योजना के तहत योजनाओं के लिए
- 5 साल में 10,00,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराने की योजना
- पहली बार लागू होगी दिल्ली भ्रमण योजना, 60 करोड़ आबंटन
- 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए

विधायकों के बैठनें में था एक मीटर का अंतर

कोरोना संक्रमण का डर विधानसभा में भी साफ नजर आया। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के बीच एक मीटर की दूरी का अंतर रखा गया था। इसलिए एक टेबल पर एक विधायक के बैठने की व्यवस्था की गई थी।

कुर्सी की कमी को पूरा करने के लिए विधायकों के लिए 18 कुर्सियां भी अलग से लगाई गई है। सत्र से पहले विधानसभा को सेनेटाइज किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बजट पर दी उप मुख्यमंत्री को बधाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट की तारीफ की। उन्होंने बजट के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने एक बेहतरीन बजट पेश किया है। इसमें समाज के हर तबके व वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह बजट दिल्ली को अधिक आधुनिक व दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने में मददगार साबित होगा।

कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद फिर हो 15 दिन का सत्र : बिधूड़ी

विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मांग की कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद विधानसभा का 15 दिनों का एक सत्र बुलाया जाए। सत्र में विधायक अपने सवाल पूछ सकें और अलग-अलग मुद्दों पर अल्पकालिक और पूर्णकालिक चर्चा हो सके। राम वीर सिंह बिधूड़ी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने दिल्ली सरकार का ध्यान व एक वीडियो की ओर दिलाया जिसमें एक सफाई कर्मचारी बिल्कुल अकेला मुंह में मास्क और हाथ में दस्ताने पहने एक सड़क की सफाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमें इन सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करना चाहिए।

दिल्ली सरकार के बजट से मिली निराशा : भाजपा

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व विधायक विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट प्रावधानों न दिल्ली को निराश किया है। उन्होंने कहा कि यह केवल मात्र आंकड़ों की बाजीगरी है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में जिस 'केजरीवाल माडल आफ गवर्नेंस' का ज़िक्र किया है वह हवा-हवाई है और दिल्ली के ठोस विकास से कोसो दूर है। कल तक आम आदमी पार्टी सरकार आयुष्मान भारत योजना को धता बताकर अपनी स्वास्थ्य योजना को बेहतर बता रही थी, उस सरकार ने अचानक यू-टर्न लेकर आयुष्मान भारत लागू की है।

तीनों निगमों का रुका हुआ फंड जारी किया जाए : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार से तीनों नगर निगम के रुके हुए फंड को तत्काल प्रभाव से जारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली में पूर्ण बंदी है और सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं लेकिन नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पर दिल्ली की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच साफ-सफाई भी उतनी ही जरूरी है और यही कारण है कि अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर नगर निगम कर्मचारी दिल्ली की साफ-सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि फंड की कमी के कारण दिल्ली को साफ और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का काम प्रभावित ना हो।

संक्रमण के इस भारी खतरे के बीच सफाई कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे लोग गंदगी के कारण किसी दूसरी बीमारी से संक्रमित न हो जाए। जनता कर्फ्यू के दिन भी शहर के सफाई कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहे। लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने खुद जोखिम लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।

इस परिस्थिति में यह दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि रुके हुए फंड को जारी करे।

युवक ने 'कोरोना-कोरोना' कहकर छात्रा के ऊपर थूका

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रकोप के बीच दिल्ली में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुखर्जीनगर-विजयनगर इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति 'कोरोना-कोरोना' एक लड़की पर थूक कर फरार हो गया। उस समय लड़की खरीदारी कर वापस घर लौट रही थी। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तम-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि जिस रास्ते से लड़की घर जा रही थी, वहां लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि रविवार रात आरोपी सड़क में अंधेरे का फायदा उठाकर उसके नजदीक आया और 'कोरोना-कोरोना' कहकर उसके ऊपर थूक दिया। पीड़िता के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार आरोपी की उम्र करीब 50 साल रही होगी।

कोरोना के लिए सांसद गंभीर ने दिए 50 लाख

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च

कोरोना संक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर आगे आएं है। उन्होंने दिल्ली को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सांसद निधि के पैसे से मदद करने पेशकश की है। इस संबंध में गौतम गंभीर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और सांसद मद 50 लाख की मदद करने की पेशकश की है।

बंदी पर पूर्ण अमल नहीं होते देख, बोले केजरीवाल

अगर मामले बढ़े तो हालात काबू से बाहर होंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को फिर पत्रकारों के सामने आए और कहा कि आम जनता को इस संक्रमण से बचाने के लिए यदि सख्ती करने की जरूरत पड़ी, तो सरकार इससे भी नहीं चूकेगी। बंद का फैसला जनता के हित में है, इसलिए इसका सख्ती से पालन करें। यह विषाणु बहुत ही तेजी से फैलता है। अगर संक्रमण के मामले बढ़े, तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दरअसल, दिल्ली बंदी के बाद भी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बेहद जरूरी काम या आवश्यक वस्तु लेने जाना हो। केवल उसी समय घर से बाहर निकलें। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा के दायरे में आने वाले लोगों को ही केवल बाहर आने की अनुमति है। बीते दिन इन कर्मचारियों को बस सेवा कम होने से परेशानी सामने आई थी। इसलिए सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए 50 फीसद तक बस संचालन का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 72 लाख लोगों को 7.5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। इसी प्रकार बुजुर्ग, विधवा और विकलांगों को 4 से 5000 की पेंशन दे रहे हैं। 8.5 लाख लोगों को सात अप्रैल तक पैसा पहुंच जाएगा। सरकार ने रैन बसेरे में भी खाने की सुविधा शुरू की है। जहां दोनों समय का खाना उपलब्ध है। सरकार ने मिड डे मील और आंगनबाड़ी भी बंद कर दी थी, अब बच्चों के घर ही खाना पहुंचा देंगे। उन्होंने जनता से अपील कि अपने किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह ना काटे हो सके तो उसकी आर्थिक मदद दें। अगर किराएदार किराया नहीं दे पा रहा तो एक-दो महीने के लिए पैसा न लें। इससे उनकी मदद होगी।

मुख्यमंत्री के सुझाव

- घरों में रहे बंद
- दुनिया में फैले संक्रमण से नसीहत लेने की सीख
- बंद का फैसला जनहित में, वरना हालात बिगड़ेंगे
- अपने कर्मचारी की मदद करें

> कोरोना की वजह से केवल दो महीने में 15 हजार लोगों की जान चली गई है। इसकी चपेट में जो लोग हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें लगता था कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिसोदिया ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट किया।

> आज से दिल्ली में लॉकडाउन शुरू है। आप सभी से अपील है जब तक बहुत जरूरी न हो घर से न निकले। खुद भी सुरक्षित रहेंगे तो दूसरो को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
> अनिल बैजल, उपराज्यपाल, दिल्ली

इस गंभीरता की वजह

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 30 मामले हैं। इनमें 23 विदेश से लौटे व 7 उनसे संक्रमित लोग हैं। जो उनके परिवार वाले हैं। फिलहाल दिल्ली की स्थिति नियंत्रण में है। दूसरे देशों से पता चलता है कि अगर अभी सख्ती नहीं की, तो स्थिति जल्द बेकाबू हो सकती है। इसलिए बंद का पालन करें। उन्होंने कहा यह बंद आपके, आपके परिवार और आपके बच्चों की सेहत के लिए कर रहे हैं। इस वायरस के बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है। इसकी ज्यादा अध्ययन नहीं हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि भारत में यह विषाणु बहुत देरी से आया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई यह ना सोचें कि यह मेरे को नहीं होने वाला यह किसी को भी हो सकता है। अभी तक दिल्ली में 30 मामले सामने आए हैं। इनमें 23 बाहर से आए थे, 7 इनकी वजह से संक्रमित हुए हैं। अगर आज बंद ना करें और कुछ दिन बाद 15-20 हजार मरीज हो गए तो हमारे पास अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है।

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
डी 105 विवेक विहार नई दिल्ली 110095

शुद्धि पत्र

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रकरण दर्पण साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट- C संख्या-7014/2020 मे 18/03/2020 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुये 21-03-2020 को प्रस्तावित परिसंपत्तियों की मेगा ई-नीलामी, जिसके नोटिस का प्रकाशन फाइनेंश्यल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) एवं जनसत्ता (हिन्दी) संस्करण - दिल्ली/ एनसीआर समाचार पत्रों मे 19.02.2020 को किया गया था, अगली सूचना तक स्थगित की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीबीआई बैंक लि

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-038563-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Akil Ahmad
Notice To: Akil Ahmad R/o H. No. 349, Gyanapur Sisouna PS- Saidnagli, Moradabad- 24401 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https:highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan singh Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.govt.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-038561-2017
NEXT DATE: 24-04-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Amar Singh
Notice To: Amar Singh R/o H.no.75, Gurer Mainather, Moradabad-244001 (uttar Pradesh)
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 24-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to https:highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

प्रारूप संख्या यूआरसी-2
अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की सूचना का विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में]

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में नई दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की बेकरनीड्स एलएलपी, एक सीमित साझेदारी व्यापार अस्तित्व को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार है : दिल्ली-एनसीआर / उत्तर भारत में स्टोर आउटलेट्स की स्थापना करके कन्फेक्शनरी, पेस्ट्री शॉप्स, बेक शॉप्स, कैफे, कुलिनरी इत्यादि के व्यवसाय में संलग्न होना।
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण 56-58, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110025 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भी भेज दें।

आवेदक का नाम
लतिका दत्त एबॉट
नामित साझेदार
डीआईएन: 00031056
दिनांक: 23 मार्च 2020

फॉर्म सं. आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर नई दिल्ली-110003 के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में
तथा
पारु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय केजीएम अपार्टमेंटस, दूसरा तल, ईस्ट पार्क रोड, प्लॉट सं. 4, करोल बाग नई दिल्ली 110005 पर स्थित है, के मामले में (याचिकाकर्ता)
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत 09.03.2020 को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़' स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।
कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते है। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय केजीएम आपार्टमेंटस, दूसरा तल, ईस्ट पार्क रोड, प्लॉट सं. 4 करोल बाग नई दिल्ली के पते पर भी भेजनी होगी।
आवेदक के लिए और उनकी ओर से
रमन अग्रवाल
(निदेशक)
DIN: 00898208
दिनांक: 21.03.2020
स्थान: दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सामान्य सेवाएँ, प्रशासन प्रभाग, प्रका: द्वारका, नई दिल्ली-110075
दूरभाष: (011)-28073002 ईमेल: maintenance@pnb.co.in
निविदा आमंत्रण सूचना
पंजाब नैशनल बैंक 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली एवं प्लॉट संख्या: 4, सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली में पंजाब नैशनल बैंक के भवनों और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित बैंक स्वामित्व फ्लैटों की विन्डो / स्प्लिट / टावर एयर कंडीशनर हेतु व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है।
कार्य की अनुमानित लागत: जीएसटी सहित रु.5,28,000/- निविदा दस्तावेज लागत: जीएसटी सहित रु.1,180/-, ब्याना जमा राशि: रु.10,500/- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 07.04.2020 को अप. 2:00 बजे तक। निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट https://www.pnbindia.in से 07.04.2020 को अप. 2:00 बजे तक डाउनलोड किए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कार्यों के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in. पर ही जारी किया जाएगा। मुख्य प्रबंधक

कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान),
CIN : L67120RJ1990PLC005371, फोन : 0141 2943037,
ई-मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com
सूचना
सूचना दी गई है कि कम्पनी के सदस्यों की एक अतिरिक्त साधारण बैठक (ईजीएम) गुरूवार 16 अप्रैल, 2020 को दोपहर 2:00 बजे आयोजित की जायेगी, यह बैठक कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर में विशेष व्यापार को लेन-देन करने के लिए होगी।
कम्पनी के अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार सूचना को सभी सदस्यों को पंजीकृत पते पर भेज दिया गया है। कम्पनी ने 23 मार्च, 2020 को ईजीएम के नोटिस के ईमेल भेजने का प्रेषण भी पूरा कर लिया है।
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनी (प्रबन्ध और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 कम्पनी अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से नोटिस में दिये गये प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की है।
कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 नियम 20 अनुसार सभी सदस्यों को सूचित करती है-
(क) ईजीएम नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय को इलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान किया जा सकता है।
(ख) 23 मार्च, 2020 को ईजीएम नोटिस भेजने की आखरी तारीख है।
(ग) सदस्यों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों के अनुपात में कम्पनी के कट-आफ की तारीख के रूप में 10 अप्रैल, 2020 तक भुगतान की हुई पूंजी के अनुपात में होगी।
(घ) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण कट ऑफ की तारीख के बाद करता है तो वह लॉग-इन आईडी प्राप्त करके सीडीएसएल से, अपना वोट डाल सकता है।
(ङ) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उन्ही सदस्यों को होगी, जो ईजीएम में प्रस्तुत रहेंगे।
(च) एक सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी ईजीएम में भाग ले सकता है लेकिन ईजीएम में फिर से तदान करने की अनुमति नही दी जायेगी।
(छ) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 13 अप्रैल, 2020 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और बुधवार 15 अप्रैल, 2020 (शाम 5 बजे समाप्त होगी)
(ज) मतदान की अनुमति शाम 5:00 बजे से बाद नही दी जायेगी।
(झ) ईजीएम नोटिस कम्पनी की वेबसाईट www.continentalsecuritiesltd.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या शिकायत है तो आप helpdesk.evoting@cdsl.india.com पर ई-मेल लिखें वैकल्पिक रूप से प्रविता खण्डेलवाल (कमपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी) से भी सम्पर्क कर सकते है या continentalsecuritieslimited@gmail.com पर ईमेल लिख सकते है।
कृते कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
ह.
प्रवीता खण्डेलवाल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
स्थान: जयपुर
दिनांक : 13 अगस्त 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः 150, मथुरा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बदरपुर, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **02/02/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स गोविन्द राम एण्ड संस मालिक श्री प्रदीप अवाना पुत्र श्री गोविन्द राम अवाना, गारंटर: श्री राम धन पुत्र राम किशन एवं श्रीमती प्रस्सनवती पत्नी श्री गोविन्द राम अवाना,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.1,65,10,606/- (एक करोड़ पैंसठ लाख दस हजार छः सौ छः रूपये मात्र)** उक्त सूचना के प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ-साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के सम्बन्ध में। उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बदले भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ कुल बकाया राशि में से आपने **रु.53,72,000/ (तिरपन लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया है। कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 17 मार्च, 2020** को ले लिया है। **कर्जदार एवं गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.1,65,10,606/- (एक करोड़ पैंसठ लाख दस हजार छः सौ छः रूपये मात्र) और उस पर ब्याज, खर्चे एवं अन्य शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बदरपुर, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
श्रीमती प्रस्सनवती पत्नी श्री गोविन्द राम अवाना के नाम में आवासीय सम्पत्ति सं.840, सेक्टर-37, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-122001, परिमाप क्षेत्र 266.67 वर्ग गज साम्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो निम्नानुसार घिरा है:-
उत्तर: 60 फीट सड़क | दक्षिण: अन्य सम्पत्ति
पूर्व: प्लॉट न.841 | पश्चिम: ग्रीन बेल्ट एवं प्लॉट न.839
स्थान: फरीदाबाद | प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 17.03.2020 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

व्यक्तिगत

बी. वी. एफ. सी. एल. नामरूप को अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग में अनुभवी अभियंता की भर्ती
BVFC
विस्तृत विज्ञापन www.bvfcl.com —→ जीवन@बीवीएफसीएल ---→ करियर। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि: 17/04/2020।
विज्ञापन सं. HR/12/2019/03

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.3 डि.से.	32.3 डि.से.	31.5 डि.से.	32.5 डि.से.
न्यूनतम	16.4 डि.से.	16.4 डि.से.	16.3 डि.से.	17.2 डि.से.

दिल्ली के आसपास भी दिखा बंदी का असर

नोएडा की सीमाओं को बंद किया गया

आशीष दुबे
नोएडा, 23 मार्च।

सोमवार को बंदी का पहला दिन था। दिल्ली से लगनी वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। बावजूद इसके लोग लगातार उल्लघंन करते नजर आए। सीमा पर प्रवेश करने वालों के पहचान पत्र देखने के बाद लोगों को अनुमति दी गई। इससे लंबा जाम लग गया।

नोएडा प्रवेश द्वार पर सुबह से वाहनों का आना शुरू हो गया। कुछ ही घंटो में यहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिसकर्मियों ने जानकारी दी लेकिन बहाना बनाकर वह नोएडा से दिल्ली व दिल्ली से नोएडा आते जाते रहे। कई बार पुलिस व लोगों के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिसकर्मी सिर्फ दवाओं का पर्चा व पहचान पत्र देखकर ही लोगों को प्रवेश दे रही है। लेकिन इनमे वह लोग ज्यादा है जो शहर से अपने पैतृक घर जा रहे हैं। यह लोग नोएडा वाया एक्सप्रेस-वे से निकलना चाहते है।

सुबह ही खरीदारी करने निकल पड़े

लोग सुबह-सुबह ही खरीददारी करने निकल पड़े। लोगों को डर है कि कहीं पूरी तरह से सब बंद ना हो जाए। सेक्टर 71 स्थित एक सब्जी की दुकान पर सुबह लोगों की भारी भीड़ दिखी। इसी तरह दवा की दुकानों पर भी लोग पहुंचे। सुबह सैर करने वालों की संख्या में भी भारी कमी दिखी। लोग घर में ही योग करते दिखे। नोएडा के पार्क व ओपन जिम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन लोग पार्कों व सड़क पर निकले। अस्पताल के बहाने लोग सडकों पर निकल रहे हैं। अस्पताल में लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही।

दिल्ली पुलिस घर जाकर दे रही अभिनंदन पत्र

दिल्ली यातायात पुलिस ने घर में रहकर कोरोना पर सरकारी फरमान का पालन करने वाले कुछ बुजुर्गों को सोमवार को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया। यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने बताया कि सरकार के इस फरमान का लोग समर्थन कर रहे हैं। सामाजिक अलगाव की अपील पर मध्य, दक्षिणी और नई दिल्ली क्षेत्र के कुछ इलाके में यातायात पुलिस ने घर में रहने वालों का अभिनंदन किया।

नोएडा सीमा पर पहचान पत्र देखने के बाद लोगों को अनुमति दी गई, इससे जाम भी देखने को मिला

नोएडा में रहेगी पाबंदी

- आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बंदी लागू
- सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद
- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, शैक्षणिक संस्थान
- निजी प्रतिष्ठान, रेस्तरां, होटल बंद
- विदेश से आए नागरिकों को घर में रहना होगा
- धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी

मानव संसाधन मंत्रालय चला रहा है कई योजना

मोबाइल ऐप और टीवी से पढ़ने की सहूलियत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

नोवेल कोरोना विषाणु के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देश पर देश के सभी विद्यालय और विवविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों और उनके अभिभावकों के अंदर यह डर हो सकता है कि इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी या सत्र प्रभावित होगा। मंत्रालय और सरकार की ओर उन्हें यह सुनिश्चित किया गया है कि ना ही किसी छात्र का सत्र प्रभावित होगा और ना ही कोई भी उनका नुकसान होगा।

विद्यार्थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर छात्र कहीं से भी और कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो बच्चे टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 'स्वयं प्रभा' नाम से एक डीटीएच चैनल शुरू किया है जिसमें पूरे दिन जाने माने कॉलेजों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया पाठ्यसामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा इस चैनल पर अब रोजाना अब चार घंटे का स्लॉट कुछ राज्यों को दिया गया है जिसमें वो स्कूली शिक्षा से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इस चैनल में शिक्षा सामग्री को ट्यूटोरियल, लेक्चर और चर्चाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। स्वयं पोर्टल पर कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए 1900 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई-पाठशाला द्वारा छात्रों और शिक्षकों के लिए एक पोर्टल के साथ-साथ एक मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

कोराना संक्रमण की चपेट में नोएडा की एक और सोसायटी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 मार्च।

नोएडा में अब तक कोरोना के आठ मरीज सामने आ चुके हैं। जिस सोसायटी को अब सील किया गया उसका नाम निराला ग्रीनशायर है। यह नोएडा एक्सटेंशन में है। फिलहाल नोएडा में 25 मार्च तक पूर्ण बंदी लगा दी गई है। कुल यहां तीन सोसाइटी सील की गई हैं।

शहर के सेक्टर-74, 77, 78 समेत अन्य सेक्टरों की अधिकतर सोसायटियों के मेन गेट शनिवार शाम से ही बंद कर दिए गए थे। ज्यादातर सोसायटियों में घरेलू सहायिका, सफाई कर्मचारी समेत बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। सेक्टर 74 और 78 में कोरोना संक्रमित लोगो के होने की बात सामने आने के बाद शहर की सभी सोसायटियां एहतियात बरत रही हैं। कुछ सोसायटियों में 31 मार्च तक बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। यही हाल सेक्टर 74, 77, 78 के आसपास की सभी सोसायटियों का रहा। सेक्टर 74 हाइड पार्क के एओए प्रेजिडेंट अश्विनी त्रिपाठी का कहना है कि लोगों को बाहर जाने से मना किया गया है।

ग्रेटर नोएडा पश्चिम में निराला ग्रीन और अल्फा-1 सोसाइटी के अलावा नोएडा के सेक्टर-74 में सुपरटेक सोसाइटी को सील किया गया है

मरीजों की हालत खतरे से बाहर

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में एडमिट मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। जिम्स में सेक्टर 74, 78, 10 और 41 के मरीज भर्ती कराए गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक, सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सीएमओ डॉ. अनुराग भार्गव का कहना है कि शनिवार से पहले एडमिट मरीजों की तबीयत ठीक हैं। किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। हालांकि रिपोर्ट में कोरोना पुष्टी होने के चलते उन्हें 14 दिनों तक पृथक किया गया है।

राहत की बात

228 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नकारात्मक

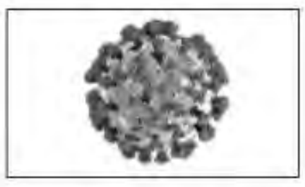

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 मार्च।

कोविड-19 को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में अब तक आठ मामले सामने आ चुके है। इन सभी का इलाज जिम्स ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है।

अब तक यात्रा विवरण के आधार पर 1054 लोगों की पहचान की गई है। पिछली संख्या को मिलाकर अब तक 1107 लोगों को यात्रा विवरण के आधार पर ट्रैक किया जा चुका है। 1731 लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी है। अब तक 324 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमे से 228 लोगों की रिपोर्ट नकारात्मक मिली है। नोएडा में आठ मामले सामने आए है और दिल्ली के दो लोग जोकि नोएडा में नौकरी करते हैं संक्रमित पाए गए।

लोगों के संपर्क में आए 1017 लोगों में 989 पर स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है। इसके अलावा अब तक तीन सोसायटी को 48-48 घंटो के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

सेवा कोरोना विषाणु से बचाव के लिए सराय काले खां बस अड्डे पर स्वयंसेवकों की ओर से विषाणुनाशक दवा का छिड़काव किया गया।

आकस्मिक सेवाओं के लिए प्राधिकरण तैयार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 मार्च।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने अपने विभाग के कार्यो में बदलाव किए है। प्राधिकरण में आने वाले आंगतुकों के प्रवेश पर पूर्णता रोक लगा दी है। ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि शहर के पूर्ण रूप से बंद होने के चलते जल/सीवर, जन स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट एवं उद्यान इत्यादि की सेवाएं जारी रहेंगी। आइटी विभाग कॉल सेंटर पर कर्मचारियों को निर्देश है कि वह आने वाली शिकायतों को तत्काल संबंधित विभाग को भेजे। वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है ऐसे में वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई व्यवधान न हो इसके लिए विभाग खुला रहेगा। इसके अलावा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ओएसडी व नियोजन विभाग परिसंपत्ति से संबंधित कार्यो की समीक्षा क आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की उपस्थिति के रोस्टर बनाए जाएं। प्राधिकरण के विधि, कार्मिक, भूलेख एवं टीएसी इत्यादि विभाग के कर्मी घर से काम करेंगे। उन्हें भी आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जा सकता है। किसी कार्यालय में बिना अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने कॉल सेंटर को बनाया कंट्रोल रूम

संक्रमण से बचाव के लिए प्राधिकरण का कंट्रोल रूम 24 घंटे 25 मार्च तक काम करेगा। शहरवासी साफ-सफाई, आकस्मिक सेवाएं, सैनेटाइजेशन, जलापूर्ति उद्यान व जल, स्ट्रीट लाइट व जनमानस से संबंधित शिकायत के लिए 0120-242505,26,27 पर फोन कर सकता है।

शहर को सेनेटाइज करने में लगे 4500 सफाईकर्मी

सोमवार को भी प्राधिकरण की 50 से अधिक टीमों के 4500 संक्रमण मुक्त करने के लिए सोडियम हाईपोक्लोराइड एवं एल्कोहल बेस में आईसोप्रोपाइल को पानी के टैंकर में मिलाकर छिड़काव कर रही है। नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव ने बताया कि सोमवार को सेक्टर-48, 76, याकूबपुर गांव, सेक्टर-8 उद्योग मार्ग और झुंडपुरा रोड, सेक्टर-11 आदि में छिड़काव किया गया।

वाहन बंद हुए तो दिल्ली की हवा सुधरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली में जनता कर्फ्यू व पूर्ण बंदी और वाहनों की आवाजाही सीमित होने व औद्योगिक इकाइयों की पूर्ण बंदी के चलते वायु प्रदूषण में गिरावट देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा रपट के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता रविवार के मध्यम स्तर से सुधरकर सोमवार को संतोषजनक श्रेणी में आ गई।

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में अति बारीक कणों की मात्रा 52 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर और मोटे धूल कणों की मात्रा 92 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर दर्ज किया गया। इससे पहले यह 200 से ऊपर पहुंच चुका है।

कोरोना के डर से कम आए अस्पतालों में मरीज

एम्स की ओपीडी अगले आदेश तक बंद, सामान्य मरीजों की छुट्टी

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 23 मार्च।

कोरोना विषाणु के प्रसार को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सभी वाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। इसके साथ ही यहां भर्ती दूसरे मरीजों में से जो मरीज घर पर रखकर ठीक किए जा सकते है उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इमरजंसी वार्ड खुला हुआ है। इसी तरह सफदरजंग सहित दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों की ओपीडी तो खुली रही लेकिन मरीज इक्का-दुक्का ही पहुंच पाए।

एम्स की ओपीडी सोमवार से बंद कर दी गई है। हालांकि सभी डॉक्टर व स्पास्थ्यकर्मी सतर्क हैं। यहां एम्स ने एक प्रोटोकॉल तय किया है। जिसके तहत आपातस्थिति में मरीजों को कैसे देखना है इसके लिए योजना बनाई गई है। एम्स के सामने फुटपाथ पर व डीटीसी के बस स्टैंड पर उन मरीजों व उनके तीमारदारों का का डेरा अभी भी जमा हुआ है जो किसी न किसी बीमारी के इलाज के लिए दूसरे राज्यों से एम्स आए हुए हैं। रैन बसेरों में मरीजों व तीमारदारों का डेरा है।

एम्स के सामने स्थित सफदरजंग अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध व पुष्ट मामलों को मिलाकर कुल 20 मरीज अभी भी भर्ती हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकत्सक डॉ राकेश वर्मा ने बताय कि यहां ओपीडी तो खुली रही और आगे भी खुली ही रहेगी। लेकिन परिवहन के साधन कम होने से कोरोना के डर से करीब एक तिहाई से भी कम मरीज आए। उन्होंने बताया कि उनकी हृदय रोग की ओपीडी में जहां डेढ़ से दो सौ मरीज आते थे वहीं आज महज 35 -40 मरीज ही आ सके। आरएमएल की ओपीडी में भी करीब एक चौथाई मरीज पहुंचे।

नेत्र चिकित्सालय बंद, कर्मी शिफ्ट

दिल्ली सरकार का गुरुनानक नेत्र चिकित्सालय बंद कर दिया गया है और इसके कर्मचारियों को लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में लगा दिया गया है। जहां कोरोना के करीब 26 मरीज भर्ती हैं। हालांकि राहत कि बात यह है कि यहां सोमवार को कोई नया मरीज नहीं आया। फिर भी अस्पताल की छठवीं मिंजल से सभी मरीजों को हटा लिया गया है। गंभीर मरीजों को अस्पताल के दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

निधन में नहीं जा सकें

ट्रेनों व बसों पर लगी रोक से कुछ लोग अपनों के निधन पर घर नहीं पहुंच पाए। छतरपुर निवासी अर्चना मिश्र के पिता की सोमवार को सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई है। बिलखते हुए अर्चना ने बताया कि वह अपने पिता का अंतिम बार मुंह देखने भी नहीं जा पा रही है। सीमाएं सील होने से कोई गाड़ी नही जा रही है। मयूर विहार फेज तीन निवासी राकेश शर्मा ने भी अपने एक रिश्तेदार की अंत्येष्टि में नहीं जा पाए।

कांग्रेस ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए राहत मांगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कोरोना विषाणु के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा-ठेला चालकों के लिए स्वास्थ्य पैकेज, मुफ्त खाद्यान्न, वित्तीय पैकेज, ऋण सहायता की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि माली, दिहाड़ी मजदूर, ई-रिक्शा और आटो-टैक्सी चालकों, फेरीवाले, स्ट्रीट वेंडर, मजदूर, बेलदार, साप्ताहिक बाजारों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ घर के काम करने वाली महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समाचार पत्र हॉकर, मोची, छोटी दुकान करने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल लोगों के लिए दिल्ली सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक जयकिशन ने एक बयान में कहा कि कोरोना विषाणु के खतरनाक प्रभावों को मद्देनजर दिल्लीवालों को स्वास्थ्य पैकेज, मुफ्त खाद्यान्न, वित्तीय पैकेज, ऋण सहायता, कर राहत आदि की सहायता प्रदान की जाए।

कोरोना की अफवाह पुलिस के लिए मुसीबत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 22 मार्च।

कोरोना वायरस की अफवाहों वाली सूचना इन दिनों नोएडा पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पुलिस के पास रोजाना कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को लेकर 50 से अधिक कॉल आ रही है। यही हाल नोएडा पुलिस ट्विटर का है। ट्विटर पर रोजाना पांच से अधिक शिकायतें आ रही हैं। इनमें से अधिकतर कॉल और शिकायतें मौके पर पहुंचने पर कोरी अफवाह निकल रही हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कोरोना वायरस को रोकने के लिए सूचनाओं पर दौड़ना ही पड़ता है। रोजाना इस मामले में 50 से अधिक कॉल आ रही हैं। कुछ मामलों में अगर कोई मरीज संदिग्ध दिखता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बुलाया जाता है। जांच करने पर कोरोना वायरस जैसा कुछ नहीं मिला। इसी तरह ट्विटर की शिकायतों पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

कॉल और ट्विटर पर रोजाना 50 से अधिक आ रही हैं शिकायतें

सबसे अधिक कॉल गगनचुंबी इमारतों से

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर सबसे अधिक फोन गगनचुंबी इमारतों से आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहां रहने वाले अधिकतर लोगों का विदेश आना-जाना लगा रहता है। अगर कोई विदेश से सोसायटी पहुंच रहा है तो इसकी शिकायतें डायल 112 पर दी जा रही हैं।

ग्रामीण इलाकों से कोरोना की नहीं आई कॉल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक ग्रामीण इलाकों से कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज को लेकर डायल 112 नंबर पर एक भी कॉल नहीं आई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके अधिकतर लोग भारत में ही रहते हैं। जो विदेश में हैं वो वही है। कोई अभी आया नहीं।

स्वास्थ्यकर्मियों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दवा मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 मार्च।

कोरोना विषाणु से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों में इस विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन दवा के उपयोग की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने सोमवार को मंजूरी दे दी है।

सलाह दी गई है कि गठिया के इलाज में उपयोग की जाने वाली इस दवा का चिकित्सक की परामर्श से उच्च जोखिम वाले समूह या व्यक्ति में उपयोग किया जा सकता है। आइसीएमआर की ओर से कोरोना पर गठित नेशनल टास्क फोर्स उच्च ने जोखिम वाली आबादी के लिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की है। सीमाओ, भारतीय चिकित्सा परिषद (आइएमए) व हार्ट केयर फाउंडेशन ने आइसीएमआर से इस दवा के उपयोग को मंजूरी देने की मांग की थी। नेशनल टास्क फोर्स की ओर से अनुशंसित प्रोटोकॉल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से आपातकालीन स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। इन सिफारिशों का पालन करते समय, राज्यों को बातों पर ध्यान देना चाहिए कि बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए इस दवा का उपयोग करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में झूठी सुरक्षा की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस दवा के साथ भी हाथों की लगातार धुलाई, लोगों से दूरी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना जारी रखना चाहिए। लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करना चाहिए।

सीमाओ के अध्यक्ष डॉ केके अग्रवाल ने कहा है कि इस दवा का उपयोग करते हुए एक जोखिम वाले व्यक्ति को घर के अलग कमरे में रहना चाहिए। टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित, यह दवा केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। इस दवा को लेने के बाद अगर कोरोना के लक्षणों (बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई) के अलावा कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत उस चिकित्सक का इलाज करना चाहिए जिसने इस दवा को खाने को दिया है।

आइसीएमआर ने परामर्श में कहा

जारी परामर्श में हाइड्रॉक्सी-क्लोरोक्विन के तहत जिन उच्च जोखिम वाली आबादी को रखने का प्रावधान है वे कोरोना के संदिग्ध या पुष्ट मामलों की देखभाल में शामिल स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सक हैं। यानी इन लोगों को यह दवा देकर उनका संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में पुष्ट मामलों को देखने जांचने वाले समूह और इनके घरेलू संपर्क में आने वाले लोगों को भी यह दवा दी जा सकती है।

संकट को देखते हुए दोबारा शुरू की जाएगी गंगाजल की आपूर्ति

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 मार्च।

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए गंगाजल की आपूर्ति दोबारा से शुरू की जाएगी। रविवार रात से गंगाजल की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। अब अप्रैल में गंगाजल बंद किया जाएगा। इन दिनों घरों में पानी की अधिक जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

यूपी के सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता मुकेश मोहन ने उत्तराखंड सिचाई विभाग के प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर गंगाजल की आपूर्ति शुरू करने का अनुरोध किया था। पत्र में कहा है कि अभी तक 31 मार्च तक लॉकडाउन है। ऐसे में 1 से 30 अप्रैल के बीच में सुविधानुसार 10 दिन के लिए गंगाजल बंद कर लें लेकिन अभी जरूरत को देखते हुए शुरू कर दें।

www.readwhere.com

कुपवाड़ा में लश्कर के छह आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 'शैडो' संगठन के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर छह संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद भी बरामद किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि नवगठित 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' के छह सदस्यों को बारामूला जिले के सोपोर से कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास केरन तक चलाए गए एक अभियान में गिरफ्तार किया गया। संगठन को लश्करे तैयबा का 'शैडो' संगठन माना जाता है। उन्होंने कहा कि केरन से सोपोर अस्पताल तक हथियार और गोला-बारूद के परिवहन के बारे में पुलिस द्वारा प्राप्त एक सूचना पर सुरक्षाबलों ने कार्रवाई शुरू की और चार टीमों का गठन किया।

अधिकारियों ने कहा कि सभी टीमें मौके पर पहुंचीं और चार लोगों को पकड़ा। इन सबकी पहचान एहतेशाम फारूक मलिक, शफाकत अली टागू, मुसैब हसन भट और निसार अहमद गनई के तौर पर हुई, जो सोपोर के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वे पाकिस्तान के एक व्यक्ति के तहत काम कर रहे थे, जो टेलीग्राम मैसेंजर पर एंड्रयू जोंस नाम से जाता है।

उन्होंने कहा कि ये चारों एंड्रयू जोंस द्वारा नियुक्त मुख्य हैंडलर थे, जिनका काम स्थानीय युवाओं को कश्मीर, विशेष तौर पर उत्तरी कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए स्थानीय युवाओं की भर्ती करना था। उनसे पूछताछ में केरन से दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान कबीर लोन और शराफत अहमद खान के रूप में हुई है।

कीटनाशकों के विनियमन के लिए विधेयक पेश

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कीटनाशक के कारोबार को नियंत्रित करने और रसायनों के उपयोग से होने वाले नुकसान की भरपाई के प्रावधान वाला एक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया गया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उच्च सदन में नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020 को पेश किया। इस विधेयक में कीटनाशकों की कीमतों को तय करते हुए कीटनाशक क्षेत्र के विनियमन का प्रावधान किया गया है। विधेयक में कीटनाशकों के विज्ञापन, भंडारण, वितरण, उपयोग को भी विनियमित करने का प्रावधान किया गया है।

इससे पहले तोमर ने सदन की अनुमति से नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2008 को वापस ले लिया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन की अनुमति से प्राइवेट गुप्तचर अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2007 वापस ले लिया।

लोकसभा में रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक पेश

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पेश किया गया जिसके तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है।

निचले सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विरोध के बीच उक्त विधेयक को पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों को शांत करते हुए कहा कि अभी विधेयक सिर्फ पेश किया जा रहा है। जब इस पर चर्चा होगी तब सदस्यों को बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां सृजित करेगा तथा पुलिस एवं व्यवस्था, दंड न्याय प्रणाली एवं प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान एवं नए कौशल, प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करेगा ।

कर्मचारी संक्रमित, आइटी कंपनी ने दो इमारतें खाली कराईं

पुणे, 23 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र में एक नामी आइटी कंपनी ने अपनी एक महिला कर्मचारी को कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाए जाने पर पुणे की दो इमारतों को खाली करवा लिया। साथ ही कंपनी ने कहा कि उसने संक्रमित के संपर्क में आए उसके सहयोगियों को भी खुद को पृथक रखने और अपने स्वास्थ्य की करीबी निगरानी करने को कहा है।

यह महिला पुणे में रविवार को संक्रमित पाए गए चार लोगों में शामिल है। हिंजवडी आइटी पार्क में संचालित होने वाली कंपनी ने उन दो इमारतों को खाली करवा लिया, जिनमें वायरस संक्रमित महिला कर्मचारी ने काम किया था। कंपनी की ओर से कहा गया कि इन प्रांगणों को अच्छी तरह से सफाई और सेनेटाइजेशन के लिए बंद रखा जाएगा।

उन्होंने कहा, 'सावधानी उपायों के तहत हम पूरे कैंपस को सेनेटाइज करवा रहे हैं और इस जगह से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी भेजी गई है।' कंपनी ने कहा कि अपने कर्मचारियों और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए उसने सभी जरूरी सावधानियां बरती हैं और इसे जारी रखेगी।

जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने कहा कि संक्रमित पाई गई आइटी कंपनी की कर्मचारी, पहले कोविड-19 से ग्रसित रही 41 वर्षीय एक महिला की करीबी रिश्तेदार है। अधिकारियों के मुताबिक, पुणे में कोविड-19 के अब तक 16 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रपत्र सं. 22
[विनियम 37(1) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण
वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार
पीएमटी कॉमर्शियल बिल्डिंग सं. 1,
शंकरशेठ रोड, स्वारगेट, पुणे 411042, दूरभाष : 020-24432804/5, फैक्स नं. : 020-24453183

ऋण वसूली अधिकरण पुणे, में, वसूली अधिकारी के समक्ष पुणे में निम्नलिखित के मध्य आर.पी. सं. 193/2009

बैंक ऑफ बड़ौदा एवं 4 अन्य) **प्रमाणपत्र धारक**
एवं
सातव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.) **प्रमाणपत्र देनदार**

ऋण वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 (आरबीडी अधिनियम) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित द्वितीय अनुसूची के नियम 38 एवं 40 के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सेवा में,

1. सातव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., राजा अपार्टमेंट्स, लकाकी रोड, मॉडल कॉलोनी, पुणे-411016	1. सातव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., C/o श्रीमती सुषमा महेन्द्रा सातव, फ्लैट सं. 7, गरिमा अपार्टमेंट्स, कंचन बिल्डिंग, इरांडवाने, पुणे-411 004

जैसा कि, आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण पुणे द्वारा निर्गत ओए सं. 134/2008 में वसूली प्रमाणपत्र सं. के परिप्रेक्ष्य में आप द्वारा देय रु. 67,24,58,598.16 (रुपये सड़सठ करोड़ चौबीस लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ अट्ठानबे एवं सोलह पैसे मात्र) की राशि तथा अन्तरिम वसूली प्रमाणपत्र दिनांक 10.12.2009 के अनुसार देय ब्याज तथा लागत घटाकर : कुल राशि रु. 2,31,92,385/- (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख बानबे हजार तीन सौ पिचासी मात्र) जो नीलामी क्रेताओं एवं अन्य से रिकवर की/वसूली गयी राशि है, अदा करने में असफल रहे।

और जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में नीचे उल्लिखित अनुसूची में सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि, कथित अन्तरिम वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय कुल राशि रु. 64,92,66,213.16 (चौंसठ करोड़ बानबे लाख छियासठ हजार दो सौ तेरह एवं सोलह पैसे मात्र) बकाया होगी।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में कथित सम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी द्वारा 15.04.2020 को की जायेगी और बोली सी1 इण्डिया प्रा.लि. की वेबसाइट https://www. bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से होगी जिसका पता (i) उद्योग विहार, फेज 2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, नं. 301, गुरुग्राम-122 015, हरियाणा, तथा (ii) कोरल क्लासिक कॉमर्शियल सोसाइटी लिमिटेड, इकाई सं. 603, 6ठी मंजिल, निकट अम्बेडकर गार्डन, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, 20वीं सड़क, चेम्बूर, मुम्बई-400 071 महाराष्ट्र, भारत पर है।

हेल्प लाइन नं. :	0124-4302020/21/22/23/24	मोबाइल नं. 7291981124 /25/26
सम्पर्क व्यक्ति :	हरीश गोवदा	
मोबाइल नं.	+91 9594597555	
ई-मेल आईडी :	hareesh.gowda@c1india.com	support@bankeauctions.com

अधिक विवरण के लिए बैंक अधिकारी से सम्पर्क करें :

नाम :	पी. नागेश्वर राव	मोबाइल नं. :	+91 - 96 18 08 38 01
पद :	सहायक महाप्रबन्धक	दूरभाष नं. :	020-24 26 14 81
पता :	बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (जेडओएसएआरबी), पुणे, लांजेकर बिल्डिंग, मार्केट यार्ड रोड, गुलटेकड़ी, पुणे	ई-मेल :	arm.pun@bankofbaroda.com

- संविदाकारों से निवेदन है कि कि अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची में उल्लिखित उपर्युक्त नामधारी प्रमाणपत्र देनदार की सम्पत्ति की होगी और जहाँ तक सुनिश्चित की गयी है, कथित सम्पत्ति से सम्बद्ध देयताएँ और दावे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
- संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
- ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम,1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
- संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती,त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी, नीचे अनुसूची में प्रत्येक मद/लॉट के सम्मुख कॉलम 4 में उल्लिखित है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी, नीचे अनुसूची में प्रत्येक मद/लॉट के सम्मुख कॉलम 6 में उल्लिखित है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ऑनलाइन संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 13.04.2020.
5. जमा धरोहर राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तिलक रोड शाखा पुणे के साथ वसूली अधिकारी डीआरटी पुणे के सीधे बैंक खाता सं. 11045459336, आईएफएस कोड : SBIN 0001399 के क्रेडिट में जमा की जायेगी अथवा डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से वसूली आधिकारी, डीआरटी पुणे के पास वसूली अधिकारी, डीआरटी पुणे के पक्ष में जमा की जायेगी।
6. बोली प्रपत्र के साथ पहचान के प्रमाण, पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा अन्य संलग्नक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट या प्रतिष्ठि कोरियर के माध्यम से एडी सहित अधिकतम 13.04.2020 तक वसूली अधिकारी, डीआरटी, पुणे के उपर्युक्त पते पर भेजे जाने हैं। कंपनी के मामले में कंपनी का प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल जमा करनी होगी। इसके पश्चात जमा की गयी ईएमडी पर ई-नीलामी में भाग लेने पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 5 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा। यदि अगला कार्यदिवस अवकाश या रविवार है तो अगले प्रथम कार्य/कार्यालयी दिवस पर।
8. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 5 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी, पुणे के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी, डीआरटी, पुणे के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी।
10. संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

उपर्युक्त अनुसूची निम्नलिखित से सन्दर्भित है

I	स्वामी का नाम :	सातव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
ii	सम्पत्ति पर आकलित कर :	अप्रयोज्य
iii	ज्ञात ऋण भार :	अज्ञात
iv	मूल्यांकन : सीएच बैंक के मूल्यांकनकर्ता के अनुसार →	रु. 95,20,500/-
v	सीडी के मूल्यांकनकर्ता के अनुसार →	अप्रयोज्य
vi	अग्रसारित किये गये दावे, यदि कोई हो एवं अन्य ज्ञात विवरण, इसकी प्रकृति तथा मूल्य	अज्ञात
vii	चल मशीनरी का विवरण ↓	

भाग 'I'
(रखी गयी मशीनरी की सूची : जीएटीटीआई, तहसील : बानी, जिला : कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर)

क्र. सं.	1 लॉट सं.	2 चल सम्पत्ति का विवरण					3 डीआरटी मूल्यांकनकर्ता के अनुसार उचित बाजार मूल्य रु.	4 आरक्षित मूल्य रु.	5 धरोहर राशि रु.	6 बढ़ाई जाने वाली बोली रु.
		उपकरण का नाम	निर्मिति	मॉडल	क्षमता	मात्रा				
1	लॉट सं. 1	एयर कम्प्रेशर	एटलस कोपको	XA 175	371 CFM	1	1,19,000	1,19,000	11,900	
2		एयर कम्प्रेशर	एटलस कोपको	XA 175	371 CFM	1	1,19,000	1,19,000	11,900	
3		एयर कम्प्रेशर	एटलस कोपको	XA 175	371 CFM	1	1,19,000	1,19,000	11,900	
4		एयर कम्प्रेशर	एटलस कोपको	XA 175	371 CFM	1	1,19,000	1,19,000	11,900	
5		एयर कम्प्रेशर	एटलस कोपको	XA 280	593.6 CFM	1	1,19,000	1,19,000	11,900	
				कुल लॉट सं. 1		5	5,95,000	5,95,000	59,500	10,000
6	लॉट सं. 2	एयर रिसीवर टैंक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	10,000	10,000	1,000	
7		एयर रिसीवर टैंक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	10,000	10,000	1,000	
8		एयर रिसीवर टैंक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	10,000	10,000	1,000	
				कुल लॉट सं. 2		3	30,000	30,000	3,000	1,000
9	लॉट सं. 3	बैचिंग प्लांट	गैजमेन प्लास्ट	750	20 m 3	1	42,500	42,500	4,500	2,000
10	लॉट सं. 4	कंक्रीट प्लेसर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	17,000	17,000	1,700	
11		कंक्रीट प्लेसर	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	17,000	17,000	1,700	
				कुल लॉट सं. 4		2	34,000	34,000	3,400	1,000
12	लॉट सं. 6	कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट	750	750 आर एम	1	12,750	12,750	1,300	
13		कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट प्रा.लि.	750	750 आर एम	1	12,750	12,750	1,300	
14		कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट प्रा.लि.	500	500 आर एम	1	8,500	8,500	900	
15		कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट प्रा.लि.	500	500 आर एम	1	8,500	8,500	900	
16		कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट प्रा.लि.	500	500 आर एम	1	8,500	8,500	900	
17		कंक्रीट मिक्सर	गैमजेन प्लास्ट प्रा.लि.	500	500 आर एम	1	8,500	8,500	900	
18		कंक्रीट मिक्सर	गणेश	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	8,500	8,500	900	
19		कंक्रीट मिक्सर	लक्ष्मी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	8,500	8,500	900	
				कुल लॉट सं. 6		8	76,500	76,500	8,000	3,000
20	लॉट सं. 7	बैक हो कम लोडर	एल एण्ड टी लि.	580 3 एस	76 एच.पी.	1	2,76,250	2,76,250	28,000	
21		बैक हो कम लोडर	एल एण्ड टी लि.	580 3 एस	76 एच.पी.	1	2,76,250	2,76,250	28,000	
				कुल लॉट सं. 7		2	5,52,500	5,52,500	56,000	5,000
22	लॉट सं. 12	स्कोप एलएचडी 72 लोडर हॉलर	स्कॉप शिनेबू जीएमबीएच-स्टटगार्ट	एलएचडी 72	3000 किग्रा	1	2,97,500	2,97,500	30,000	3,000
23	लॉट सं. 14	शॉटक्रीट पम्प	सीआईएफए	PCS 209 E6	20 M 3/ Hrs.	1	46,750	46,750	4,700	
24		शॉटक्रीट पम्प	सीआईएफए	PCS 209 E6	20 M 3/ Hrs.	1	46,750	46,750	4,700	
25		शॉटक्रीट पम्प	सीआईएफए	PCS 209 E6	20 M 3/ Hrs.	1	46,750	46,750	4,700	
26		शॉटक्रीट पम्प	सीआईएफए	PCS 209 E6	20 M 3/ Hrs.	1	46,750	46,750	4,700	
27		शॉटक्रीट पम्प	ग्रीव्स कॉटन लि.	बीपी 350 ई.	350 एचपी	1	46,750	46,750	4,700	
				कुल लॉट सं. 14		5	2,33,750	2,33,750	23,500	3,000
28	लॉट सं. 15	स्किड स्टीयर लोडर	टेरेक्स	हीमैन 175	अप्रयोज्य	1	1,70,000	1,70,000	17,000	
29		स्किड स्टीयर लोडर	जेसीबी	जेसीबी 170	0.36 सह लोडर	1	2,55,000	2,55,000	26,000	
30		स्किड स्टीयर लोडर	जेसीबी	जेसीबी 170	0.36 सह लोडर	1	2,55,000	2,55,000	26,000	
31		स्किड स्टीयर लोडर	टेरेक्स	हीमैन 175	अप्रयोज्य	1	1,70,000	1,70,000	17,000	
				कुल लॉट सं. 15		4	8,50,000	8,50,000	86,000	10,000
32	लॉट सं. 16	स्टोन क्रशर एवं सैण्ड प्लांट	स्वस्तिक	अप्रयोज्य	25 टीपीएच	1	99,000	99,000	10,000	2,000
33	लॉट सं. 17	स्टैबिलाइजर	अशोका	अप्रयोज्य	250 केवीए	1	1,14,000	1,14,000	11,400	
34		स्टैबिलाइजर	अशोका	अप्रयोज्य	250 केवीए	1	1,14,000	1,14,000	11,400	
35		स्टैबिलाइजर	अशोका	अप्रयोज्य	250 केवीए	1	1,14,000	1,14,000	11,400	
				कुल लॉट सं. 17		3	3,42,000	3,42,000	34,200	3,000
36	लॉट सं. 18	ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजैक्स फियोरी इंजी. (I) प्रा.लि.	एएफ एग्रो-180	2m³	1	76,500	76,500	8,000	
37		ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजैक्स फियोरी इंजी. (I) प्रा.लि.	एएफ 100	2m³	1	76,500	76,500	8,000	
38		ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजैक्स फियोरी इंजी. (I) प्रा.लि.	एएफ 101	2m³	1	76,500	76,500	8,000	
39		ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजैक्स फियोरी इंजी. (I) प्रा.लि.	एएफ 101	2m³	1	76,500	76,500	8,000	
40		ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजैक्स फियोरी इंजी. (I) प्रा.लि.	एएफ 105	2m³	1	76,500	76,500	8,000	
				कुल लॉट सं. 18		5	3,82,500	3,82,500	40,000	5,000
41	लॉट सं. 19	वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	75 KW	1	31,500	31,500	3,200	
42		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	75 KW	1	31,500	31,500	3,200	
43		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	45 KW	1	31,500	31,500	3,200	
44		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	45 KW	1	31,500	31,500	3,200	
45		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	37 KW	1	31,500	31,500	3,200	
46		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	37 KW	1	31,500	31,500	3,200	
47		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	37 KW	1	31,500	31,500	3,200	
48		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	खन्ना	अप्रयोज्य	45 KW	1	31,500	31,500	3,200	
49		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	जिट्रॉन (I) प्रा.लि.	अप्रयोज्य	20 KW	1	31,500	31,500	3,200	
50		वेंटिलेशन फैन स्टेशन	खन्ना	अप्रयोज्य	10 KW	1	31,500	31,500	3,200	
				कुल लॉट सं. 19		10	3,15,000	3,15,000	32,000	3,000
51	मिश्रित	एमएस वाटर टैंक	स्थानी	अप्रयोज्य	4000 लीटर	3	9,000	9,000	900	100
				मशीनरी का कुल मूल्य : गत्ती, तहसील बानी, जिला : कठुआ			38,59,250	38,59,250	3,89,800	

भाग 'II'
(मशीनरी की सूची : पेपादी, तहसील : बशोली, जिला : कठुआ (जम्मू एवं कश्मीर)

क्र. सं.	1 लॉट सं.	2 चल सम्पत्ति का विवरण					3 डीआरटी मूल्यांकनकर्ता के अनुसार उचित बाजार मूल्य रु.	4 आरक्षित मूल्य रु.	5 धरोहर राशि रु.	6 बढ़ाई जाने वाली बोली रु.
		उपकरण का नाम	निर्मिति	मॉडल	क्षमता	मात्रा				
52	लॉट सं. 24	एयर कम्प्रेशर	इंगरसॉल रैण्ड पॉण्डिचेरी	HP 450	450 cfm	1	1,70,000	1,70,000	17,000	
53		एयर कम्प्रेशर	इंगरसॉल रैण्ड पॉण्डिचेरी	HP 450	450 cfm	1	1,70,000	1,70,000	17,000	
				कुल लॉट सं. 24		2	3,40,000	3,40,000	34,000	3,000
54	लॉट सं. 25	बूमर (रॉकेट 281)	एटलस कोपको	281	अप्रयोज्य	1	12,75,000	12,75,000	1,30,000	
55		बूमर (रॉकेट 281)	एटलस कोपको	281	अप्रयोज्य	1	12,75,000	12,75,000	1,30,000	
56		बूमर (रॉकेट 281)	एटलस कोपको	281	अप्रयोज्य	1	12,75,000	12,75,000	1,30,000	
57		बूमर (रॉकेट 281)	एटलस कोपको	281	अप्रयोज्य	1	12,75,000	12,75,000	1,30,000	
				कुल लॉट सं. 25		4	51,00,000	51,00,000	5,20,000	15,000
58	लॉट सं. 26	एयर रिसीवर टैंक	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	15,000	15,000	1,500	
59		एयर रिसीवर टैंक	एवरेस्ट फैब्रिकेटर्स प्रा.लि.	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	1	15,000	15,000	1,500	
				कुल लॉट सं. 26		2	30,000	30,000	3,000	2,000
60	लॉट सं. 27	क्रॉलर ड्रिल	एटलस कोपको	आरओसी 203	अप्रयोज्य	1	38,250	38,250	4,000	2,000
61	लॉट सं. 28	एक्सकैवेटर शैफ	टेरेक्स	शाफ 312 H1	अप्रयोज्य	1	63,750	63,750	6,500	3,000
62	लॉट सं. 29	ट्रांजिट मिक्सर (02m3)	एजेक्स फियोरी इंजी. प्रा.लि.	एएफ 096	2M³	1	85,000	85,000	9,000	2,000
63	लॉट सं. 30	ऑटोमैटिक लेवल	लीका	C-330	अप्रयोज्य	1	4,250	4,250	500	100
		पेपादी, तहसील बसोरी, जिला : कठुआ में मशीनरी का कुल मूल्य					56,61,250	56,61,250	5,75,000	
		गत्ती, तहसील : बानी, जिला : कठुआ में मशीनरी का कुल मूल्य B/F					38,59,250	38,59,250	3,89,800	
		सकल योग (भाग-I + भाग-II)					95,20,500	95,20,500	9,64,800	

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित इस 18/03/2020 को दी गयी।

अधिकरण की मुहर

ह./-
मुहर (डी.के. वर्मा)
वसूली अधिकारी डीआरटी-पुणे

www.readwhere.com

जनसत्ता

संकल्प और चुनौती

कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश के ज्यादातर हिस्सों में की गई पूर्ण बंदी को जिस तरह से लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए सोमवार को प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वे अपने यहां पूर्ण बंदी को सख्ती से लागू कराएं, ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें। इसीलिए चंडीगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने अपने यहां कर्फ्यू लगा दिया है। इस वक्त देश जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस के जवान स्थिति से निपटने के लिए चौबीसों घंटे जुटे हैं, वह सराहनीय है। लेकिन सरकार की यह सारी कवायद तभी सफल हो पाएगी जब आमजन का इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। सोमवार को कई जगह ऐसा देखने में आया कि पूर्ण बंदी के बाद भी लोग सड़कों पर निकले। जबकि रविवार को देशभर में लोगों ने 'जनता कर्फ्यू' को कामयाब बनाते हुए यह संदेश दिया था कि कोरोना को हराने के लिए वह सरकार के साथ हैं। पिछले तीन दिनों में देश में कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उससे अब यह आशंका गहराती जा रही है कि कहीं हालात विस्फोटक रूप न ले लें। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या चार सौ के पार चली गई है। इस खतरे को देखते हुए ही देश के ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां लॉक डाउन यानी पूर्ण बंदी जैसा बड़ा और सख्त उठाया है। 31 मार्च तक देशभर में रेल सेवाएं, अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं, महानगरों में मेट्रो रेल सेवाएं और मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। घरेलू उड़ानें आज रात से बंद हो जाएंगी।

वास्तविकता यह है कि अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, उससे सरकार चिंतित है और लोग भयभीत। इस वक्त सबसे पहली और बड़ी चुनौती वायरस के फैलाव को रोकने की है। इसीलिए चीन और इटली जैसे देशों से सबक लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने पूर्ण बंदी जैसा बड़ा कदम उठाने का साहस दिखाया। दूसरी बड़ी समस्या है कोरोना संदिग्धों की पहचान। यह तो साफ हो चुका है कि पिछले दो महीनों में जो लोग चीन और यूरोप के देशों से लौटे हैं, उन्हीं में से कुछ या कई लोगों के साथ यह वायरस भारत पहुंचा और फिर फैलता गया। अब उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जो पिछले दो महीने में कोरोना प्रभावित देशों से भारत आए हैं। यह एक मुश्किल काम है। पहले ऐसे लोगों का पता लगाना और फिर यह देखना कि ऐसे लोग कितनों के संपर्क में आए होंगे, उनकी छानबीन करना। यह काम तभी संभव हो पाएगा, जब लोग सरकार के प्रयासों में पूरा सहयोग करेंगे।

पूर्ण बंदी जैसे कदम की घोषणा अचानक होने से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, उसे देखते हुए कठोर कदम उठाने और उन पर सख्ती से अमल भी जरूरी है। इस वक्त दुनिया के पैंतीस देशों में पूर्ण बंदी जैसा कदम उठाया गया है। ब्रिटेन ने लोगों से बारह हफ्तों तक घरों में रहने को कहा है। दुनिया के कई देशों ने तो इस समस्या से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज तक घोषित कर दिए हैं। पर जो हो, इस वक्त सबसे जरूरी है बीमारी को फैलने से रोकना। यही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय भी है। बिना जनसहयोग के कोरोना पर काबू पाना संभव नहीं होगा।

नक्सली नासूर

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों पर नक्सली हमले से एक बार फिर इस समस्या से पार पाने की चुनौती रेखांकित हुई है। वहां नक्सली समूह लंबे समय से सक्रिय हैं और उन पर काबू पाने में सरकार के प्रयास प्रश्नांकित होते रहे हैं। अक्सर नक्सली वहां घात लगा कर या फिर सीधे मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को चुनौती देते हैं। इससे पार पाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयास चलते रहे हैं, पर इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई है। अक्सर देखा जाता है कि खुफिया तंत्र और सुरक्षाबलों की तैयारी विफल साबित होती है। सुकमा में ताजा नक्सली हमला इसका एक और उदाहरण है। शनिवार को जब सुरक्षाबलों को जानकारी मिली कि सुकमा जिले के एलमागुड़ा में नक्सली गतिविधियां सक्रिय हैं, तो विभिन्न बटालियनों के करीब छह सौ जवान वहां रवाना कर दिए गए। मगर करीब ढाई सौ की संख्या में नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें सत्रह जवान मारे गए और करीब पंद्रह गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए जवानों के शवों को घने जंगल से रविवार को ही तलाश कर निकाला जा सका। इस घटना ने एक बार फिर इस चिंता को गाढ़ा किया है कि नक्सली समस्या पर काबू पाने के लिए सुरक्षबलों की तैयारियों को कैसे अधिक चाक-चौबंद किया जाए।

छत्तीसगढ़ में नक्सली समूह जंगलों पर आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इस संबंध में कई बार सरकार की तरफ से उनसे बातचीत के प्रयास भी हुए। केंद्र ने वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना हक को लेकर पुराने कानून में संशोधन किया और कंपनियों द्वारा उनकी अधिग्रहीत भूमि वापस लौटाने का अभियान चला। मगर अब भी नक्सली गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, तो इस मामले में नए सिरे से रणनीति बनाने की दरकार स्वाभाविक है। पहले आरोप लगता रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली समूहों से संवाद स्थापित करने में नाकाम रही है। पर अब वहां सरकार बदली है और उसका दावा है कि उसने आदिवासी समूहों के हितों के लिए काफी व्यावहारिक कदम उठाए हैं, इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। मगर यह नक्सली हमला सरकार के ऐसे तमाम दावों और विज्ञापनों आदि के जरिए प्रचारों पर सवाल खड़े करता है। अगर सचमुच सरकार के प्रयासों से आदिवासी समूह और नक्सली संतुष्ट होते तो शायद इस तरह के संघर्ष की नौबत न आती।

छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों पर काबू न पाए जा सकने के पीछे कुछ वजहें स्पष्ट हैं। छिपी बात नहीं है कि वहां नक्सली समूह स्थानीय लोगों के समर्थन के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इसलिए इस समर्थन को समाप्त करने की जरूरत पर शुरू से बल दिया जाता रहा है। मगर इसके लिए पहले स्थानीय आदिवासियों को नक्सलियों के विरुद्ध सेना की तरह तैयार करने का प्रयास हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया काफी उग्र रूप में हुई। फिर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच संवाद का जो सेतु कायम किया जाना चाहिए था, वह अभी तक ठीक से नहीं बन पाया है। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर विश्वास बहुत जरूरी है। इसी से सूचना तंत्र को पुख्ता बनाया जा सकता है। अगर स्थानीय स्तर पर खुफिया एजेंसियों और सुरक्षाबलों का सूचना तंत्र कारगर होता, तो नक्सलियों की साजिशों का समय पर पर्दाफाश होता और उन्हें मिलने वाली मदद, साजो-सामान को रोकने में कामयाबी मिल सकती थी। जबकि नक्सली इस मामले में अभी आगे देखे जा रहे हैं। जब तक सरकारें इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करेंगी, इस समस्या पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा।

कल्पमेधा

जो तर्क की सुने ही नहीं, वह कट्टर है; जो तर्क कर ही न सके, वह मूर्ख है और जो तर्क करने का साहस न कर सके, वह गुलाम है। - विलियम ड्रमंड

प्रदूषण का दंश

रवि शंकर

इक्कीसवीं सदी में जिस प्रकार से हम औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, उस सुख-समृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह खतरे की घंटी है। इसीलिए अब यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहे और जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छ वातावरण के निर्माण को शीर्ष पर रखे।

दुनियाभर में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले शहरों की सालाना सूची में भारत के शहर एक बार फिर शीर्ष पर हैं। इस सूची के पहले दस शहरों में से छह और पहले तीस शहरों में कुल इक्कीस शहर भारत के हैं। दुनिया के मुकाबले भारत में वायु प्रदूषण किस खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, यह इस सूची से पता चलता है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट- 2019 का यह आंकड़ा आइक्यूएआईआर के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। हर साल यह रिपोर्ट तैयार होती है। 2018 की रिपोर्ट में शीर्ष तीस प्रदूषित शहरों में भारत के बाईस शहर शामिल थे। वायु प्रदूषण में दक्षिण एशिया के तीस में से सत्ताईस शहर शामिल हैं, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहर भी हैं।

इसके उलट पड़ोसी देश चीन की राजधानी बेजिंग ने पिछले साल वायु गुणवत्ता में सुधार किया है। बेजिंग दुनिया के दो सौ सबसे प्रदूषित शहरों की सूची से बाहर हो गया है। लेकिन भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी नीतियों और प्रयासों के बावजूद हवा की गुणवत्ता पिछले पांच साल के दौरान काफी ज्यादा बिगड़ी है। जाहिर है, प्रदूषण की समस्या कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है और वह केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भारत में बड़े शहरों से इतर छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। वैसे तो आज पूरी दुनिया वायु प्रदूषण का शिकार का शिकार है, लेकिन भारत के लिए यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है।

अब समस्या इतनी व्यापक और गंभीर हो चुकी है कि दुनिया के सामूहिक प्रयास के बिना इससे निजात नहीं मिल सकती। आज के समय में हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक- पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम कैसे योगदान दें और दूसरा- खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। वायु प्रदूषण सिर्फ नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में वायु प्रदूषण भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक जहरीली हवा से हर साल सत्तर लाख लोगों की मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (एक्यूएलआइ) और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी औसतन साढ़े सात साल कम हो रही है। इससे स्पष्ट है कि भारत में बड़े शहरों से इतर अब छोटे-छोटे शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। उसमें घुला जहर लोगों को न सिर्फ धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, बल्कि उनकी मौत की वजह भी बन रहा है। हवा जहरीली और प्रदूषित होने का मतलब है कि उसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी जहरीले कणों के स्तर में वृद्धि होना। हवा में पीएम-2.5 की मात्रा 60 और पीएम-10 की मात्रा 100 होने पर इसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इससे ज्यादा हो तो वह बेहद नुकसानदायक हो जाती है।

ऐसी गंभीर स्थिति पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकारों को दीर्घकालीन नीतियां बना कर उन पर सख्ती से अमल करना होगा। लेकिन विकसित और विकासशील देशों में विकास के नाम पर आगे निकलने की होड़ ने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और ओजोन परत के क्षरण की समस्या ने मानव के अस्तित्व के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। प्रदूषण को बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवनशैली काफी हद तक जिम्मेवार है। प्रारंभ में जब प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बैठा कर रहते थे। लेकिन परंतु तकनीकी विकास और औद्योगीकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ

दिखाई पड़ रहा है। वह यह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर पूरी से तरह से बेखबर हैं।

सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? पानी प्रदूषित, नदियां प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित और हवा प्रदूषित। देश में बढ़ते प्रदूषण का मिजाज इसी तरह से बना रहा तो आने वाले कुछ दशकों में मानव के अस्तित्व को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होने वाला है, लिहाजा भारत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हुए तत्काल सार्थक और ठोस उपाय करने होंगे। जो थोड़े-बहुत प्रयास हो भी रहे हैं, वे बेअसर साबित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता सक्रिय रूप से भागीदार नहीं बन रही है। इसका नतीजा यह होता है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाया गया अच्छे से अच्छा कदम भी नाकाम हो जाता है। प्रदूषण की समस्या का स्थायी इलाज निकालने के लिए भारत कई दूसरे देशों से सबक ले सकता है। दरअसल, कई अन्य देश भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इन देशों में प्रदूषण से निपटने के कई तरीके अपनाए गए हैं, जिनसे उन्हें कुछ सफलता भी हासिल हुई है।

आज वायु प्रदूषण ऐसा गंभीर मुद्दा है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसे आपसी सहमति और ईमानदार प्रयासों के बिना हल नहीं किया जा सकता। वायु प्रदूषण को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम सभी नागरिकों और संगठनों से लेकर निजी कंपनियों और सरकारों तक को एक साथ मिल कर प्रयास करना होगा। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम-कानूनों और दिशानिर्देशों की कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि इन नियम-कानूनों को कहीं भी उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया, जितनी कि जरूरत थी। इस समय भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में घुलते जहर के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, इसलिए यह समस्या बहुआयामी है। दशकों से किसी भी सरकार या प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। अब नतीजा सामने है। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही एक एकीकृत योजना बना कर उसे गंभीरता से लागू करना भी होना चाहिए।

इक्कीसवीं सदी में जिस प्रकार से हम औद्योगिक विकास और भौतिक समृद्धि की ओर बढ़े चले जा रहे हैं, उस सुख-समृद्धि ने पर्यावरण संतुलन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह खतरे की घंटी है। इसीलिए अब यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहे और जीवन की प्राथमिकताओं में स्वच्छ वातावरण के निर्माण को शीर्ष पर रखे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम चेत नहीं रहे हैं। साल दर साल बीत जाने के बाद भी भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। वक्त कुछ करने का है न कि सोचने का।

भविष्य के लिए

ओवैस अहमद सिद्दीकी

हाल ही में मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने कॉलेज की एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वह नृत्य प्रतियोगिता थी, जो लगभग चार घंटे चली, जिसमें अलग-अलग कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनमें से कुछ का प्रदर्शन काफी सराहनीय था, जिन पर दर्शकों ने जमकर तालियां भी बजाईं। प्रतियोगिता समाप्त होने पर परिणाम आने में काफी समय लगा। देरी के कारण काफी प्रतियोगी और दर्शक बिना परिणाम जाने ही वहां से चले गए। परिणाम घोषित हुआ, जिस पर कुछ प्रतियोगी खुश थे तो कुछ काफी उदास भी नजर आ रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी अपने-अपने घर चले गए। प्रतियोगिता को देख कर समझ आ रहा था कि आखिर क्यों लोगों को आजकल 'बिग बॉस', 'डांस इंडिया डांस' या 'रोडीज' आदि रियलिटी शो अधिक पसंद हैं।

दरअसल, एक ओर ये लोगों को खुद में व्यस्त रखने में मदद करते हैं, वही उनका भरपूर मनोरंजन भी करते हैं। इस आयोजन में जाने के अनुभव को अगर मैं हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा और उसके प्रभाव को समझने के लिए करता हूं तो मौजूदा स्थिति को दो तरह की दृष्टि से देखता हूं। पहला, जिसके अनुसार दो समुदायों के कुछ लोग आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। दोनों समुदाय के सहयोगी सोशल मीडिया के जरिए अपने-अपने समुदायों को बढ़ावा देने में लगे हैं। नृत्य कार्यक्रम की तरह कुछ प्रतियोगी और दर्शकों को इसके परिणाम से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि उनका काम तो केवल उस हिंसा से मनोरंजन करना था। इसलिए अब वे वहां से निकल कर शायद अगली प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाते हैं। जिस तरह नृत्य प्रतियोगिता का परिणाम तैयार करने में उसके जूरी सदस्य ने पूरा समय लगाया, ताकि एक सही निर्णय लेकर परिणाम घोषित किया जा सके, उसी प्रकार हमारे राज्य की अदालत भी समय लगा कर सभी स्रोतों से जानकारी लेकर ही किसी नतीजे पर पहुंच सकती है और इसके लिए हम सभी को इंतजार भी करना होगा।

दुनिया मेरे आगे

दूसरी दृष्टि के मुताबिक, मुझे प्रतियोगी, दर्शक और जज इनमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि हिंसा जिस प्रकार एक भयावह रूप ले लेती है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हिंसा की यह प्रतियोगिता कोई और कर रहा है, कोई दूसरा इस प्रतियोगिता का दर्शक है और इसे सही या गलत बताने वाला कोई और है। ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में, चाहे वह दफ्तर में अपने सहकर्मियों के साथ खाने पर होने वाली बात ही क्यों न हो, हम खुद ही इसके प्रतियोगी बन गए हैं। फिर इसे अपने जैसों के साथ उस पर खुश या उदास होकर बांटने वाले दर्शक भी हम ही हैं।

फिर अगर मैं इन दोनों दृष्टि से आजाद होता हूं तो महसूस होता है कि यह कोई 'शो' नहीं है, यह सिर्फ 'रियलिटी' यानी हकीकत है जो इन दिनों हम सबके साथ बीत रहा है और जिसका दोष हम किसी खास नेता, घटना या व्यवहार पर लगा रहे हैं। वह चंद दिनों, महीनों या सालों की नफरत नहीं है किसी समुदाय के प्रति, बल्कि इसके पीछे हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कई छोटी-छोटी चीजें हैं, जिन पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते और ये चीजें धीरे-धीरे हम सभी के दिमाग में संचय होती रहती हैं। इस नफरत के पीछे वह हर एक फिल्म जिम्मेदार है, जिसमें किसी खास समुदाय या जाति या जनजाति को हिंसक और रूढ़िवादी रूप में प्रदर्शित करके लोगों के मन में उनकी बुरी छवि बनाई जाती है। इसके पीछे वे सभी टीवी चैनल जिम्मेदार हैं जो हर घटना का ब्योरा देते हुए बार-बार जनता से कहते हैं कि 'सच आपके सामने है और फैसला आपको ही करना है कि क्या सही है और क्या गलत'! उनके ये शब्द घटना के तुरंत बाद प्रयोग किए जाते हैं। वह भी बिना किसी जांच-पड़ताल और अदालत से उसका फैसला आने से भी पहले। इस नफरत के लिए वे निजी कंपनियां भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने करोड़ों की जनसंख्या को मुफ्त में फोन और इंटरनेट सेवाएं बांटी हैं, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी व्यक्ति बस एक क्लिक पर अपना यूट्यूब चैनल खोल कर प्रत्यक्ष रूप से सभी को सही और गलत का फैसला लेने के लिए उकसा रहा है।

इन सभी छोटे-छोटे बदलावों के बीच सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं, जिन्होंने ऐसी घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है! आखिर क्यों हमने अपने हर फैसले से पहले अपनी आने वाली पीढ़ियों और समाज पर उसके असर के बारे में सोचना बंद कर दिया है? मैं मानता हूं कि जो गलत है, उसे गलत कहना जरूरी है और दोषी को कड़ी सजा देना भी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पहले उस गलत को पहचानना जो किसी एक स्रोत से मिली जानकारी से नहीं हो सकता और न ही चुटकी बजाते ही हो सकता है। उसके लिए हम सभी को संयम बरतने की जरूरत है और जरूरत है एक दूसरे पर भरोसे की, क्योंकि कुछ गलत किसी भी शक्ल में भी हो सकता है।

आखिर कब तक?

इस बार नक्सलियों ने जिस तरह सीआरपीएफ के जवानों की हत्या का जो दुस्साहस किया है, उसका परिणाम भुगतने के लिए अब उन्हें तैयार रहना होगा। एक ओर भारत इन दिनों कोरोना महामारी के जूझ रहा है, वही दूसरी ओर नक्सली अपनी हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब नक्सलियों ने इतनी बड़ी संख्या में जवानों की हत्या की है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सली पिछले कुछ सालों में ऐसे बड़े हमलों को अंजाम देते रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक हमारे जवान इस तरह मारे जाते रहेंगे और कब तक हम इतनी सहजता से इस कायराना करतूत को सहन करते रहेंगे? कब तक सुकमा नक्सलियों का अखाड़ा बनता रहेगा? कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो वर्षों से देशवासियों को असहनीय वेदना दे रहे हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि नक्सलियों ने क्रूर इरादों को कुचलने का वक्त आ गया है। सरकार के एक आदेश से भारतीय सेना कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़, उडीसा सहित समस्त राज्यों से नक्सलवाद को सदा के लिए निस्तनाबूत कर सकती है। जो भारतीय सेना कुछ घंटों में ही दुश्मन मुल्क में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है, वह नक्सलियों का क्या हश्र कर सकती है, इसका अंदेशा शायद ही हमें हो। अतः नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार को साहसिक फैसले लेने की जरूरत है।

● *सुरेंद्र कुमार, मंडी (हिमाचल प्रदेश)*

भयावह हालात

चीन के वुहान शहर से आए कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। चिंता की बात यह है कि यह महामारी बहुत तेजी से फैल रही है और अभी तक इसका इलाज किसी भी देश के पास नहीं है। चीन, अमेरिका, इटली और इन जैसे अन्य विकसित देश जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं, वे भी आज इस महामारी के सामने बेबस हो चुके हैं। भारत में यह महामारी विदेश से आने वालों के जरिए पहुंची है। जाहिर है, समय रहते हवाई अड्डों पर बाहर से आए लोगों की अच्छी तरह से जांच नहीं हुई। अगर चीन और इटली की तरह यह महामारी भारत में भी फैल गई, तो तबाही कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। समस्या यह है कि चीन, अमेरिका, इटली जैसे देशों के मुकाबले भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने 22 मार्च को भारत को बंद रखा और लोगो से घरों में रहने की अपील की। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल के हालात इसकी भयावहता बताने के लिए काफी हैं। ऐसे में देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वह सरकार की ओर से दी जाने वाली हिदायतों का सख्ती से पालन करे और इस महामारी से लड़ने में सरकार का साथ दे।

● *राघव जैन, जालंधर*

कोरोना को चुनौती

हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के सभी नागरिकों ने कोरोना से निपटने में लगे स्वास्थ्य व अन्य कर्मियों को धन्यवाद कहने के लिए रविवार शाम पांच बजे पांच मिनट तक जिस तरह से शंख, ताली, थाली बजाई, वह किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब भारत में जनता कर्फ्यू को व्यापक समर्थन अनेकता में एकता की भी मिसाल देता है। जब कदम सबके साथ उठते हैं तो हर चुनौती छोटी हो जाती है। अगर हम सभी थोड़े दिन और सावधानी बरतें और अपने घरों में रहे तो कोरोनावायरस कहीं से भी आया हो, हार कर भारत से ही जाएगा।

● *हर्षवर्धन सिंह, रायबरेली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

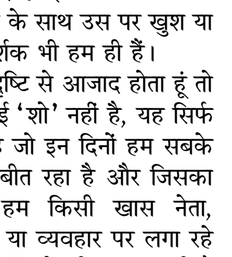

संयोग या प्रयोग!

यह तो अब लगभग साफ हो चुका है कि इक्कीसवीं सदी में मानव समुदाय के लिए सबसे बड़े वैश्विक संकट के रूप में सामने आए कोरोनावायरस का जन्म चीन के वुहान शहर से ही हुआ। चीन ने कोरोना जैसे घातक वायरस की जानकारी होने पर भी महीनों तक दुनिया से इस हकीकत को छुपाए रखा। इस कारण चीन विश्व मानव समुदाय का अपराधी भी है, क्योंकि जब यह वायरस विदेशों में फैलने लगा, तब जाकर चीन ने इस घातक वायरस के विषय में दुनिया को बताया। अगर चीन ने इस बारे में पहले ही बता दिया होता तो इसे दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ करने के बजाय उन डॉक्टरों को दंडित करना प्रारंभ कर दिया जो इसके खतरनाक सत्य को बता रहे थे। चीन के लिए वुहान शहर खास इसलिए है, क्योंकि चीन में वुहान ही वह जगह है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक जैविक प्रयोगशाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। सन 2015 में वुहान टेलीविजन पर इस इंस्टीट्यूट का प्रसारण हुआ था, जिसमें इसकी जैविक हथियार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया था। कोरोना वायरस का वुहान में अचानक आना मात्र एक संयोग है या चीन की प्रयोगशाला का प्रयोग है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका।

● *आकाश सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय*

बदहाली का आलम

देशों की खुशहाली के आधार पर विश्व खुशहाली दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एक सौ छप्पन देशों की सूची में भारत चार पायदान फिसल कर नीचे से तेरहवें स्थान पर आ गया है, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की स्थिति कहीं बेहतर है। यह रिपोर्ट जीडीपी, सामाजिक सहयोग और भ्रष्टाचार जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर आधारित है। भारत के लिए यह बेहद चिंताजनक है। इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए, वहीं जीडीपी में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है। यही वे बड़े कारण हैं जिसके फलस्वरूप देश में बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है।

● *अली खान, जैसलमेर*

www.readwhere.com

कोरोना कोप

बोल

कोविड-19 के प्रकोप के बाद, चीन और भारत के बीच संवाद कायम हैं और दोनों के बीच सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की विपत्ति के दौरान चीन के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी।

-गेंग शुआंग, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

विवाद

मैं चीन से थोड़ा सा नाराज हूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं क्योंकि मैं चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पसंद करता हूं और उनका तथा उनके देश का सम्मान करता हूं।

-डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका

सम-सामयिक

एनपीआर व जनगणना : कोरोना से देरी पर आगे क्या तैयारी

जनसत्ता संवाद

कोरोना विषाणु का प्रकोप भारत में तेजी से फैलता जा रहा है और इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है कि जनगणना और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनपीआर) तैयार करने की कवायद में देरी हो सकती है। एक अप्रैल से यह कवायद शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसमें देरी होना तय है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना विषाणु की वजह से एक अप्रैल की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। मंत्रालय का मानना है कि जनगणना करने वाले अधिकारियों की कमी की वजह से यह प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। ऐसे में मंत्रालय वैकल्पिक उपायों की तलाश कर रहा है, जिससे दोनों काम किए जा सकें।

लेकिन इस बारे में तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना विषाणु के बावजूद जनगणना और एनपीआर के लिए अगर खुद से जनगणना का तरीका अपनाया जाता है तो इससे सटीक आंकड़े नहीं मिल पाएंगे। जनगणना के लिए खुद से ऐप के जरिए भी डेटा दिया जा सकता है, जिसकी व्यवस्था की गई है।

इस बार का मतगणना और एनपीआर का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। नागरिकता कानून को लेकर चल रहे विवाद में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) को अपडेट करने का मुद्दा भी विवादों में आया था। कई राज्य सरकारें इसका विरोध कर रही हैं। एनपीआर अपडेट करने और अगले साल की जनगणना के लिए हो रही ट्रेनिंग रोक दी गई है। करीब 30 लाख कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं कि यह काम कब दोबारा शुरू होगा। कई राज्य सरकारों ने भी कोरोना विषाणु की वजह से इन दोनों को टालने की मांग की है।

कई राज्य सरकारें एनपीआर का विरोध कर रही हैं और कुछ विधानसभाओं ने इस पर आपत्तियां जताते हुए प्रस्ताव भी पारित किए थे। जो राज्य एनपीआर का विरोध कर रहे हैं उनमें केरल, बंगाल, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों ने यह भी कहा था कि वे जनगणना के लिए घरों को सूचीबद्ध करने की कवायद में सहयोग करेंगे।

जनगणना और एनपीआर टालने को लेकर इस मामले में सरकार में सर्वोच्च स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। पिछले हफ्ते ही गृह मंत्रालय ने कहा था कि जनगणना-2021 और एनपीआर को अपडेट करने की तैयारियां चरम पर हैं और ये कवायद एक अप्रैल से शुरू होंगी।

गृह मंत्रालय में चल रही इस सोच के बीच ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना संकट के कारण जनगणना से जुड़ी गतिविधियों और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी सर्वे को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। पटनायक के मुताबिक, इस वक्त राज्य प्रशासन से जुड़ी पूरी मशीनरी कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटी है। ऐसे में जनगणना और एनपीआर से जुड़े सर्वे की गतिविधियां शुरू होने से कर्मचारियों और लोगों को जोखिम हो सकता है।

कवायद का स्वरूप

एनपीआर सर्वे में घरों की संख्या निर्धारित करने (नंबरिंग) के साथ उस घर में रहने वाले मुखिया सहित परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाएगी। निवासी का नाम, घर के स्वामी के साथ उसका संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम (विवाहित होने पर), लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता (घोषित), स्थायी और अस्थायी पता, अस्थायी पता पर निवास की अवधि, पेशा और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी होगी।

शोध

मधुमेह, अस्थमा हो तो विषाणु का ज्यादा खतरा

जनसत्ता संवाद

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने कोरोना संक्रमण को देख मधुमेह और अस्थामा के मरीजों के लिए कुछ जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। दरअसल, ऐसे लोगों की स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए या देखा गया कि ऐसे रोग से पीड़ित होने के कारण इन्हें संक्रमण होने के बाद तेजी से अन्य कई प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं।

भारत में कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली कुछ जगह को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी कई जगहें हैं, जहां भीड़ मिलेगी। मधुमेह के मरीजों को ऐसी जगह पर जाने से बचने को कहा गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। रक्त में शर्करा की ज्यादा मात्रा होने के कारण ऐसे पीड़ितों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है।

डब्लूएचओ के मुताबिक कोरोना विषाणु किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन उन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है, जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या जो उम्रदराज हैं। विज्ञान पत्रिका 'द लांसेट जर्नल' के एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग उम्रदराज हैं या जिन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां हैं, उन्हें खतरा है।

यह अध्ययन चीन में वुहान के दो अस्पतालों के 191 मरीजों पर किया गया। मर चुके और स्वस्थ्य हो गए- दोनों तरह के लोगों की बीमारी के बारे में अध्ययन किया गया। पत्रिका के मुताबिक, जो नमूने लिए गए उनमें से 58 को उच्च रक्तचाप, 36 को मधुमेह और 15 को दिल संबंधी बीमारियां थीं। इन 191 मरीजों की उम्र 18 से 87 साल तक थी। ज्यादातर मरीज पुरुष थे। देखा गया कि जिन मरीजों की मौत हुई, उनमें से उम्रदराज मरीजों में से अधिकतर में अस्पताल में भर्ती होते समय सेप्सिस के लक्षण थे। उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह था।

विज्ञान पत्रिका 'द लांसेट जर्नल' के एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग उम्रदराज हैं या जिन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियां हैं, उन्हें अधिक खतरा है। यह अध्ययन चीन में वुहान के दो अस्पतालों के 191 मरीजों पर किया गया जिनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी जबकि कुछ स्वस्थ हो गए थे।

जहां तक भारत का सवाल है, यहां मधुमेह के मरीजों की संख्या ज्यादा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक, भारत में 2019 तक मधुमेह के मरीजों की संख्या 7.7 करोड़ थी। दूसरी ओर, ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत में 1.31 अरब लोगों को अस्थमा है जिनमें छह फीसद बच्चे और दो फीसद वयस्क हैं। भारत में संक्रमित लोगों में कितनों को मधुमेह या अस्थमा था, इसके आंकड़े जमा किए जा रहे हैं।

पत्रिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो यह जरूरी नहीं कि उसे कोरोना संक्रमण दूसरों के मुकाबले जल्द हो जाए, लेकिन संक्रमण के बाद हालात अन्य मरीजों से ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। डब्लूएचओ ने 'द लांसेट जर्नल' की रिपोर्ट आने के बाद परामर्श जारी किया है, जिसमें अस्थमा के मरीजों के लिए कहा गया है कि वे डॉक्टर द्वारा बताया गया अपना इनहेलर लेते रहें, इससे किसी विषाणु के कारण होने वाले अस्थमा दौरे का खतरा कम हो जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मुताबिक, जिन लोगों को टाइप एक और टाइप दो डायबिटीज है, उनमें कोरोना विषाणु के गंभीर लक्षण हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण में सांस संबंधी समस्या हो जाती है। विषाणु गले, श्वसन नली और फेफड़ों पर असर डालता है। ऐसे में पहले से कोई दिक्कत होने पर इलाज करना और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अगर फ्लू के लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोरोना विषाणु का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि व्यक्ति का शरीर खुद विषाणु से लड़ने में सक्षम हो जाए।

विश्व परिक्रमा (कोरोना)

स्पेन में 27 फीसद का इजाफा

स्पेन में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 462 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में घातक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,182 पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक दिन पहले जारी आंकड़ों की तुलना में मृत्यु दर में 27 फीसदी का इजाफा हुआ है। स्पेन में कोविड-19 के मामलों की संख्या 33,089 हो गई है। यह देश चीन और इटली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है।

ईरान में 23 हजार से अधिक संक्रमित

ईरान में कोरोना वायरस से 127 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में इस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 1,812 पहुंच गई। वहीं, ईरान में संक्रमण के 23,049 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।पश्चिम एशिया में ईरान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित और लोगों को पृथक करने के लिए जल्दी सख्त कदम नहीं उठाने के लिए आलोचना का सामना कर रहा है।

चीन में स्थानीय स्तर पर कोई मामला नहीं

चीन में सोमवार को स्थानीय स्तर पर जानलेवा कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया लेकिन विदेशों से संक्रमित होकर आने वाले लोगों की संख्या 39 और बढ़ गई है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि वायरस से नौ और लोगों की मौत हुई है और ये सभी मौत सर्वाधिक प्रभावित वुहान में हुई। हुबेई प्रांत और राजधानी वुहान और करीब 5.6 करोड़ लोगों को घरों में बंद करने के चीन के नाटकीय कदम के बाद संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई और लगातार पांच दिन तक प्रांत में कोई मामला सामने नहीं आया।

न्यूजीलैंड में भी बंदी

कोरोना विषाणु के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अन्य देशों की तरह ही न्यूजीलैंड ने भी पूरे देश में बंदी का एलान किया है। इस दौरान सभी अनावश्यक सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहेंगे ताकि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले खुद को बहुत तेजी से बंद किया है।

जानें-समझें

तैयारी तीसरे चरण की

सामुदायिक संक्रमण और अलगाव का डर

दीपक रस्तोगी

कोरोना संक्रमण को लेकर डब्ल्यूएचओ की ओर से हाल में जारी चेतावनियों को लेकर भारत में सामुदायिक संक्रमण (कम्युनिटी ट्रांसमिशन) के कारण सामाजिक विलगाव (सोशल डिस्टैंसिंग) और सामाजिक कलंक (सोशल स्टीग्मा) की भावना के लोगों में महामारी की तर्ज पर फैलने की आशंकाओं की चर्चा तेज हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण अभी दूसरे चरण पर है। यानी अभी यह स्थानीय स्तर पर लोगों को संक्रमित कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर यह तीसरे चरण यानी सामुदायिक संक्रमण पर पहुंचा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के वैज्ञानिक यह पता लगाने में जुटे हुए हैं और अभी तक आश्वस्त किए जा रहे हैं कि कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन उनके दावों पर सवाल उठने लगे हैं? सामुदायिक संक्रमण यानी जहां एक संक्रमित व्यक्ति का यात्रा इतिहास उपलब्ध नहीं होता या वह कैसे संक्रमित हुआ, इसका पता नहीं चल पाया हो।

क्यों उठ रहे सवाल

कोविड-19 के दो मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनके यात्रा इतिहास का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। शक के घेरे में आए दो मामलों में से एक तमिलनाडु का रहने वाला 20 साल का युवक है, जिसका टेस्ट 21 मार्च को पॉजिटिव आया था। विशेषज्ञ यह पता नहीं कर पाए कि वह कहां से संक्रमित हुआ। वहां के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने इसे घरेलू मामला कहा, जिसका कोई यात्रा इतिहास नहीं है। दूसरा मामला पुणे की 41 साल की महिला का है, जिसकी हालत अब गंभीर है। उसके मामले की पुष्टि 20 मार्च को हुई थी। तमिलनाडु के पुरुष की तरह ही उसका भी कोई यात्रा इतिहास नहीं है। दोनों ही मामलों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने 21 मार्च, 2020 को कहा कि हम अभी भी दोनों के संपर्क का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के मामले में संपर्क की पहचान तय करने के दिनों की संख्या की एक सीमा थी, जिसके बाद यह घोषित किया गया था कि संपर्क का पता नहीं लगाया जा सकता है।

क्या कहते हैं जानकार

देश में कोरोना से संक्रमण के मामलों में वृद्धि की वजह प्रभावित देशों से भारतीयों की वापसी हो रही है। 80 फीसद मामलों में यह सामान्य बीमारी है। 20 फीसद मामलों में कोविड-19 से बुखार और खांसी होती है। पांच फीसद संक्रमितों को भर्ती कराने की जरूरत होती है।

- डॉ. बलराम भार्गव, महानिदेशक, आइसीएमआर

इसे सामुदायिक प्रसार नहीं माना जाएगा। लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। एक या दो मामले व्यापक सामुदायिक प्रसार का मामला नहीं हो सकते, लेकिन इसके संकेत जरूर हो सकते हैं।

-टी जैकब जॉन, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च फॉर वाइरोलॉजी के पूर्व प्रमुख

डब्लूएचओ ने क्या कहा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को स्थानीय प्रसारण वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है। देश में नौकरशाहों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच स्थानीय और समुदाय संक्रमण के अंतर एवं सामाजिक कलंक को लेकर शास्त्रीय बहस चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थानीय को ज्ञात, स्थानीय सामुदायिक संपर्कों के चलते संक्रमण के रूप में परिभाषित किया। यह बड़े समुदाय से इस तरह से भिन्न है कि जहां संक्रमित व्यक्ति से सीधे संबंध न स्थापित किया जा सके। स्थानीय और सामुदायिक प्रसारण के बीच यह भेद भ्रामक है, यह देखते हुए कि स्थानीय लोग जिनके संपर्क में हैं, वे अपने स्वयं के संपर्कों के साथ एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। यह देखते हुए इस बहस की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि डब्लूएचओ के पास देश में वायरस फैलने के दो मापदंड हैं, एक विदेश से आए व्यक्ति के द्वारा व दूसरा स्थानीय प्रसारण के जरिए।

परीक्षण मानदंड और गणितीय मॉडल

सिर्फ दो दिन पहले आइसीएमआर ने 826 नमूनों के परिणाम सार्वजनिक किए। इन्हें गंभीर सांस की बीमारी से पीड़ित उन लोगों से एकत्र किए गए थे, जिनका अंतरराष्ट्रीय यात्रा और संक्रमित व्यक्ति से संपर्क का कोई इतिहास नहीं था। उन सभी का नोवेल कोरोना वायरस (सार्स-सीओवी-2) निगेटिव पाया गया था। आइसीएमआर ने दावा किया था कि परीक्षण मानदंडों का विस्तार करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि, 21 मार्च की सुबह इसने उन लोगों की भी कोविड -19 जांच कराए जाने की अनुमति दे दी, जिन्हें सांस की गंभीर बीमारी थी और जिनका कोई यात्रा या संपर्क इतिहास नहीं था। यह प्रयोग के स्तर पर है। जानकारों की राय में ऐसे लोगों के लिए परीक्षण उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां तो हैं, लेकिन पिछले 14 दिनों में विदेश यात्रा नहीं की है और उनकी कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है। आइसीएमआर के वैज्ञानिक डॉ. आरआर गंगाखेड़कर के मुताबिक, अगले 24 से 36 घंटों में यह पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस ने भारत में सामुदायिक संक्रमण शुरू किया या नहीं। यह पता करने के लिए गणितीय मॉडल पर काम चल रहा है।

क्या हुई कवायद

15 से 29 फरवरी के बीच आइसीएमआर ने श्वसन संबंधी बीमारियों वाले 20 नमूनों का रैंडम परीक्षण किया ताकि पता लगाया जा सके कि भारत में कोविड-19 का सामुदायिक संक्रमण हुआ है या नहीं। नमूनों को देश भर के विभिन्न वायरल अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर परीक्षण के जरिए यह जांचने के लिए भेजा था कि क्या वे कोविड-19 से संक्रमित हैं। आरटी-पीसीआर एक आणविक जीवविज्ञान तकनीक है, जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड कोर की जांच करती है। आइसीएमआर ने कहा कि उसे उन नमूनों में कोविड-19 का कोई सबूत नहीं मिला और इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि भारत में सामुदायिक संक्रमण नहीं है। जानकारों की राय में अगर हम इन नमूनों की औसत तिथि 22 फरवरी मानते हैं, तो तीन सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। दरअसल, कोविड-19 के लिए तीन सप्ताह का अर्थ है महामारी के विकास का जीवनकाल। उदाहरण के लिए इटली में अल्प अवधि में घातक वृद्धि दिखाई दी। आइसीएमआर ने पिछले हफ्ते भी 800 से अधिक नमूनों का रैंडम परीक्षण किया और उसमें भी सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।

व्यक्तित्व

आई फेन : कोरोना पर चीन की पोल खोलने वाली डॉक्टर

जनसत्ता संवाद

कोरोना विषाणु के संक्रमण को लेकर गफलत किस स्तर पर हुई और कहां हुई, इस बारे में अब जाकर सबसे खतरनाक खुलासा हुआ है। यह सामने आने लगा है कि चीन के वुहान से ही कोरोना विषाणु फैला था। तब चीनी चिकित्सकों ने पता भी कर लिया था कि यह विषाणु अलग है, जानलेवा और खतरनाक है और ये बहुत तेजी से फैलेगा, लेकिन चीन की सरकार और अधिकारियों ने डॉक्टरों को कुछ भी बोलने से मना कर दिया था।

वुहान में जिस डॉक्टर ने सबसे पहले इस विषाणु की बात की, उसकी मौत हो गई और चौंकाने वाली बात तो यह है कि विषाणु फैलने के बाद से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कोविड-19 कोरोना विषाणु को खोजने वाले डॉक्टरों में से एक आई फेन ने चीन के सरकारी तंत्र को लेकर बड़ा एक खुलासा किया है। वुहान की डॉक्टर आई फेन ने कहा मेरे कई साथी इस बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज करते वक्त मर गए, लेकिन दिसंबर में जब हमने इस विषाणु के बारे में आला सरकारी अधिकारियों को बताया तो हमें चुप रहने को कहा गया था।

डॉ. आई फेन ने चीनी की मैगजीन रेनवू को एक इंटरव्यू में ये सारी बातें बताईं। डॉ. फेन वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में आपातकालीन विभाग की निदेशक हैं। डॉ. फेन ने बताया कि उन्हें धमकाया गया था कि अगर आप इस विषाणु के बारे में किसी से भी बात करेंगी तो अंजाम बेहद बुरा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथी और इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाने वाले डॉक्टर अभी जेल में हैं।

इंटरव्यू में डॉ. फेन ने बताया कि मुझे यह पता होता कि यह विषाणु इतने लोगों की जान ले लेगा तो मैं चुप नहीं बैठती। मैं पूरी दुनिया में ये बात सभी को बताती। जिस भी माध्यम से कह पाती मैं ये जानकारी सभी को देती। फिर चाहे मुझे कोई जेल में ही क्यों न डाल देता।

यह इंटरव्यू दुनिया भर में वायरल हो रहा है। इसके बाद चीन की सरकार के दबाव में रेनवू ने अपनी साइट से यह इंटरव्यू हटा दिया है। चीन की सोशल मीडिया साइट्स पर से भी डॉ. फेन का इंटरव्यू गायब हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। अब डॉ. फेन का इंटरव्यू इमोजी और मोर्स कोड में बदलकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।

डॉ. फेन के मुताबिक, 30 दिसंबर को प्रयोगशाला में पता चला कि यह विषाणु सार्स कोरोना विषाणु जैसा है। डॉ. फेन ने रिपोर्ट की तस्वीर लेकर अपने वरिष्ठों और सरकारी अधिकारियों को भेजी। शाम तक यह तस्वीर वुहान के सभी डॉक्टरों के पास पहुंच गई। डॉक्टर ली वेनलियांग ने इसे सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया भर को बताया कि नया कोरोना विषाणु फैल रहा है। रात में अस्पताल प्रबंधन का मैसेज आया कि डॉक्टर फेन आप इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएंगी। दो दिन बाद उन्हें धमकी दी गई।

www.readwhere.com

कोरोना : कैदियों की पैरोल पर रिहाई पर विचार के लिए समिति गठन का निर्देश

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए कैदियों के ऐसे वर्ग का निर्धारण किया जाए, जिन्हें चार से छह हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सकता है जिन्हें सात साल की कैद हुई हो या फिर उनके खिलाफ ऐसे अपराध में अभियोग निर्धारित हो चुका हो जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान हो। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पीठ ने कहा कि यह उच्च स्तरीय समिति कैदियों की रिहाई के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से काम करेगी।

पीठ ने कहा, 'हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य चार से छह सप्ताह के पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने योग्य कैदियों के वर्ग का निर्धारण करने के लिए गृह सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के

तीन हजार कैदियों को रिहा करने की तैयारी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि वे करीब तीन हजार कैदियों को रिहा करने की योजना बना रहे हैं ताकि कोरोना के खतरे को देखते हुए जेल में भीड़भाड़ कम की जा सके। जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा, 'हम आगामी तीन-चार दिनों में करीब 1500 दोषियों को पैरोल या फरलो पर रिहा करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष की सदस्यता वाली उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी।' शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के नाम से चर्चित इस महामारी की वजह से जेलों में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास में इन कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से उत्पन्न खतरे और इससे निबटने की तैयारियों को ध्यान में रखते हुये शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को स्वतः ही इस मामले का संज्ञान लिया था। न्यायालय ने कहा था कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से उनके लिए कोरोना वायरस, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है, से बचाव के लिये एक दूरी बनाकर रखना बहुत मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया था कि अगर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भारत में हालत खराब हो सकते हैं। न्यायालय ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि देश में 1,339 जेलों में करीब 4,66,084 कैदी हैं। न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारतीय जेलों में 117.6 फीसद कैदी हैं जबकि उत्तर प्रदेश की जेलों में तो 176.5 फीसद कैदी हैं। न्यायालय ने कहा था कि इन जेलों के अनेक कर्मचारी नियमित रूप से जेल के भीतर जाते हैं और इसी तरह मुलाकाती और वकील भी जेल पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में जेल के कैदियों के लिये भी कोविड-19 से संक्रमित होने का बहुत ज्यादा खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट परिसर के सभी वकीलों के कक्ष होंगे बंद

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु महामारी के मद्देनजर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत परिसर और इसके आसपास स्थित वकीलों के सारे कक्ष सील करने का सोमवार को निर्णय लिया और कहा कि अत्यावश्यक होने की स्थिति में सिर्फ एक न्यायालय ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। आदेश के तहत मंगलवार शाम पांच बजे तक वकीलों को अपने कक्ष बंद करने होंगे। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाएगा। किसी भी सफाईकर्मी को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वकीलों और अन्य स्टाफ के सदस्यों के प्राक्सिमिटी प्रवेश कार्ड भी सोमवार से रद्द किए जा रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि किसी बेहद जरूरी वजह से न्यायालय परिसर में प्रवेश के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ही किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं।

पीठ ने कहा, हम परिसर में अधिवक्ताओं का समागम नहीं चाहते। अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में एक बार सिर्फ एक न्यायालय ही बैठेगी और वो भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से। हम उन वकीलों के साथ वीडियो लिंक साझा करेंगे जिनका मामला सूचीबद्ध होगा और वे अपने कक्ष या घर से बहस कर सकेंगे।

जम्मू कश्मीर में अब जाकर आम लोगों तक पहुंचा लोकतंत्र : राकेश सिन्हा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

जम्मू कश्मीर बजट बहस के दौरान राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति से अब तक जम्मू कश्मीर ग्रसित था। भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर को इस राजनीति से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आम लोगों के घर पहुंचा है और जनता का कल्याण हुआ है लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर घड़ियाली आंसू बहा रही है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक करोड़ लोगों के लिए दो एम्स और लगभग 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं और क्या चाहिए? अब अर्बन सीलिंग एक्ट भी जाएगा। एक्ट का लाभ जनता को मिलेगा। जिन लोगों ने बड़ी-बड़ी जमीन कब्जा कर रखी हैं, वे जमीन आम लोगों तक जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत के ही कुछ लोगों की वजह से जो जम्मू कश्मीर के संबंध में गलत बयानी कर भ्रम फैलाया जा रहा है, उन अखबारों की निंदा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 का खत्म होना तीन क्रांति का द्योतक है। इसमें पहली सामाजिक क्रांति है। यह इसलिए है क्योंकि उस राज्य में लगभग 30 फीसद ओबीसी हैं। आज तक उनकी गिनती नहीं हुई है। 10 से 12 फीसद एसटी लोग रहते हैं, जिन्हें

कहा हम सभी जाति वर्गों को समान अधिकार दे रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशानियां हो रही हैं।

कोई आरक्षण नहीं मिलता है। केवल दो फीसद लोगों को ही आरक्षण मिलता था। पहली बार यहां एक बैकवर्ड कमीशन की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी जाति वर्गों को समान अधिकार दे रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को परेशानियां हो रही हैं।

अब जम्मू कश्मीर की पंचायतों को दो हजार करोड़ से अधिक का फंड सीधे दिया जा रहा है। ये पैसे तो पहले भी कम अनुपात में वहां जाते थे लेकिन पैसे पंचायत के पास नहीं जाकर, परिवारों के पास जाते थे। यह पैसा अब जनता तक पहुंच रहा है। धारा 370 व 35 ए खत्म होने के बाद वहां जो अधिकारी का काम कर रहे हैं उन्हें डोमिसाइल दिया गया है। पहले उन्हें यह प्राप्त नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं।

दुष्यंत गौतम ने ली राज्यसभा की शपथ

जनसत्ता ब्यूसरो
नई दिल्ली, 23 मार्च।

भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर गौतम ने शपथ ली। उन्होंने ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली। गौतम हरियाणा से उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू और सदस्यों ने गौतम के शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

पेट्रोल-डीजल पर बढ़ सकता है उत्पाद शुल्क

पेज 1 का बाकी

प्रति लीटर तक शुल्क बढ़ाया गया। सरकार द्वारा 14 मार्च को की गई वृद्धि के बाद विशेष उत्पाद शुल्क इसके लिए कानून में दी गई अधिकतम सीमा तक पहुंचा गया था। यह सीमा पेट्रोल के मामले में 10 रुपए और डीजल के मामले में चार रुपए प्रति लीटर थी। सरकार ने अब वित्त विधेयक की आठवीं अनुसूची में संशोधन करते हुए इस सीमा को पेट्रोल के मामले में बढ़ाकर 18 रुपए और डीजल के मामले में 12 रुपए प्रति लीटर कर दिया है।

यह संशोधन सरकार को भविष्य में शुल्क बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। इस समय पेट्रोल-डीजल पर इस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह वृद्धि कर सकती है।

एक अरब आबादी को घर में ही रहने की हिदायत

पेज 1 का बाकी

को दो से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की घोषणा की। एक संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद से वह खुद पृथक रह रही हैं।

यूरोप की तरह ही दुनिया के अन्य देशों में भी बंद पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ रहा है। जॉर्जिया द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद तिबलिसी में होटल मालिक तामरिको सिकरुलिड्जे ने बताया, 'यह दिल दुखाने वाला है। हमने सफल पर्यटक मौसम की तैयारी में काफी निवेश किया था।'

स्पेन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संसद से आपातकाल की स्थिति को 15 दिन और बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। इसके तहत अत्यावश्यक न होने पर लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होती। स्पेन में रविवार को 400 और लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,720 तक पहुंच गया जिससे संकेत मिलता है कि बंदी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो रहा। फ्रांस में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 674 पहुंच गया और यहां लोग घरों के अंदर ही नजर आए। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और पेरिस के मेयर ने कहा कि और सख्त उपाय अपनाए जा सकते हैं।

ब्रिटेन में भी ऐसे ही उपाय अपनाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी है कि इटली जैसे आंकड़े कुछ ही हफ्ते में ब्रिटेन में भी देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां एक तिहाई से ज्यादा नागरिक किसी न किसी तरह के बंदी का सामना कर रहे हैं। इनमें न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजिलिस शामिल हैं। देश में संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात की गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि आने वाले 10 दिनों में शहर में जीवन रक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) की कमी हो जाएगी।

मुंबई में लोकल ट्रेनें 31 मार्च तक बंद

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर लोकल और अन्य ट्रेन सेवाएं 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई हैं। ऐसे में जरूरी कार्यों और आपात सेवाओं के लिए सरकार ने बड़ी संख्या में बसें चलाई हैं।

लोकल बंद होने के बाद लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें और बृहन्मुंबई महानगर पालिका परिषद की बेस्ट बसें मुंबई में विभिन्न रूटों पर चलाई गई हैं। बेस्ट के प्रवक्ता ने बताया, 'सोमवार सुबह 10 बजे तक हमने करीब 1,940 बसें चलाई हैं।' मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों का संचालन मध्य और पश्चिम रेलवे करते हैं और करीब 3,000 सेवाओं में 80 लाख से ज्यादा लोग रोज यात्रा करते हैं। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया, 'रविवार मध्यरात्रि से 31 मार्च तक सभी लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी।'

108 नए मामले, नौ की मौत

पेज 1 का बाकी

हैं जबकि दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पंजाब, बिहार, बंगाल और हिमाचल का एक-एक शख्स शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे अधिक 74 संक्रमण के मामले महाराष्ट्र से आए हैं जिनमें तीन विदेशी शामिल हैं। केरल में 67 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है जिनमें सात विदेशी हैं। दिल्ली में एक विदेशी सहित कुल 29 लोगों को कोरोना विषाणु का संक्रमण हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक विदेशी सहित 31 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में 33 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में दो विदेशी सहित 28 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब में 21 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 14 विदेशी सहित 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में 29 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सात, उत्तराखंड में तीन, लद्दाख में 13, जम्मू कश्मीर में चार, चंडीगढ़ में छह, तमिलनाडु में सात, पुदुचेरी में एक, ओड़ीशा में दो, मध्य प्रदेश में छह, हिमाचल प्रदेश में दो, छत्तीसगढ़ में एक, बिहार में दो और आंध्र प्रदेश में सात लोगों को अब तक कोरोना विषाणु संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।

निजी प्रयोगशालाएं जांच के लिए तैयार : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के पास 12 निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं ने पंजीकरण कर लिया है। ये जल्द ही कोरोना विषाणु संक्रमण की जांच करना शुरू कर देंगी। अभी देश भर में मौजूद 111 सरकारी प्रयोगशालाएं जांच का कार्य कर रही हैं जिनकी 70 हजार जांच प्रति हफ्ते की क्षमता है। आइसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टार बलराम भार्गव ने बताया कि 12 निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं ने हमारे पास पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि देश में इनके 15 संग्रहण केंद्र हैं। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इसके अलावा दो कंपनियों ने जांच किट उत्पादन के लिए भी हमारे पास पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे पास जांच की सुविधा और किट की कोई कमी नहीं होगी।

25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद

पेज 1 का बाकी

है। भारत पहले ही रविवार से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा चुका है।

मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक, '24 मार्च 2020 की मध्यरात्रि, भारतीय मानक समयानुसार रात 23:59 पर सभी घरेलू व्यावसायिक विमानन कंपनियों के संचालन बंद हो जाएंगे।' प्रवक्ता ने कहा, 'विमानन कंपनियों को अपना संचालन इस प्रकार तय करना होगा कि वे 24 मार्च, 2020 रात 23:59 तक अपने गंतव्य पर उतर जाएं।' हालांकि, प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह पाबंदी मालवाहक जहाजों पर लागू नहीं होगी।

इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों को कहा था कि वे ऐसे लोगों को विमान में सवार ना होने दें, जिनके हाथों पर 'होम क्वारेंटाइन' (घर में पृथक रहने) की मुहर लगी हो।

शिवराज चौहान फिर बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

पेज 1 का बाकी

प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग करे।' शर्मा ने बताया कि भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भोपाल में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सभी विधायकों से हमने अनुरोध किया गया था कि वे किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ में लेकर न आएं। केवल विधायक उपस्थित रहेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मास्क से लेकर बाकी जो सारे मानदंड हैं, बैठने में डेढ़ मीटर की दूरी हो, इन सारे मानदंडों के तहत ही बैठक हुई और उसी के तहत शपथ ग्रहण का समारोह भी हुआ।

शर्मा ने कहा, हमने विधायकों से कहा कि आप किसी प्रकार के अपने सहयोगी, स्टाफ, गनमैन को लेकर न आएं। उन्होंने बताया कि इन विधायकों के लिए मास्क व सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई। शर्मा ने कहा, सोमवार को केवल मुख्यमंत्री ने शपथ ली। उसके बाद बाकी चीजें आगे होंगी।

सीमा पर पुलिस से वाहन चालकों की नोकझोंक, धारा 144 को लेकर बढ़ी सख्ती

पेज 1 का बाकी

और एटीएम खुले मिले। मेट्रो, रेल, ऑटो, टैक्सी और कैब वाले पहले ही अपनी सेवाओं को स्थगित कर चुके हैं।

आयुक्त एनएन श्रीवास्तव ने कहा है कि जरूरी सेवाओं में तैनात निजी कंपनियों के कर्मचारियों को उनके संस्थान से कर्फ्यू पास जारी करने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त के दफ्तर में आवेदन करना होगा। जिले के अतिरिक्त उपायुक्त (प्रथम) इस बाबत पास जारी करेंगे। आयुक्त ने कहा है कि दिल्ली के अलावा पड़ोसी शहरों के जिन निजी कंपनियों के कर्मचारी जरूरी सेवाओं में तैनात हैं वे अपने कर्मचारियों के कर्फ्यू पास के लिए अलग-अलग जिलों के उपायुक्त दफ्तर से संपर्क करें। इन पड़ोसी शहरों में गुरुग्राम के लिए दक्षिण-पश्चिम जिला, मानेसर के लिए पश्चिम जिला, फरीदाबाद के लिए दक्षिण-पूर्वी जिला, गाजियाबाद के लिए शाहदरा जिला, नोएडा के लिए पूर्वी जिला, सोनीपत के लिए बाहरी-उत्तरी जिला, बहादुरगढ़ और झज्जार के लिए बाहरी जिला उपायुक्त दफ्तर से संपर्क करें।

आयुक्त ने यह भी कहा है कि सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जरूरी और आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी अधिकारियों को अपना परिचयपत्र दिखाना होगा। जबकि निजी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने परिचयपत्र के साथ सरकार से जारी प्राधिकार पत्र दिखाना होगा।

इस बीच, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटिड ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अपने करीब दो तिहाई आउटलेट बंद कर दिए हैं क्योंकि गाड़ियां सड़कों पर नहीं हैं। पेट्रोल पंपों पर और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) डिपो पर सीएनजी पंप चालू रखने की बात कही गई है।

कोरोना संक्रमण से हिमाचल व पश्चिम बंगाल में पहली मौत

पेज 1 का बाकी

लाया गया। लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल से टांडा के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उस निजी अस्पताल के कर्मचारियों को अलग-थलग कर दिया है। उस व्यक्ति के संपर्क में आए बाकी लोगों की पहचान भी की जा रही है। उस शख्स की भी पहचान कर ली गई है, जो उसे टैक्सी में धर्मशाला लाया था।

दूसरी ओर, कोलकाता से साल्टलेक स्थित एक निजी अस्पताल में दमदम के रहने वाले 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का शव उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त से कहा है कि मृतक का अंतिम संस्कार विद्युत शवदाहगृह में किया जाएगा। वह व्यक्ति हाल में अमेरिका से लौटा था और भारत में कई जगह की यात्राएं की थीं। मृतक का बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि वे अपने बेटे के संपर्क में आए थे या नहीं। यह जानकारी जुटा ली गई है कि वह व्यक्ति 26 फरवरी को पारिवारिक एक मित्र की शादी में हावड़ा-मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से अपनी पत्नी के साथ बिलासपुर गया था। वहां एक रिश्तेदार के घर ठहरा था। दो मार्च को पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस से कोलकाता लौटा और तीन से लेकर सात मार्च तक उस रेलवे कर्मचारी ने चार दिन फेयरली प्लेस स्थित अपने दफ्तर में काम किया। आठ मार्च को न्यू टाउन के एक शापिंग माल में जाकर भोजन किया और खरीदारी की। इसके बाद नौ मार्च घर पर होली खेली। 10 मार्च तबीयत खराब हुई।

इस बीच, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोमवार को कर्फ्यू लागू कर दिया। ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला देश का यह पहला राज्य है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह 'राज्य के व्यापक हित में और आप सभी के हित में' (कर्फ्यू का) यह कदम उठाने के लिए बाध्य हुए हैं। अमृतसर, मोगा, लुधियाना समेत कई स्थानों पर पूर्ण बंदी के बावजूद बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई।

सरकार मुस्तैदी से उठा रही कदम : सुप्रीम कोर्ट

पेज 1 का बाकी

रहे हैं कि वे (सरकार) अच्छा काम कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं बल्कि हकीकत है।'

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर तापीय परीक्षण की बेहतर व्यवस्था करने, कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही संदिग्ध लोगों को अलग रखने वाले केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में अस्थायी अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या बढ़ाने जैसे एहतियाती उपाय करने का संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिकाकर्ताओं में से एक पत्रकार प्रशांत टंडन और सामाजिक कार्यकर्ता कुंजन सिंह ने कोरोना विषाणु महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने तथा संदिग्ध लोगों को अलग रखने के लिए बने केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस संबंध में सरकार के पास अपना प्रतिवेदन दें। इस बीच, पीठ के समक्ष एक मामले का जिक्र करते हुए अनुरोध किया गया कि सभी धार्मिक स्थलों के द्वार बंद करने का निर्देश दिया जाए ताकि इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए लोगों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। पीठ ने कहा, 'हम इस तरह का कोई आदेश नहीं दे सकते जिसे लागू नहीं किया जा सके। हम राज्यों से कहेंगे कि वे आपकी याचिका पर एक प्रतिवेदन के रूप में विचार करें।' अधिवक्ता आशिमा मंडला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि कार्यस्थलों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, स्कूल-कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिग कराने की आवश्यकता है जिनमें हो सकता है कि कोविड-19 के लक्षण नजर आ जाएं।

कई हिस्सों में कर्फ्यू, मोदी ने कहा पूर्ण बंदी का पालन हो

पेज 1 का बाकी

और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण बंदी का ऐलान कर दिया। अब देश के 20 राज्यों में पूर्ण बंदी कर दी गई है।

कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। पूर्ण बंदी का पालन नहीं किया जा रहा था। इस कारण पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कहा कि लोग बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मजबूर होकर कर्फ्यू लागू करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के 86 मरीज सामने आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ मुकाबला 'अहम पड़ाव' पर पहुंच गया है। अगले कुछ दिन अहम हैं और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पूर्ण बंदी का गंभीरता से पालन करने की अपील करते हुए राज्य सरकारों से कहा कि वे नियमों और कानूनों का पालन कराना सुनिश्चित करें। देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस के चलते अपने-अपने यहां पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) के आदेश दिए हैं और छह अन्य राज्यों ने भी अपने कुछ क्षेत्रों में इसी तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध भी लागू किए जाएं। मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे स्थिति पर हर समय नजर रखें। गौबा ने कहा कि यदि जरूरी हो तो अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और सभी मौजूदा प्रतिबंध कड़ाई से लागू किए जाएं। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई समेत देश भर के 80 जिलों में ट्रेन और अंतर-राज्यीय बस सेवाएं 31 मार्च तक निलंबित होने से लोगों की यात्रा और आवाजाही पर पाबंदी लगी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को बंदी का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट किया, राज्यों से कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों में पूर्ण बंदी को सख्ती से लागू करें, जहां इसकी घोषणा की गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सोमवार से 31 मार्च तक पूर्ण बंदी की घोषणा की है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की ओर से रविवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जम्मू क्षेत्र में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस कर्मी मास्क पहन बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं ताकि पूर्ण बंदी का पालन हो सके। यह बंद रविवार रात आठ बजे से लेकर 31 मार्च तक प्रभावी है। शहर की कई सड़कें कंटीली तारों से बंद कर दी गई है।

बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

पेज 1 का बाकी

31 में से 23 बैठकें ही हो पाईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में सत्र के दौरान हुए कामकाज पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 23 बैठकों में 109 घंटे 23 मिनट तक कामकाज हुआ।

बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था। इस दौरान एक फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। इस दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर इसे पारित किया गया। सत्र का दूसरा चरण दो मार्च से शुरू हुआ था। बिरला ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों को भी निपटाया गया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2020-21 पर चर्चा 11 घंटे 51 मिनट, रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा 12 घंटे 31 मिनट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा 5 घंटे 21 मिनट तक तथा पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे और 1 मिनट तक चली। अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में शेष मंत्रालयों की अन्य सभी बकाया अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 16 मार्च, 2020 को पूरी तरह से स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। लोकसभा में वर्तमान सत्र के दौरान, 16 सरकारी विधेयक पेश हुए। कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित हुए।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को दो चरण में पूरे हुए बजट सत्र के दौरान उच्च सदन में हुए कामकाज का ब्योरा देते हुए बताया कि 31 जनवरी से 11 फरवरी तक हुए बजट-सत्र के पहले भाग में सदन की उत्पादकता 97 फीसद रही, जबकि दो मार्च से प्रारंभ हुए, बजट-सत्र के दूसरे भाग में 63.30 फीसद कामकाज हुआ। इस सत्र के दौरान उच्च सदन में हुए काम की जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि इस दौरान लोक महत्व के 249 मुद्दे उठाए गए और 112 विधेयक पारित हुए।

www.readwhere.com

DALMIA BHARAT LIMITED

(Formerly known as Odisha Cement Limited)
Corporate Identity Number (CIN): L14200TN2013PLC112346
Registered Office: Dalmiapuram Lalgudi, District Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India - 621 651
Corporate Office: 11th and 12th Floor Hansalaya Building, 15 Barakhamba Road, New Delhi, India - 110 001
Tel. No.: +91 11 2346 5100 | Fax No.: +91 11 2331 3303
E-mail: corp.sec@dalmiabharat.com | Website: www.dalmiabharat.com
Contact Person: Dr. Sanjeev Gemawat, Executive Director-Legal & Group Company Secretary

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF DALMIA BHARAT LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

This public announcement (the "Public Announcement") is made in relation to the Buyback of Equity Shares (as defined below) of Dalmia Bharat Limited (the "Company") from the open market through stock exchange mechanism, in accordance with Regulation 16(iv)(b) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactments from time to time) (the "Buyback Regulations") along with the requisite disclosures as specified in Schedule IV to the Buyback Regulations.

OFFER FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGES

PART A

Disclosures in accordance with Schedule I of the Buyback Regulations

1. DETAILS OF THE BUYBACK AND BUYBACK PRICE

1.1. The Board of Directors of the Company approved the proposal for the Buyback by the Company of its fully paid up equity shares with a face value of INR 2/- (Indian Rupees Two Only) each (**"Equity Shares"**) at its meeting held on March 21, 2020.

1.2. Pursuant to the provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (to the extent applicable) (hereinafter referred to as the **"Share Capital Rules"**) and other relevant Rules made thereunder, each as amended from time to time (**"Companies Act"**), the provisions of the Buyback Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (**"Listing Regulations"**), and Article 4 of the Articles of Association of the Company, and subject to such other approvals, permissions, consents, exemptions, and sanctions of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), the Registrar of Companies, Tamil Nadu at Chennai (the **"ROC"**) and/or other authorities, institutions or bodies, as may be applicable (together with SEBI and ROC, the **"Appropriate Authorities"**), as may be necessary, and subject to such conditions, alterations, amendments and modifications as may be prescribed or imposed by the Appropriate Authorities while granting such approvals, permissions, consents, exemptions and sanctions which may be agreed to by the Board of Directors of the Company (the **"Board"** which expression shall be deemed to include any committee constituted by the Board and/or officials, which the Board may constitute / authorise to exercise its powers, including the powers conferred by the board resolution), the Board at its meeting held on March 21, 2020 (**"Board Meeting"**), approved the buyback by the Company of its fully paid-up Equity Shares, each from its shareholders/beneficial owners (other than those who are promoters, members of the promoter group or persons in control), from the open market through stock exchange mechanism i.e., using the electronic trading facilities of the stock exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and BSE Limited (**"BSE"**) (collectively, **"Stock Exchanges"**), for an aggregate amount not exceeding INR 500,00,00,000/- (Indian Rupees Five Hundred Crores Only) (**"Maximum Buyback Size"**) excluding the Transaction Costs (as defined below), and at a price not exceeding INR 700/- (Indian Rupees Seven Hundred Only) per Equity Share (**"Maximum Buyback Price"**), payable in cash (the process being referred hereinafter as **"Buyback"**).

1.3. The Maximum Buyback Size and Maximum Buyback Price do not include buyback tax, brokerage, costs, fees, turnover charges, taxes such as securities transaction tax, goods and services tax (if any), income tax or any other applicable taxes, stamp duty, advisors fees, filing fees and other incidental and related expenses (collectively referred to as **"Transaction Costs"**). The Maximum Buyback Size represents around 6.7% and 5.0% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves of the Company, based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2019, respectively (being the latest available audited standalone and consolidated financial statements of the Company) which in both cases is less than 10% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves of the Company which is in accordance with the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations. The period of the Buyback extends from March 21, 2020 i.e., the date of the Board Meeting to the date on which the final payment of consideration for the Equity Shares bought back by the Company is made (**"Buyback Period"**).

1.4. At the Maximum Buyback Size and the Maximum Buyback Price, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 71,42,857 (Seventy One Lakh Forty Two Thousand Eight Hundred and Fifty Seven Only) Equity Shares (**"Indicative Maximum Buyback Shares"**), which will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid up equity capital of the Company. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the Listing Regulations, during the Buyback Period.

1.5. The Company shall utilize at least a minimum of 50% of the Maximum Buyback Size i.e., INR 250,00,00,000/- (Indian Rupees Two Hundred Fifty Crores Only) (**"Minimum Buyback Size"**) for the Buyback, and based on the Minimum Buyback Size and the Maximum Buyback Price, the Company will purchase an indicative minimum of 35,71,429 (Thirty Five Lakh Seventy One Thousand Four Hundred and Twenty Nine Only) Equity Shares. The actual number of Equity Shares which will be bought back by the Company depends upon market price of the Equity Shares. If the price of the Equity Shares is below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buyback Shares (assuming the Maximum Buyback Size is fully utilised by the Company) but will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company.

1.6. The Board or the Buyback Committee shall determine, at its discretion, the time frame for completion of the Buyback and may close the Buyback (which shall not be longer than 6 (six) months from the date of opening of the Buyback or such other period as may be permitted under the Companies Act and/or the Buyback Regulations or as may be directed by the Appropriate Authorities (**"Maximum Buyback Period"**) after the Minimum Buyback Size has been reached, and irrespective of whether the Maximum Buyback Size has or has not been reached, after giving appropriate notice for such closure and on completing all formalities in this regard, in accordance with the Companies Act and/or the Buyback Regulations.

1.7. The Buyback will be implemented by the Company out of its free reserves or such other sources as may be permitted by law and in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations, and in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) of the Buyback Regulations, by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except 'all or none' order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

1.8. A copy of this Public Announcement is available on the Company's website (www.dalmiabharat.com) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), website of NSE (www.nseindia.com) and website of BSE (www.bseindia.com) during the period of the Buyback.

2. NECESSITY FOR THE BUYBACK AND DETAILS THEREOF

2.1. The Buyback is being undertaken by the Company after taking into account the strategic and operational cash requirements of the Company in the medium term and for returning surplus funds to the shareholders in an effective and efficient manner. The Buyback is being undertaken, inter-alia, for the following reasons:

(i) The Buyback will help the Company to return surplus cash to its shareholders holding Equity Shares;

(ii) The Buyback may help in improving return on equity, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value; and

(iii) The Buyback gives an option to the shareholders holding Equity Shares of the Company, who can choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post the Buyback, without additional investment.

2.2. The Board at its meeting held on March 21, 2020, after considering the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the last audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2019, decided to allocate a sum of INR 500,00,00,000/- (Indian Rupees Five Hundred Crores Only) excluding the Transaction Costs for distributing to the shareholders holding Equity Shares of the Company through the Buyback.

3. BASIS FOR ARRIVING AT THE MAXIMUM BUYBACK PRICE AND OTHER DETAILS

3.1. The Maximum Buyback Price of INR 700/- (Indian Rupees Seven Hundred Only) per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including average of the weekly high and low of the closing price of the Equity Shares of the Company on the Stock Exchanges during the 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting, the net worth of the Company and the potential impact of the Buyback on the earnings per Equity Share and other similar ratios of the Company. The Maximum Buyback Price excludes the Transaction Costs.

3.2. The Maximum Buyback Price is at a premium of 27.8% and 28.9% over the closing prices on both NSE (i.e., INR 547.6) and BSE (i.e., INR 543.2), on March 17, 2020 i.e., one trading day prior to the date on which the notice of the Board Meeting to consider the Buyback proposal was intimated to NSE and BSE and at a premium of 33.1% and 33.8% over the closing prices on both NSE (i.e., INR 525.9) and BSE (i.e., INR 523.2), on March 18, 2020, i.e., the date on which the notice of the Board Meeting to consider the Buyback proposal was intimated to NSE and BSE. The Maximum Buyback Price represents a premium of 14.7% and 14.9% compared to the average of the weekly high and low of the closing prices of the Equity Shares on NSE and BSE, respectively, during the 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting.

3.3. The Buyback is proposed to be completed within the Maximum Buyback Period. Subject to the Maximum Buyback Price of INR 700/- (Indian Rupees Seven Hundred Only) per Equity Share, the Maximum Buyback Period, and achievement of the Minimum Buyback Size, the actual time frame and the price for the Buyback will be determined by the Board or the Buyback Committee or their duly authorized representatives, at their discretion, in accordance with the Buyback Regulations.

3.4. The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company after the Buyback shall not be more than twice the paid-up capital and free reserves based on both audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019 of the Company which is in accordance with Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) of the Buyback Regulations.

3.5. The actual number of Equity Shares bought back during the Buyback will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buyback. The actual reduction in existing number of Equity Shares would depend upon the number of the Equity Shares of the Company bought back from the open market through the Stock Exchanges during the Buyback Period.

4. DETAILS OF PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL AND DIRECTORS OF PROMOTERS AND MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

The details of the aggregate shareholding of the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter or the member of the promoter group is a company) and of persons who are in control of the Company, as on the date of the Board Meeting (i.e., March 21, 2020) and as on the date of this Public Announcement is as follows:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of Equity Shares	% of paid-up equity share capital
A. Promoter and Members of the Promoter Group			
1	Jai Hari Dalmia*	2	Negligible
2.	Yadu Hari Dalmia C/o Y. H. Dalmia (HUF)	10	Negligible
3.	Kavita Dalmia	1	Negligible
4.	Gautam Dalmia**	1	Negligible
5.	Anupama Dalmia	2	Negligible
6.	Sukeshi Dalmia	1	Negligible
7.	Vaidehi Dalmia	1	Negligible
8.	Sumana Dalmia	1	Negligible
9.	Bela Dalmia	10	Negligible
10.	Himgiri Commercial Limited	10	Negligible
11.	Rama Investment Company Private Limited	7,98,46,410	41.38
12.	Alirox Abrasives Limited	2,40,720	0.12
13.	Dalmia Refractories Limited	6,98,952	0.36
14.	Himshikhar Investment Limited	13,12,444	0.68
15.	Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited	18,85,134	0.98
16.	MAJ Textiles Private Limited	12,90,773	0.67
17.	Sita Investment Company Limited	1,38,88,260	7.20
18.	Valley Agro Industries Limited	10	Negligible
19.	Keshav Power Limited	26,100	0.025
20.	Shrutipriya Dalmia C/o Shrutipriya Dalmia Trust	10	Negligible
21.	J.H. Dalmia Trust	25,91,493	1.34
22.	Shri Brahma Creation Trust	3,59,710	0.19
23.	Kavita Dalmia Parivar Trust	25,91,493	1.34
B. Directors of the Promoters and Members of the Promoter Group Entities			
24.	T. Venkatesan	42,600	0.02
25.	Chandra Narain Maheshwari	31,914	0.17
26.	Sameer Nagpal	376	Negligible
27.	Ashish Jhunjhunwala	4,000	Negligible
28.	Bharat Bhushan Mehta	40,000	0.02
29.	Ajit Menon	74,494	0.04
Total A+B		**10,49,24,932**	**54.38**

*Jai Hari Dalmia holds directorships in certain promoter group entities of the Company, namely, (a) Alirox Abrasives Limited; (b) Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited; (c) Sita Investment Company Limited; and (d) Rama Investment Co. Private Limited.

**Gautam Dalmia holds directorships in certain promoter group entities of the Company, namely, (a) Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited; (b) Rama Investment Co. Private Limited; and (c) Sita Investment Company Limited.

4.2. Except as disclosed below, none of the directors of the Company and the key managerial personnel of the Company hold any Equity Shares of the Company as on the date of the Board Meeting (i.e., March 21, 2020) and as on the date of this Public Announcement:

Sr. No.	Name of Shareholder	Designation	Number of Equity Shares	% of paid-up equity share capital
1.	Jayesh Doshi	Whole Time Director and Chief Financial Officer	84,835	0.04
2.	Niddodi Subrao Rajan	Non-Executive Director	405	Negligible
3.	Jai Hari Dalmia	Non-Executive Director	2	Negligible
4.	Gautam Dalmia	Managing Director	1	Negligible

4.3. Except as disclosed below, no Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter or the member of the promoter group is a company) and persons who are in control of the Company, during a period of 6 (six) and 12 (twelve) months preceding the date of the Board Meeting (i.e., March 21, 2020) and the date of this Public Announcement:

Sr. No.	Nature of transaction	Aggregate number of Equity Shares purchased/ sold	Minimum Price (INR)	Date of Minimum Price	Maximum Price (INR)	Date of Maximum Price
Promoters and Members of the Promoter Group						
Jai Hari Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares to Kavita Dalmia on June 26, 2019	6,78,526	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares to J.H. Dalmia Trust on June 27, 2019	25,91,493				
3.	Gift of Equity Shares from Jai Hari Dalmia (HUF) on November 28, 2019	1				
Yadu Hari Dalmia C/o Y. H. Dalmia (HUF)						
1.	Gift of Equity Shares to Bela Dalmia on June 17, 2019	1,86,400	Not applicable			
Kavita Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares from J.H. Dalmia (HUF) on June 25, 2019	5,73,349	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares from Sumana Dalmia on June 25 2019	20,707				
3.	Gift of Equity Shares from Jai Hari Dalmia on June 26, 2019	6,78,526				
4.	Gift of Equity Shares from Gautam Dalmia on June 26, 2019	5,65,572				
5.	Gift of Equity Shares to Kavita Dalmia Parivar Trust on June 27, 2019	25,91,493				
Gautam Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares from Gautam Dalmia (HUF) on June 18, 2019	1,10,540	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares from Anupama Dalmia on June 21, 2019	22,499				
3.	Gift of Equity Shares from Vaidehi Dalmia on June 21, 2019	74,359				
4.	Gift of Equity Shares from Sukeshi Dalmia on June 25, 2019	74,359				
5.	Gift of Equity Shares to Kavita Dalmia on June 26, 2019	5,65,572				
Anupama Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares to Gautam Dalmia on June 21, 2019	22,499	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares from Gautam Dalmia (HUF) on August 28, 2019	1				
Sukeshi Dalmia						
1	Gift of Equity Shares to Gautam Dalmia on June 25, 2019	74,359	Not applicable			
Vaidehi Dalmia						
2.	Gift of Equity Shares to Gautam Dalmia on June 21, 2019	74,359	Not applicable			
Bela Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares from Y.H. Dalmia (HUF) on June 17, 2019	1,86,400	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares from Shrutipriya Dalmia Trust on June 21, 2019	1,73,320				
3.	Gift of Equity Shares to Brahma Creation Trust on June 24, 2019	3,59,710				
Sumana Dalmia						
1.	Gift of Equity Shares from Sumana Trust on June 19, 2019	20,708	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares to Kavita Dalmia on June 25, 2019	20,707				
Shrutipriya Dalmia C/o Shrutipriya Dalmia Trust						
1.	Gift of Equity Shares to Bela Dalmia on June 21, 2019	1,73,320	Not applicable			
J.H. Dalmia Trust						
1.	Gift of Equity Shares from Jai Hari Dalmia on June 27, 2019	25,91,493	Not applicable			
Shri Brahma Creation Trust						
1.	Gift of Equity Shares from Bela Dalmia on June 24, 2019	3,59,710	Not applicable			
Kavita Dalmia Parivar Trust						
1.	Gift of Equity Shares from Kavita Dalmia on June 27, 2019	25,91,493	Not applicable			
Gautam Dalmia C/o Gautam Dalmia (HUF)						
1.	Gift of Equity Shares to Gautam Dalmia on June 18, 2019	1,10,540	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares to Anupama Dalmia on August 28, 2019	1				
Jai Hari Dalmia C/o J. H. Dalmia (HUF)						
1.	Gift of Equity Shares to Kavita Dalmia on June 25, 2019	5,73,349	Not applicable			
2.	Gift of Equity Shares to Jai Hari Dalmia on November 28, 2019	1				
Gautam Dalmia (in the capacity of trustee of Sumana Trust)						
1.	Gift of Equity Shares to Sumana Dalmia on June 19, 2019	20,708	Not applicable			
1.	Open market purchase	26,100	820.10	November 13, 2019	824.05	November 13, 2019
Directors of the Promoters and Members of the Promoter Group Entities						
Sameer Nagpal – Dalmia Refractories Limited						
1.	Open market purchase	50	550	March 18, 2020	550	March 18, 2020
C Nagaratnam - Dalmia Refractories Limited						
1.	Open market sale	1,000	905.55	September 17, 2019	905.55	September 17, 2019
Ashish Jhunjhunwala – MAJ Textiles Private Limited						
1.	Open market sale	25,128	1047	July 4, 2019	1061	June 27, 2019
2.	Gift of Equity Shares to Usha Jhunjhunwala on February 11, 2020	87,248	Not applicable			
Bharat Bhushan Mehta – Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited						
1.	Open market sale	19,800	1082.90	May 27, 2019	1165.94	April 2, 2019
Ajit Menon – Kanika Investment Limited						
1.	Exercise of options	36,000	122.47	March 18, 2020	122.47	March 18, 2020

4.4. Except as disclosed below, no Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by the key managerial personnel and directors of the Company, during a period of 6 (six) and 12 (twelve) months preceding the date of the Board Meeting (i.e., March 21, 2020) and the date of this Public Announcement:

Sr. No.	Aggregate number of Equity Shares purchased/sold	Nature of transaction	Minimum Price (INR)	Date of Minimum Price	Maximum Price (INR)	Date of Maximum Price
Jayesh Nagindas Doshi – Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Company						
1.	36,000	Exercise of options	122	March 17, 2020	122	March 17, 2020
2.	665	Open market sale	1,107	April 30, 2019	1,109	April 30, 2019
Niddodi Subrao Rajan – Director of the Company						
1.	132	Open market sale	859	January 17 2020	872	January 24, 2020
2.	479	Open market purchase	874	June 28, 2019	1,170	June 12, 2019

Note: Jai Hari Dalmia and Gautam Hari Dalmia hold directorship in the Company. Please refer to paragraph 4.3 of Part A above regarding their details of Equity Shares sold or purchased during a period of 6 (six) and 12 (twelve) months preceding the date of the Board Meeting (i.e., March 21, 2020) and the date of this Public Announcement.

5. INTENTION OF THE PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO TENDER THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK

5.1. In accordance with Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, since the Buyback is being implemented by way of open market purchases through the Stock Exchanges, the Buyback shall not be made by the Company from the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company.

5.2. Further, as per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, neither the promoters and promoter group nor their Associates (as defined in the Buyback Regulations) have dealt in the Equity Shares or other specific securities of the Company either through the stock exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the promoters and/or promoter group) from the date of the Board Meeting till the date of this Public Announcement and shall deal in the Equity Shares or other specific securities of the Company either through the stock exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the promoters and/or promoter group) from the date of this Public Announcement till the completion of the Buyback.

6. NO DEFAULTS

The Company confirms that there are no defaults (either in the past or subsisting) in repayment of deposits, interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder, or repayment of term loans or interest payable thereon to any financial institution or any bank/ banking company.

7. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Board has in its Board Meeting confirmed that after making a full inquiry into the affairs and prospects of the Company, they have formed the opinion:

(i) that immediately following the date of the Board Meeting, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

(ii) as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board Meeting, and having regard to the Board's intention with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in the Board's view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and the Company will not be rendered insolvent within a period of one year period from the date of the Board Meeting; and

(iii) in forming the aforesaid opinion, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities), as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (to the extent notified), as the case may be.

8. REPORT BY THE COMPANY'S STATUTORY AUDITOR

The text of the report dated March 21, 2020 received from S.S. Kothari Mehta & Company, Chartered Accountants (Firm's Registration No. 000756N), the statutory auditor of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

Independent Auditor's Report on the proposed buyback of equity shares pursuant to the requirements of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, as amended, 2018

To,
The Board of Directors
Dalmia Bharat Limited
Dalmiapuram Lalgudi
Tiruchirappalli, Tamil Nadu, 621651

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter with Dalmia Bharat Limited (hereinafter the **"Company"**).

2. The board of Directors (the 'Board of Directors') of the Company have approved a proposal for buy-back of equity shares by the Company at its meeting held on 21 March 2020, in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended ('the Act') and the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"SEBI Buy-back Regulations"**).

3. We have been requested by the management of the Company (the 'Management') to provide a report on the accompanying statement of permissible capital payment (including premium) ('Annexure A') as at 31 March 2019 (hereinafter referred together as the 'Statement'). This Statement is prepared by the Management, which we have initialed for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility for the Statement

4. The preparation of the Statement in accordance with the requirements of section 68(2)(c) read with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act and ensuring compliance with the SEBI Buyback Regulations, is the responsibility of the Board of Directors of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the SEBI Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on whether:

5.1. Whether we have inquired into the state of affairs of the Company for the year ended March 31, 2019.

5.2. Whether the amount of capital payment for the buyback, as stated in the Statement, is within the permissible limit and computed in accordance with the provisions of Section 68(2)(c) read with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, Regulation 4(i), the proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulations;

5.3. Whether the Board of Directors of the Company, in its meeting March 21, 2020, has formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting.

6. The audited standalone and consolidated financial statements as of and for the financial year ended March 31, 2019 were audited by us, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 09, 2019. Our audit of these financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Such audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that maybe of potential interest to third parties.

7. The unaudited financial information has been reviewed by us, on which we have issued unmodified conclusion vide our review report dated February 06, 2020. Our review of these financial information was conducted in accordance with the Standard on Review Engagement (SRE) 2410, Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, issued by ICAI. This Standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the financial information is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of the company personnel and analytical procedures applied to the financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

8. We conducted our examination of the Statement in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' (**"Guidance Note"**), issued by ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

9. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other

Contd.

www.readwhere.com

Assurance and Related Services Engagements, issued by the ICAI.

Opinion

10. Based on inquiries conducted and our examination as above, and according to the information and explanations provided to us by the management of the Company we report that:

10.1 We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to: (i) its latest audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2019; and (ii) the statement of unaudited standalone and consolidated financial results for the nine months' period April 1, 2019 to December 31, 2019;

10.2 The permissible capital payment towards buyback of equity shares, as stated in the Statement, is in our view properly determined in accordance with Section 68(2)(c) read with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, Regulation 4(i), the proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulations, based on the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2019; and

10.3 The Board of Directors, in their meeting held on March 21, 2020 have formed the opinion, as specified in clause (x) of Schedule I of the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the date of Board meeting and we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration of insolvency is unreasonable in the circumstances as of the date of declaration.

Restriction on Use

11. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company solely for the purpose of enabling it to comply with the aforesaid requirements and to include this report, pursuant to the requirements of the SEBI Buyback Regulations, in the public announcement to be made to the shareholders of the Company and other documents pertaining to the Buyback to be filed with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, as required by the SEBI Buyback Regulations, (iv) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited, as applicable, and (v) for providing to the merchant banker to the buyback. Accordingly, this report may not be suitable for any other purpose, and therefore, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose for which or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

12. This report can be relied on by the merchant banker to the Buyback and the legal counsel in relation to the Buyback.

S.S. Kothari Mehta & Company
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 000756N
Sd/-
Sunil Wahal
Partner
Membership Number: 087294

Place: New Delhi
Date: March 21, 2020
UDIN: 20087294AAAABQ6636

ANNEXURE A - STATEMENT OF PERMISSIBLE CAPITAL PAYMENT

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with the requirements of Section 68(2)(c) read with proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013, as amended (the **"Companies Act"**), Regulation 4(i), the proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"SEBI Buyback Regulations"**), based on audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019.

(Amount in INR Crores)

Particulars as on 31 March 2019	Amount extracted from the latest audited standalone financial statements as at March 31, 2019 (Amount)	Amount extracted from the latest audited consolidated financial statements as at March 31, 2019 (Amount)
A. Paid-up Equity Share Capital (19,29,58,553 equity shares of INR 2/- each fully paid up)	39	39
B. Free Reserves #		
Securities premium account	7,256	7,699
Surplus in statements of profit and Loss#	180	2,357
General reserve	3	3
Total Free Reserves	7,439	10,059
Total of Paid up Equity Share Capital and Free Reserves (A+B)	7,478	10,098
Maximum amount permissible for buyback under Section 68(2)(c) of the Act and Regulation 4(i) of the SEBI Buyback Regulations (25% of the total paid-up equity capital and free reserves)	1,870	2,525
Permissible capital payment for Buy Back from open market in accordance with proviso to Regulation 4(iv) of the SEBI Buyback Regulations (15% of paid up capital and free reserves)	1,122	1,515
Proposed capital payment restricted to 10% of the total paid-up equity capital and free reserves under proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buyback Regulation within the powers of the Board of Directors	748	1,010

 # Includes Ind AS fair value adjustments.

#The above calculation of the total paid-up equity share capital and free reserves as at March 31, 2019 for buyback of equity shares is based on the amounts appearing in the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019. These financial statements are prepared and presented in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, each as amended from time to time.

For and on behalf of **Dalmia Bharat Limited**
Sd/-
Name: Jayesh Doshi
Designation: Whole Time Director and Chief Financial Officer
Unquote

PART B

Disclosures in accordance with Schedule IV of the Buyback Regulations

1. DETAILS OF SHAREHOLDER APPROVAL FOR THE BUYBACK, IF APPLICABLE

Since the Maximum Buyback Size is less than 10% of the aggregate of the total paid-up capital and free reserves of the Company based on both standalone and consolidated audited financial statements of the Company as on March 31, 2019, in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act and proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations, approval from the shareholders of the Company is not required.

2. MINIMUM AND MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES PROPOSED TO BE BOUGHT BACK, SOURCES OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUYBACK

2.1. At the Maximum Buyback Price and for the Maximum Buyback Size, the indicative maximum number of Equity Shares bought back would be 71,42,857 (Seventy One Lakh Forty Two Thousand Eight Hundred and Fifty Seven Only) Equity Shares. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Indicative Maximum Buyback Shares (assuming the Maximum Buyback Size is fully utilised by the Company) but will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company.

2.2. The actual number of Equity Shares bought back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back, and the aggregate consideration paid in the Buyback, subject to the Maximum Buyback Size. The actual reduction in existing number of Equity Shares would depend upon the total number of Equity Shares bought back by the Company from the open market through the Stock Exchanges during the Buyback Period.

2.3. Further, the Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buyback Size i.e., INR 250,00,00,000/- (Indian Rupees Two Hundred Fifty Crores Only) towards the Buyback and the Company will accordingly purchase an indicative minimum of 35,71,429 (Thirty Five Lakh Seventy One Thousand Four Hundred Twenty Nine Only) Equity Shares, based on the Maximum Buyback Price. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buyback Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the Indicative Maximum Buyback Shares (assuming the Maximum Buyback Size is fully utilised by the Company). However, the total number of Equity Shares to be bought back will not exceed 25% of the total number of Equity Shares in the total paid-up equity capital of the Company.

2.4. The amount required by the Company for the Buyback (including the cost of financing the Buyback and the Transaction Costs) will be funded out of the internal accruals of the Company including but not limited to free reserves of the Company, current balances of cash and cash equivalents and fund inflow through sale of current investments of the Company, in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations.

3. PROPOSED TIMETABLE FOR BUYBACK

Activity	Date
Date of Board resolution approving Buyback	Saturday, March 21, 2020
Date of publication of the Public Announcement	Tuesday, March 24, 2020
Date of opening of the Buyback	Friday, April 3, 2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialised mode	Upon the relevant pay-out by the Stock Exchanges
Extinguishment of Equity Shares	The Equity Shares (in dematerialised form) will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, as amended, and the bye-laws, the circulars and guidelines framed thereunder. The Company shall ensure that all Equity Shares bought back are extinguished within 7 (seven) days of the expiry of the Buyback Period.
Last date for the completion of the Buyback	Earlier of: (a) Thursday, October 1, 2020 (i.e., 6 (six) months from the date of the opening of the Buyback; or (b) when the Company completes the Buyback by deploying the amount equivalent to the Maximum Buyback Size; or (c) at such earlier date as may be determined by the Board (including a committee thereof, constituted by the Board or persons nominated by the Board / committee to exercise its powers, and / or the powers conferred by the Board resolution in relation to the Buyback), after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buyback Size (even if the Maximum Buyback Size has not been reached or the Indicative Maximum Buyback Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the Buyback shall be completed before the last date for the Buyback.

4. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUYBACK

4.1 The Buyback shall be open to all shareholders/beneficial owners (except promoters, members of the promoter group and persons in control) of the Company holding Equity Shares in dematerialised form (**"Demat Shares"**). Shareholders holding Equity Shares in physical form can participate in the Buyback after such Equity Shares are dematerialized by approaching depository participant.

4.2 The promoters, members of promoter group and the persons in control of the Company shall not participate in the Buyback. Further, as required under the Companies Act and Buyback Regulations, the Company will not buyback Equity Shares which are partly paid-up, the Equity Shares with call-in-arrears, locked-in Equity Shares or non-transferable Equity Shares, if any, until they become fully paid-up, or until the pendency of such lock-in, or until the time such Equity Shares become freely transferable, as applicable.

4.3 The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges, by the order matching mechanism except "all or none" order matching system, as provided under the Buyback Regulations.

4.4 For the implementation of the Buyback, the Company has appointed HDFC Securities Limited as the registered broker (**"Company's Broker"**) through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company.

The contact details of the Company's Broker are as follows:

HDFC securities

HDFC Securities Limited
iThink Techno Campus Building-B
'Alpha', 8th Floor, Opp. Crompton Greaves
Near Kanjurmarg Station
Kanjurmarg (East), Mumbai 400 042
Tel. No.: 022-3075 3400; **Fax No.:** 022-3075 3435
Contact Person: Sharmila Kambli
Email: sharmila.kambli@hdfcsec.com; **Website:** www.hdfcsec.com
SEBI Registration No.: INZ000186937
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
CIN: U67120MH2000PLC152193

4.5 The Equity Shares are traded in dematerialised mode under the trading codes DALBHARAT at NSE and 542216 at BSE. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE00R701025. For detailed procedure with respect to tendering of Equity Shares, the Stock Exchanges will be issuing notice with detailed procedures. Shareholders may refer the notice to understand procedure on how to tender their Equity Shares in this Buyback.

4.6 The Company shall, commencing from April 3, 2020 (i.e., the date of opening of the Buyback), place "buy" orders on the Stock Exchanges on the normal trading segment to Buyback the Equity Shares through the Company's Broker, in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buyback Price of INR 700/- (Indian Rupees Seven Hundred Only) per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges and subject to the Minimum Buyback Size. When the Company has placed an order for Buyback of Equity Shares, the identity of the Company as purchaser shall be available to the market participants of the Stock Exchanges.

4.7 **Procedure for Buyback of Demat Shares:** Beneficial owners (except promoters, members of the promoters and persons in control of the Company) holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buyback, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buyback of the Equity Shares. The Company shall place a "buy" order for Buyback of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buyback price for that beneficial owner. The execution of the order, issuance of contract note and delivery of the stock to the member and receipt of payment would be carried out by the Company's Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and SEBI. Orders for Equity Shares can be placed on the trading days of the Stock Exchanges. The Company is under no obligation to place "buy" order on a daily basis. The orders for buying back the Equity Shares will be placed on normal trading segment of Stock Exchanges at least once a week.

4.8 It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders / beneficial owners pursuant to the Buyback and that the same would depend on the price at which the trade with that particular shareholder / beneficial owner was executed on the Stock Exchanges.

4.9 **Procedure for Buyback of Physical Shares:** As per the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (notified by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), read with the SEBI's press releases dated December 3, 2018 and March 27, 2019, effective from April 1, 2019, transfers of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository ("LODR Amendment"). In light of the LODR Amendment, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buyback unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUYBACK ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESS OF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUYBACK BEFORE BUYBACK CLOSING DATE.

4.10 Shareholders are requested to get in touch with the Manager to the Buyback or the Company's Broker or the Registrar and Share Transfer Agent of the Company to clarify any doubts in the process.

4.11 Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buyback Size at a price not exceeding the Maximum Buyback Price during the Buyback Period, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buyback any additional Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any Equity Shares bought back, even if the Maximum Buyback Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate the process in relation to the Buyback, to the extent permissible by law. The Company is under no obligation to utilize the entire amount of Maximum Buyback Size or buy all the Indicative Maximum Buyback Shares. However, if the Company fails to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size during the Buyback, except for the reasons mentioned in Regulation 20(viii) of the Buyback Regulations, the amount held in the escrow account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

4.12 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buyback Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www.dalmiabharat.com) on a daily basis.

4.13 Eligible shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

5. METHOD OF SETTLEMENT

5.1 **Settlement of Demat Shares:** The Company will pay consideration for the Buyback to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company has opened a depository account in the name **"Dalmia Bharat Limited"** (**"Buyback Demat Account"**) with HDFC Bank Limited. Demat Shares bought back by the Company will be transferred into the Buyback Demat Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buyback, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective depository participant (**"DP"**) for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company as referred to in paragraph 13 of Part B.

5.2 **Extinguishment of Demat Shares:** The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018 and the bye-laws, the circulars, and guidelines framed thereunder, each as amended from time to time, in the manner specified in the Buyback Regulations and the Companies Act. The Equity Shares lying in credit in the Buyback Demat Account will be extinguished within 15 (fifteen) days of acceptance of the Demat Shares, provided that the Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within 7 (seven) days from the expiry of the Buyback Period.

5.3 Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

6. BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

6.1 The Company was originally incorporated as a public limited by the name of "Odisha Cement Limited" on July 12, 2013 under the Companies Act, 1956. The Company obtained its certificate of commencement of business on September 12, 2013. Pursuant to the scheme of amalgamation sanctioned by the National Company Law Tribunal, Division Bench, Chennai, erstwhile Dalmia Bharat Limited and erstwhile OCL India Limited was amalgamated with the Company. The registered office of the Company was shifted from Odisha to Dalmiapuram, Tiruchirappali, Tamil Nadu pursuant to a special resolution passed by the shareholders of the Company and subsequently, an order dated July 28, 2016 was issued by Regional Director, Ministry of Corporate Affairs confirming the shifting of the registered office of the Company from the state of Odisha to the state of Tamil Nadu and a certificate of registration of the order, dated September 2, 2016 was issued by the Registrar of Companies, Chennai. The name of the Company was changed to Dalmia Bharat Limited and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name, was issued by the Registrar of Companies, Chennai on April 15, 2019.6.2 The Company is engaged in providing management services to its subsidiaries and group companies and holds cement assets through its subsidiaries who are engaged in the business of manufacturing of cement and has manufacturing plants in Southern, North Eastern and Eastern regions of India. The Equity Shares of the Company are listed on BSE and NSE.

7. BRIEF FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

7.1 The selected financial information of the Company on standalone basis, as extracted from the audited standalone financial statements for the last 3 (three) financial years and unaudited limited review standalone financial statements for the period of nine months ended December 31, 2019, is given below:

(Amount in INR Crore)

Particulars	Un-audited (limited review) IND-AS	Audited (IND-AS)		
	For the nine months ended December 31, 2019	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Revenue from Operations	116	164	125	103
Other Income	82	87	91	65
Total Income	198	251	216	168
Total Expense (excluding Interest, Depreciation & Amortisation, Tax and Exceptional Items)	119	126	113	86
Finance Cost	3	2	5	21
Depreciation& Amortisation	7	4	4	4
Exceptional Items	-	-	-	-
Profit Before Tax	69	119	94	57
Provision for Tax (including Deferred Tax)	6	18	22	17
Profit After Tax**	63	101	72	40
Paid-up equity share capital	39	39		
Share capital suspense account	-	-	6,654*	6,654*
Other Equity	7,568	7,541	859	809
Net worth (excluding revaluation reserves and ESOP Reserve)	7,590	7,566	7,499	7,451
Non-current Borrowings	-	2	2	2
Current Portion of Long Term Borrowings	-	-	-	-
Current Borrowings	-	-	-	-
Total debt	-	2	2	2

**Share suspense account as on March 31, 2017 and March 31, 2018 represents shares pending to be allotted to the shareholders (including Securities Premium) of erstwhile Dalmia Bharat Limited and OCL India Limited, specified under the Scheme of arrangement and amalgamation with effect from January 01, 2015, which have been allotted on January 9, 2019.*

***Profit after tax does not include Other Comprehensive Income (OCI).*

7.2 Key financial ratios on standalone basis are as under:

Key Ratios	Un-audited (limited review (IND-AS)	(Audited) (IND-AS)		
	For the nine months ended December 31, 2019	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
Basic Earnings per equity share (in INR)	3.24**	5.25	3.75*	2.08*
Diluted Earnings per equity share (in INR)	3.23**	5.24	3.72*	2.07*
Book value per equity share (in INR)	394.23	392.83	389.82*	387.99*
Total Debt / Equity Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Return on net worth (%)	0.83%**	1.33%	0.96%	0.54%

**Share suspense account as on March 31, 2017 and March 31, 2018 represents shares pending to be allotted to the shareholders (including Securities Premium) of erstwhile Dalmia Bharat Limited and OCL India Limited, specified under the Scheme of arrangement and amalgamation with effect from January 1, 2015, which have been allotted on January 9, 2019.*

***not annualised.*

The key ratios have been computed as below

Key Ratios	Basis
Basic Earnings per share (INR)	Net Profit attributable to equity shareholders/ Weighted average number of equity shares outstanding
Diluted Earnings per share (INR)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding
Book value per share (INR)	(Paid up equity share capital + other Equity) / Total number of Equity Shares subscribed outstanding
Total Debt-Equity Ratio	Total debt / Net worth
Return on Net Worth excluding revaluation reserves (%)	Net Profit After Tax / Net Worth excluding revaluation reserves

7.3 The selected financial information of the Company on consolidated basis, based on the consolidated audited financial statements for the last 3 (three) financial years and the unaudited limited review financial statements for the period of nine months ended December 31, 2019, is given below:

(Amount in INR Crore)

Particulars	Un-audited (limited review)(IND AS)	Audited (IND AS)		
	For the nine months ended December 31, 2019	For the year ended on March 31, 2019	For the year ended on March 31, 2018	For the year ended on March 31, 2017
Revenue from Operations	7,191	9,484	8,827	8,340
Other Income	161	235	274	296
Total Income	7,352	9,719	9,101	8,636
Total Expense (excluding Interest, Depreciation& Amortisation, Tax and Exceptional Items)	5,596	7,533	6,806	6,446
Finance Cost	311	551	693	856
Depreciation& Amortisation	1,153	1,296	1,213	1,226
Exceptional Items	-	-	-	-
Profit Before Tax	292	339	389	108
Provision for Tax (including Deferred Tax)	78	(10)	98	74
Profit After Tax**	214	349	291	44
Profit attributable to:				
Owner of the Company	198	308	292	54
Non-controlling interest	16	41	(1)	(10)
Paid-up equity share capital	39	39	-	
Share Capital suspense account			6,654*	6,654*
Other Equity	10,623	10,600	3,681	2,975
Net worth (excluding revaluation reserves and ESOP Reserve)	10,645	10,625	10,321	9,617
Non-current Borrowings	3,223	4,015	5,459	6,254
Current Portion of Long Term Borrowings	1,195	955	944	552
Current Borrowings	844	908	863	1,233
Total debt	5,263	5,878	7,266	8,039

**Share suspense account as on March 31, 2017 and March 31, 2018 represents shares pending to be allotted to the shareholders (including Securities Premium) of erstwhile Dalmia Bharat Limited and OCL India Limited, specified under the Scheme of arrangement and amalgamation with effect from January 01, 2015, which have been allotted on January 9, 2019.*

***Profit after tax does not include Other Comprehensive Income (OCI).*

7.4 Key financial ratios on consolidated basis are as under:

Key Ratios	Un-audited (limited review (IND-AS)	Audited (IND-AS)		
	For the nine months ended December 31, 2019	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
Basic Earnings per equity share (in INR)	10.26**	15.97	15.18*	2.29*
Diluted Earnings per equity share (in INR)	10.23**	15.95	15.10*	2.27*
Book value per equity share (in INR)	552.55	551.36	536.25*	500.59*
Debt / Equity Ratio	0.49	0.55	0.70	0.84
Return on net worth (%)	2.01%**	3.28%	2.82%	0.46%

**Share suspense account as on March 31, 2017 and March 31, 2018 represents shares pending to be allotted to the shareholders (including Securities Premium) of erstwhile Dalmia Bharat Limited and OCL India Limited, specified under the Scheme of arrangement and amalgamation with effect from January 01, 2015, which have been allotted on January 9, 2019.*

***not annualised.*

The key ratios have been computed as below:

Key Ratios	Basis
Basic Earnings per share (INR)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding
Diluted Earnings per share (INR)	Net Profit attributable to equity shareholders / Weighted average number of equity shares outstanding
Book value per share (INR)	(Paid up equity share capital + other Equity) / Total number of Equity Shares subscribed outstanding
Debt-Equity Ratio	Total debt / Net worth
Return on Net Worth excluding revaluation reserves (%)	Net Profit After Tax / Net Worth excluding revaluation reserves

8. DETAILS OF ESCROW ACCOUNT

8.1. In accordance with Regulation 20 of the Buyback Regulations and towards security for performance of its obligations under the Buyback Regulations, the Company has appointed HDFC Bank Limited as the escrow bank for the Buyback and opened an escrow account titled 'Dalmia Bharat Ltd Buyback Escrow Account' **("Escrow Account").** The Company will enter into an escrow agreement with the Manager to the Buyback and HDFC Bank Limited before opening of the Buyback (i.e., April 3, 2020). The Company will authorize the Manager to the Buyback to operate the Escrow Account in compliance with the Buyback Regulations and the Escrow Agreement. Before the opening of the Buyback (i.e., April 3, 2020), the Company shall fund the requisite escrow amount (as required under the Buyback Regulations) in the Escrow Account either (i) in full cash (i.e., 25% of the Maximum Buyback Size); or (ii) by way of bank guarantee (for an amount equivalent to 22.5% of the Maximum Buyback Size) in favour of the Manager to the Buyback along with deposit of an amount equivalent to 2.5% of the Maximum Buyback Size in cash.

8.2. The funds in the Escrow Account may be released for making payment to the shareholders subject to at least 2.5% of the Maximum Buyback Size remaining in the Escrow Account at all points in time.

8.3. The balance lying to the credit of the Escrow Account will be released to the Company on completion of all obligations in accordance with the Buyback Regulations.

8.4. If the Company fails to complete the Buyback equivalent to the Minimum Buyback Size, except for the reasons mentioned in the Buyback Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the

Contd.

www.readwhere.com

स्पेन में 24 घंटे में 462 की मौत

मैड्रिड/तेहरान 23 मार्च (एएफपी)।

स्पेन में कोरोना विषाणु से 24 घंटे में 462 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में घातक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,182 पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक दिन पहले जारी आंकड़ों की तुलना में मृत्यु दर में 27 फीसद का इजाफा हुआ है। स्पेन में कोविड-19 के मामलों की संख्या 33,089 हो गई है। यह देश चीन और इटली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं दूसरी ओर ईरान में सोमवार को कोरोना वायरस से 127 और लोगों की मौत हो गई जिसके साथ ही देश में इस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 1,812 पहुंच गई। देशभर में 14 मार्च को लॉकडाउन लागू करने के बावजूद स्पेन में मौत और संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

वैश्विक आंकड़े

दुनिया में संक्रमितों की संख्या :
3,29,000 से ज्यादा
प्रभावित देश :
186
मौतें :
15,000 से ज्यादा
ठीक हुए :
97,000 से ज्यादा

ईरान में कोरोना से 127 और लोगों की मौत। मरने वालों की तादाद 1,812 हुई।
स्पेन में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,000 के पार पहुंची।

चीन कोरोना की रोकथाम के लिए भारत के साथ अनुभव साझा करने को तैयार

बेजिंग, 23 मार्च (भाषा)।

चीन ने कोरोना वायरस प्रकोप से अपनी लड़ाई के दौरान भारत की ओर से भेजी गई मदद को लेकर सोमवार को इसकी सराहना की। चीन ने कहा कि वह कोविड-19 से निपटने के अपने अनुभवों को नई दिल्ली के साथ साझा करना पसंद करेगा और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी मदद मुहैया कराएगा।

भारत ने 26 फरवरी को सैन्य विमान के जरिए चीन के बुरी तरह प्रभावित वुहान में मास्क, दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरण समेत करीब 15 टन चिकित्सीय मदद भेजी थी। यह विमान 112 भारतीयों और कई विदेशी नागरिकों भी निकाल कर लाया था। यहां मीडिया को जारी विवरण में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि उनके देश में कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मदद मुहैया कराने वाले 19 देशों के लिए चीन ने सहायता की पेशकश की है। उनकी 19 देशों की सूची में खासतौर पर भारत का नाम नहीं होने के सवाल पर गेंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच आदान-प्रदान की बेमिसाल प्रणाली है और यह करीबी है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद, चीन और भारत के बीच संवाद कायम हैं और दोनों के बीच सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की विपत्ति के दौरान चीन के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और भारत के विदेश मंत्री ने भी चीनी पक्ष से फोन पर बात की। गेंग ने कहा, 'हमें भारत की ओर से सहायता मिली और हम इसकी सराहना करते हैं। हमारे पास आदान-प्रदान का एक तंत्र है और चीन समय-समय पर भारत को जानकारी देता रहा है।' उन्होंने कहा कि हम चीन में भारतीय नागरिकों को जरूरी सुविधाएं और सहायता मुहैया करवा रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को संरक्षित कर रहे हैं।

दुबई हवाई अड्डे पर फंसे छह भारतीय

दुबई, 23 मार्च (भाषा)।

छह भारतीय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई हवाई अड्डे पर पिछले पांच दिन से फंसे हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन्हें स्वदेश वापसी के लिए कोई उड़ान नहीं मिल पा रही है। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं।

ये छह व्यक्ति विभिन्न यूरोपीय देशों से 18 मार्च को दुबई पहुंचे थे और उन्हें उसी शाम नई दिल्ली जाने वाले विमान पर सवार होना था। गल्फ न्यूज समाचार पत्र में रविवार को प्रकाशित खबर के अनुसार वे विमान पर नहीं चढ़ पाए क्योंकि उसी दिन भारत ने यूरोप से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मलेशिया में फंसे भारतीयों को मिली मदद

कुआलालंपुर, 23 मार्च। भारतीय उच्चायोग ने यहां कहा कि मलेशिया के कुआलालंपुर हवाईअड्डे पर फंसे सैकड़ों भारतीयों को स्थानीय गैरसरकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों की मदद से विभिन्न हॉस्टलों और होटलों में ले जाया गया है। ये लोग तेजी से फैल रहे कोरोना के चलते सरकार द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के चलते यहां हवाईअड्डे पर फंस गए थे। (भाषा)

क्रोएशिया में आंशिक बंदी के दौरान शक्तिशाली भूकम्प

तीव्रता 5.3 रही, बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान, कई इमारतें क्षतिग्रस्त

जगरेब, 23 मार्च (एपी)।

क्रोएशिया में रविवार को ऐसे समय में शक्तिशाली भूकम्प के झटके महसूस किए गए जब देश की राजधानी जगरेब को कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर आंशिक तौर पर बंद रखा गया है।

भूकम्प की वजह से लोग घबरा गए और अस्पतालों को खाली कराना पड़ा। इस दौरान बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची जिसमें राजधानी जगरेब का मशहूर गिरजाघर भी है। भूकम्प की वजह से 15 साल की किशोरी की स्थिति नाजुक है जबकि 16 अन्य लोग घायल हैं। यूरोपीय भूकम्प एजंसी ईएमएससी ने बताया कि सुबह छह बजकर 23 मिनट पर 5.3 तीव्रता का भूकम्प जगरेब में आया और इसका केंद्र जगरेब के उत्तर में 10 किलोमीटर की गहराई में था।

क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक ने कहा कि पिछले 140 साल में जगरेब में आया यह सबसे भयानक भूकम्प है। यहां कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। यह भूकम्प ऐसे समय में आया है जब राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आंशिक तौर पर बंद लागू किया गया है। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचने के लिए कहा गया था लेकिन भूकम्प के दौरान लोगों के पास अपने घरों से निकल कर बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रोएशिया में अब तक कोरोना वायरस के 235 मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

देश के स्वास्थ्य मंत्री विली बेरोस ने कहा, 'भूकम्प खतरनाक है लेकिन कोरोना वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक है।' वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने दो समानांतर संकट है और दोनों ही एक-दूसरे के विपरित है। प्रधानमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बयान दिया।

पाकिस्तान में कोरोना से डॉक्टर की मौत

इस्लामाबाद, 23 मार्च। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में 26 वर्षीय डॉक्टर की कोविड-19 के रोगियों का उपचार करते समय कोरोना वायरस के संपर्क में आने से मौत हो गई। देश में इस वायरस से किसी डॉक्टर की मौत का यह पहला मामला है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उसामा रियाज हाल में ईरान और इराक से लौटे रोगियों का उपचार कर रहे थे। (भाषा)

दिल्ली जल बोर्ड
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
अधिशासी अभियन्ता (उत्तर पश्चिम)-I
एच-ब्लॉक उद्योग नगर इण्डस्ट्रियल एरिया
पीरागढ़ी चौक नई दिल्ली-41
नि.आ.सू. सं. 76/ईई(एनडब्ल्यू)I/(2019-20)
प्रेस सूचना निविदा

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा की राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.) तथा प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा प्रापण समाधान के निर्गमन की तिथि/आई.डी. सं.	ई-प्रापण समाधान माध्यम से निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय
1	ई.ई.(एनडब्ल्यू)-I के तहत मीर विहार से मुबारकपुर गाँव यूजीआर तक 600 मिमी डाया पीएससी वाटर मेन में इन्टरकनेक्शन बनाना तथा 300 मिमी डाया डी.आई. पानी की लाइन का प्रावधान तथा बिछाव।	39,58,004/-	79,200/-500/-	21:03:2020/2020_DJB_190015_1	03.04.2020 को 3.00 बजे अप.

इस सम्बन्ध में अधिक विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
जारीकर्ता: पी.आर.ओ. (जल)
अधिशासी अभियन्ता (उ.प.) I
विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 938/19-20

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित हैं:-
1. एनआईटी: ईई/सीडी 03/एनआईटी 52/2019-20
हैड: 2711 नाले का रखरखाव।
कार्य का नाम: गाजीपुर ड्रेन आरडी 0 मीटर से 6150 मीटर की निकाली नाले की गाद का निपटान। अनुमानित लागत 1,13,62,500.00 रु. धरोहर राशि: 2,27,250.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधि: 90 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय: 03.04.2020 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_189953_1)
निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।
हस्ता./-
अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3
DIP/Shabdarth/1495/19-20

Maximum Buyback Size), shall be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI as directed by SEBI in accordance with the Buyback Regulations.

9. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

9.1. The Equity Shares of the Company are listed on BSE and NSE.

9.2. The high, low and average market prices of the Equity Shares for the preceding 3 (three) years and the monthly high, low and average market prices of the Equity Shares for the 6 (six) months preceding the date of this Public Announcement and their corresponding volumes on BSE and NSE are as follows:

BSE:

Period	High (INR)#	Date of High	Number of Equity Shares traded on that date	Low (INR)#	Date of Low	Number of Equity Shares traded on that date	Average Price (INR)*	Total volume traded in the period (Equity Shares)
Preceding 3 years**								
December 26, 2018 to March 18, 2019	1,211.1	February 27, 2019	9,497	903.0	January 23, 2019	38	1085.3	23,46,622
March 19, 2019 to March 31, 2019	1,016.8	March 22, 2019	691	984.4	March 26, 2019	2,370	998.1	92,441
Preceding 6 months								
Feoruary 2020	903.5	February 10, 2020	10,411	783.8	February 28, 2020	2,232	856.9	66,409
January 2020	887.3	January 29, 2020	12,885	788.3	January 6, 2020	12,025	837.2	1,37,510
December 2019	870.3	December 2, 2019	2,353	775.4	December 30, 2019	6,561	819.9	94,668
November 2019	882.8	November 27, 2019	8,999	812.6	November 4, 2019	6,327	841.8	18,24,216
October 2019	815.5	October 18, 2019	1,841	770.9	October 9, 2019	1,546	800.7	1,14,261
September 2019	905.7	September 3, 2019	9,229	761.8	September 19, 2019	3,693	836.3	21,32,552

 # The High and Low Prices are based on closing prices during the said period.
**Arithmetic average of the closing prices of all trading days during the said period.*
*** The Equity Shares of the Company got listed on BSE on December 26, 2018. Hence data for 2018-19 (i.e., from December 26, 2018 to March 31, 2019 is taken into consideration.*
Note 1: The Company had alloted certain shares to the employees of the Company and the same got listed on BSE and NSE on March 19, 2019.
(Source: www.bseindia.com)

NSE:

Period	High (INR)#	Date of High	Number of Equity Shares traded on that date	Low (INR)#	Date of Low	Number of Equity Shares traded on that date	Average Price (INR)*	Total volume traded in the period (Equity Shares)
Preceding 3 years**								
January 22, 2019 to March 18, 2019	1,214.4	February 27, 2019	1,14,195	860.0	January 22, 2019	30	1086.4	4,551,986
March 19, 2019 to March 31, 2019	1,021.8	March 20, 2019	2,23,764	987.5	March 27, 2019	2,43,460	999.4	15,60,444
Preceding 6 months								
February 2020	902.3	February 10, 2020	1,26,802	782.1	February 28, 2020	1,39,239	857.0	26,24,819
January 2020	886.7	January 29, 2020	2,07,527	789.0	January 6,2020	1,07,552	837.7	38,27,588
December 2019	870.6	December 2, 2019	48,557	777.9	December 30, 2019	1,10,599	819.7	19,69,448
November 2019	882.3	November 27, 2019	89,642	812.8	November 4, 2019	1,00,817	841.8	64,52,231
October 2019	817.2	October 18, 2019	1,20,027	771.5	October 9, 2019	32,761	802.3	22,40,643
September 2019	902.5	September 3, 2019	67,886	756.7	September 19, 2019	4,30,694	836.0	47,99,367

#The High and Low Prices are based on closing prices during the said period.
**Arithmetic average of the closing prices of all trading days during the said period.*
*** The Equity Shares of the Company got listed on NSE on January 22, 2019. Hence date for 2018-19 (i.e., from January 22, 2019 to March 31, 2019 is taken into consideration.*
Note 1: The Company had alloted certain shares to the employees of the Company and the same got listed on BSE and NSE on March 19, 2019.
(Source: www.nseindia.com)

9.3. The stock prices on the Stock Exchanges on relevant dates are:

Date	Description	BSE			NSE		
		High (INR)	Low (INR)	Closing (INR)	High (INR)	Low (INR)	Closing (INR)
March 17, 2020	Day prior to notice of Board Meeting to consider proposal of Buyback was given to the Stock Exchanges	609.2	541.9	543.2	612.0	538.4	547.6
March 18, 2020	Day on which Notice of Board Meeting to consider proposal of Buyback was given to the Stock Exchanges	574.6	521.0	523.2	582.6	520.1	525.9
March 21, 2020*	Board Meeting day	519.2	494.3	511.1	520.0	488.1	511.1
March 23, 2020	First trading day post Board Meeting day	499.9	408.9	408.9	505.0	408.9	408.9

**Since the date of Board Meeting day falls on a holiday (i.e., Saturday), the immediate preceding working day has been considered (i.e. March 20, 2020).*
(Source: www.nseindia.com and www.bseindia.com)

10. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

10.1 The capital structure of the Company as on the date of this Public Announcement and the proposed capital structure of the Company post completion of the Buyback is set forth below:

Particulars	Pre-Buyback (As on the date of this Public Announcement) (In INR)	Post-Buyback (Post completion of the Buyback) (In INR)*
Authorised share capital: 1,59,55,00,000 Equity Shares of INR 2/- each 1,00,000 preference shares of INR 100/- each 5,00,00,000 preference shares of INR 10/-	3,70,10,00,000	3,70,10,00,000
Issued, subscribed and paid up share capital: *Pre-Buyback*: 19,29,58,553 Equity Shares of INR 2/- each Post-Buyback: 18,58,15,696# Equity Shares	38,59,17,106	37,16,31,392

#Assuming that the Indicative Maximum Buyback Shares are bought back. However, the post Buyback issued, subscribed and paid-up capital will differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back.

10.2 As on the date of this Public Announcement, there are no Equity Shares which are partly paid-up, or with call-in-arrears and there are no outstanding instruments convertible into Equity Shares except an aggregate of 6,39,000 outstanding vested employees stock options..

10.3 The shareholding pattern of the Company as on March 19, 2020 ("Pre-Buyback") and the proposed shareholding pattern of the Company post completion of the Buyback ("Post-Buyback") are given below:

Shareholder	Pre-Buyback		Post-Buyback*	
	No. of Equity Shares	% of Equity Shares	No. of Equity Shares	% of Equity Shares
(A) Promoter & Promoter Group	10,47,31,548	54.3	10,47,31,548	56.4
(B) Public	8,82,27,005	45.7	8,10,84,148	43.6
(C1) Shares underlying DRs	-	-		
(C2) Shares held by Employee Trust	-	-		
(C) Non-Promoter -Non-Public (C =C1+C2)	-	-		
Grand Total (A+B+C)	**19,29,58,553**	**100**	**18,58,15,696**	**100**

#Assuming that the Indicative Maximum Buyback Shares are bought back. However, the shareholding post completion of the Buyback, may differ depending upon the actual number of Equity Shares bought back in the Buyback.

10.4 No scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the Companies Act is pending in relation to the Company as on the date of this Public Announcement.

11. DETAILS OF PROMOTERS, MEMBERS OF THE PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL AND DIRECTORS OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP SHAREHOLDING AND OTHER DETAILS

11.1 For the details of the aggregate shareholding of the promoters, members of the promoter group, directors of the promoters and members of the promoter group (where the promoter or the member of the promoter group is a company) and of persons who are in control of the Company as on the date of this Public Announcement, please refer to paragraph 4.1 of Part A above.

11.2 For the details of Equity Shares sold or purchased by the persons mentioned in paragraph 11.1 above during a period of 12 (twelve) months preceding the date of this Public Announcement, please refer to paragraph 4.2 of Part A above.

11.3 While the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company are not eligible to participate in the Buyback, depending on the number of Equity Shares bought back by the Company, their effective shareholding percentage in the Company, will increase marginally.

12. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE LIKELY IMPACT OF THE BUYBACK ON THE COMPANY

12.1 The Buyback is expected to enhance overall long-term shareholders' value for continuing shareholders, without compromising on the future growth opportunities of the Company, as well as provide an exit opportunity to the public shareholders. The Buyback is not likely to cause any material adverse impact on the earnings of the Company, except a reduction in the treasury income which the Company could have otherwise earned from investments in fixed deposits and mutual funds.

12.2 The Buyback is proposed, considering the accumulated surplus funds available with the Company being in excess of the surplus amount needed to be retained by the Company for future growth of the Company as envisaged by the Board.

12.3 The Buyback will be funded out of the internal accruals of the Company including free reserves of the Company, in accordance with Section 68(1) of the Companies Act and Regulation 4(ix) of the Buyback Regulations.

12.4 The Buyback will lead to reduction in existing Equity Shares and consequently, is expected to improve the 'earnings per share' and enhance return on equity, assuming that the Company would earn similar profits as in the past.

12.5 Pursuant to Regulation 16(ii) of the Buyback Regulations, the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company will not participate in the Buyback. The Buyback will not result in a change in control or otherwise affect the existing management structure of the Company.

12.6 Consequent to the Buyback (which excludes participation by the promoters, members of the promoter group and persons in control of the Company) and based on the number of Equity Shares bought back by the Company from the shareholders including resident outside India, erstwhile overseas corporate bodies, foreign portfolio investors and non-resident Indian shareholders, the shareholding pattern of the Company would undergo a change; however public shareholding shall not fall below 25% of the total fully paid up equity share capital of the Company.

12.7 In accordance with Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) of the Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up capital and free reserves post the Buyback based on both audited standalone and consolidated financial statements of the Company.

12.8 The Company shall not issue any Equity Shares or other securities including by way of bonus issue, till the date of expiry of the Buyback Period in accordance with the applicable provisions of the Companies Act and the Buyback Regulations. The Company shall not make any further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under Section 62(1)(a) or other specified securities within a period of 6 (six) months after the completion of the Buyback except by way of bonus shares or equity shares issued in order to discharge subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into Equity Shares. Further, in accordance with Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (one) year from the expiry of the Buyback Period, except in discharge of its subsisting obligations.

12.9 Unless otherwise determined by the Board or Buyback Committee or as may be directed by the Appropriate Authorities, the Buyback will be completed within a maximum period of 6 (six) months from the date of opening of the Buyback. In accordance with Buyback Regulations, the Company shall not withdraw the Buyback once this Public Announcement has been made.

13. STATUTORY APPROVALS

13.1 Pursuant to Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions of the Companies Act and applicable Rules thereunder and the provisions of the Buyback Regulations and Article 4 of the Articles of Association of the Company, the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

13.2 The Buyback from each shareholder is subject to all statutory consents and approvals as may be required by such shareholder under applicable laws and regulations. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the Reserve Bank of India and / or SEBI, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buyback. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

13.3 The Buyback shall be subject to such necessary approvals as may be required, and the Buyback from erstwhile overseas corporate bodies and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, as amended from time to time.

13.4 To the best of the knowledge of the Company, other than the Board approval mentioned in paragraph 13.1, of Part B above, no other statutory approvals are required by it for the Buyback as on the date of this Public Announcement. Subject to the obligation of the shareholders to obtain the consents and approvals necessary for transfer of their Equity Shares to the Company as set out in paragraph 13.2 of Part B above, the Company shall obtain such statutory approvals as may be required, from time to time, if any, for completion of the Company's obligations in relation to the Buyback.

14. COLLECTION AND BIDDING CENTERS

The Buyback will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centres and bidding centres is not applicable.

15. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during office hours i.e., 10:00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays.

Dr. Sanjeev Gemawat
Executive Director - Legal and Group Company Secretary
Dalmia Bharat Limited
11th and 12th Floor Hansalaya Building, 15 Barakhamba Road, New Delhi, India – 110 001
Tel No.: 011-23465100
Fax No.: 011-23313303
Email: corp.sec@dalmiabharat.com

16. INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any query, the shareholders may also contact KFin Technologies Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, appointed as the Investor Service Centre for the purposes of the Buyback, on any day except Saturday and Sunday and public holiday between 9.30 a.m. to 5.30 p.m. at the following address:

KFINTECH
KFin Technologies Private Limited*
Selenium, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District
Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad Rangareddi TG 500032 IN
Tel No.: 040-6716 2222; **Fax No.:** 040-2343 1551
Contact Person: Sridhar Balmuri
Email: sridhar.balamurli@kfintech.com; **Website:** www.kfintech.com
Investor Grievance E-mail: einward.ris@kfintech.com; mailto:einward.ris@karvy.com
SEBI Registration No.: INR000000221
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
CIN: U72400TG2017PTC117649
**The name has been changed from 'Karvy Fintech Private Limited' to 'KFin Technologies Private Limited' with effect from December 5, 2019.*

17. MERCHANT BANKER FOR THE BUYBACK

The Company has appointed the following as Manager to the Buyback:

HDFC BANK
HDFC Bank Limited
Investment Banking Group,
Unit No. 401 & 402, 4th Floor Tower B
Peninsula Business Park, Lower Parel, Mumbai – 400 013
Tel No.: +91 22 3395 8233; **Fax No.:** +91 22 3078 8584
Email: dbl.buyback@hdfcbank.com; **Website:** www.hdfcbank.com
Investor Grievance E-mail: investor.redressal@hdfcbank.com
SEBI Registration No.: INM000011252
Validity Period: Permanent (unless suspended or cancelled by SEBI)
Contact Person: Ravi Sharma/ Harsh Thakkar
CIN: L65920MH1994PLC080618

18. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc., which may be issued in relation to the Buyback and confirms that the information in such documents contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Dalmia Bharat Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Gautam Dalmia	**Jayesh Doshi**	**Dr. Sanjeev Gemawat**
Managing Director	**Whole Time Director & CFO**	**Executive Director-Legal & Group Company Secretary**
DIN: 00009758	**DIN: 00017963**	**Membership No.: FCS3669**

Date: March 23, 2020
Place: New Delhi

CONCEPT

www.readwhere.com

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (SEBI (SAST) REGULATIONS), AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

ANGEL FIBERS LIMITED

The Corporate Identification Number of our Company is L17200GJ2014PLC078738

HAVING ITS REGISRED OFFICE AT SHIVALIK-2, SHOP NO.6, NR. PUSHKARDHAM TEMPLE, UNIVERSITY ROAD, RAJKOT-360005, TEL: +91-7622022349 / 9426785557; WEBSITE: www.angelfibers.com; EMAIL ID: info@angelfibers.com/ cs@angelfibers.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 65,00,000 (SIXTY FIVE LAKHS) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH REPRESENTING 26.00% OF EQUITY SHARE CAPITAL/VOTING CAPITAL AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OPEN OFFER FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE ANGEL FIBERS LIMITED FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 9.00 (RUPEES NINE ONLY) PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE"), BY MR. JITENDRA G. RAIYANI (ACQUIRER NO. 1) AND MR. RAMESHKUMAR JIVRAJBHAI RANIPA (ACQUIRER NO. 2) (HEREIN AFTER COLLECTIVELY REFERRED AS "ACQUIRERS") WITH AN INTENTION TO ACQUIRE CONTROL OF THE TARGET COMPANY.

This detailed public statement ("DPS") is being issued by Beeline Broking Limited, the manager to the Open Offer (the "Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulation 13(4), 14(3) and 15(2) and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto (the "SEBI (SAST) Regulations" and reference to a particular "Regulation" shall mean the particular regulation of the SEBI (SAST) Regulations), pursuant to the public announcement made on March 17, 2020 ("Public Announcement" or "PA") issued in terms of Regulation 3(1) and 4 read with regulation 13 (1) and regulation 15(1) of SEBI (SAST) Regulations and submitted to BSE Limited ("BSE") on March 17, 2020, in accordance with Regulation 14(1) of the SEBI (SAST) Regulations, sent to the registered office of the Target Company on March 17, 2020 and was filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 17, 2020 in term of Regulations 3(1) and 4 read with Regulation 14 (2) of SEBI (SAST) Regulations.

For the purpose of this Detailed Public Statement, the following terms have the meanings assigned to them below:

(a) **"EPS"** means earnings per share.
(b) **"Equity Shares"** or "Shares" means the fully paid-up equity shares of face value of ₹10 each of the Target Company.
(c) **"Sellers"** means Mr. Ashok Mavjibhai Dudhagara and Mrs. Prafulaben Ashokbhai Dudhagara.
(d) **"Offer Period"** has the meaning as ascribed to it in the SEBI (SAST) Regulations.
(e) **"Public Shareholders"** means all the public shareholders of the Target Company who are eligible to tender their shares in the Offer, other than the parties to the Acquirers, the Promoters/Sellers of the Target Company and persons deemed to be acting in concert with such parties, pursuant to and in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.
(f) **"Sale Shares"** means 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakhs Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares of face value of ₹ 10.00 each which constitutes 56.47% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of Target Company.
(g) **"SEBI Act"** shall mean Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and subsequent amendments thereto.
(h) **"Tendering Period"** means Period within which Public Shareholders of the Target Company may tender their Equity Shares in acceptance to the Offer.
(i) **"EQUITY SHARE CAPITAL/VOTING CAPITAL"** means Paid-up Equity Share Capital of ₹ 25,00,00,000 comprising of 2,50,00,000 fully paid up Equity Shares of face value of ₹ 10.00 each, and
(j) **"Working Day"** means any working day of the Securities and Exchange Board of India.

I. ACQUIRERS, SELLER, TARGET COMPANY AND OPEN OFFER

(A) Details of ("Acquirers") Mr. Jitendra G. Raiyani (Acquirer No. 1) and Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa (Acquirer No. 2)

A.1 Mr. Jitendra G. Raiyani (Acquirer No. 1):

(a) **Mr. Jitendra G. Raiyani** an Indian resident, s/o. Gopalbhai Raiyani, aged about 50 years R/o. Radhe Shyam, Plot No. 28, Silver Stone-1, Street no. 3, 150 feet Ring Road, Behind Oscar Tower, Rajkot, Gujarat-360005, Contact No.: +91 99798 73993, E-Mail ID: jitendraraiyani9681@gmail.com. He has experience of more than 13 years in the business of Chemicals for agriculture use. He is holding directorship in Raison Bio-Tech Private Limited (CIN: U27310GJ2006PTC048496) and Redren Energy Private Limited (CIN: U40106GJ2006PTC049654). To explore further business opportunities he has proposed to enter in the business of cotton yarn by acquiring stake in Angel Fibers Limited.

(b) Mr. Jitendra G. Raiyani has agreed to acquire 28,23,680 equity shares representing 11.29% of total equity Share Capital/Voting Capital of Target Company from Sellers through share purchase agreement (SPA) dated March 17, 2020.

(c) He does not hold equity shares of Target Company as on the date of this DPS. He does not have any other interest or relationship with Target Company or its promoters, directors, Key Managerial Personnel.

(d) Mr. Jitendra G. Raiyani has confirmed that he is not categorized as a "willful Defaulter" in terms of regulation (1)(ze) of SEBI (SAST) Regulations and is not debarred by SEBI from accessing capital market or from dealing in securities in terms of provisions of section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulations of SEBI Act, 1992.

(e) The Net worth of Mr. Jitendra G. Raiyani as on March 16, 2020 is ₹ 287.88 lakhs (Rupees Two Crore Eighty Seven Lakhs Eighty Eight Thousand Only) and same is certified by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAQ7596 vide her certificate dated March 17, 2020 and further certifies that Mr. Jitendra G. Raiyani has sufficient funds to meet his part of obligations under open offer to the shareholders of Target Company.

A.2 Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa (Acquirer No. 2):

(a) **Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa**, an Indian resident, s/o. Jivrajbhai Ranipa, aged about 48 years R/o. 301, Krishna Palace, Swastik Society, Opp Essar House, Patel Colony, Jamnagar Gujarat-361008, Contact No.: +91 98252 12209; E-Mail ID: ramesh.ranipa@yahoo.co.in. He started his carrier as a clerk in Agriculture co-operative society and serve to society for the period of 5 years but looking to available opportunity in business and dealership of Mahindra Tractor, he has started his first venture under the name Murlidhar Tractors (Partnership Firm) in the year 2001. In the year 2010, to explore growing opportunity in Ceramic Sector he also commence the Ceramic business by incorporating a company namely Redstone Granito Private Limited. Later on in the year 2015, he has enters into spinning business by set up Spinning Unit under the name Sanvi Spinning Mill Private Limited. He holds directorship in Redstone Granito Private Limited (U26914GJ2010PTC063247) and Sanvi Spinning Mill Private Limited (U17291GJ2015PTC082662). To explore further business opportunity he has proposed to enter in the business of cotton yarn by acquiring stake in Angel Fibers Limited.

(b) Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa has agreed to acquire 1,12,95,000 equity shares representing 45.18% of total equity share Capital/Voting Capital of Target Company from Mr. Ashok M. Dudhagara through share purchase agreement (SPA) dated March 17, 2020.

(c) He does not hold equity shares of Target Company as on the date of this DPS. He does not have any other interest or relationship with Target Company or its promoters, directors, Key Managerial Personnel.

(d) Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa has confirmed that he is not categorized as a "willful Defaulter" in terms of regulation (1)(ze) of SEBI (SAST) Regulations and not debarred from accessing capital market or dealing in securities in terms of the provisions of the section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulations of SEBI Act, 1992.

(e) The Net worth of Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa as on March 16, 2020 is ₹ 1310.59 lakhs (Rupees Thirteen Crore Ten Lakhs Fifty Nine Thousand Only (Rounded Off) and same is certified by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAP1208 vide her certificate dated March 17, 2020 and further certifies that Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa has sufficient funds to meet his part of obligations under open offer to the shareholders of Target Company.

(B) INFORMATION ABOUT SELLERS

The Details of sellers are set out below:

Sr. No.	Name of the Sellers	Residential Address	No of Shares held in the Target Company prior to SPA	% of Share Capital
1	Mr. Ashok Mavjibhai Dudhagara ^	A-88, Alap Avenue University Road, Rajkot 360005, Gujarat	1,14,62,320*	45.85
2.	Mrs. Prafulaben Ashokbhai Dudhagara ^	A-88, Alap Avenue University Road, Rajkot 360005, Gujarat	26,56,360#	10.63
		TOTAL	**1,41,18,680$**	**56.47**

^ Sellers are Promoters of the Target Company. There are no other Individual person(s)/Bodies corporate other than Sellers are forming part of Promoters/Promoters group in Target Company. (Source: www.bseindia.com).

* Out of 1,14,62,320 equity shares 46,95,480 Equity Shares constituting 18.78% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target company are pledged with Lender(s) – State Bank of India (SBI) and 50,00,000 Equity Shares constituting 20.00% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target Company are Lock-In upto March 7, 2021.

\# Out of 26,56,360 equity Shares 6,09,360 Equity Shares constituting 2.44% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target company are pledged with Lender(s) – State Bank of India (SBI) and 1,25,000 Equity Shares constituting 0.50% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target Company are Lock-In upto March 7, 2021.

$ Out of 1,41,18,680 equity shares 53,04,840 Equity Shares constituting 21.22% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target company are pledged with Lender(s) – State Bank of India (SBI) and 51,25,000 Equity Shares constituting 20.50% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target Company are Lock-In upto March 7, 2021).

1) Sellers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of section 11B of the SEBI Act, 1992.

2) There have been instances of non compliances with the provision of chapter V of the regulations by Mr. Ashok Mavjibhai Dudhagar and Mrs. Prafulaben Ashokbhai Dudhagara for which SEBI may take suitable action against them, details are follows:

Name of Seller/ Promoter of Target Company	Regulation/Sub-Regulations of SEBI (SAST) Regulations, 2011	Due-Date of Compliance as mentioned in the SEBI (SAST) Regulations, 2011	Actual Date of Compliance	Delay if any (No. of Days)
Mr. Ashok Mavjibhai Dudhagar	Continual Disclosures under Regulation 30(2) for the year ended March 31, 2018	April 7, 2018	March 23, 2020	713
	Continual Disclosures under Regulation 30(2) for the year ended March 31, 2019	April 7, 2019	March 23, 2020	349
	Disclosures of Encumbered Shares under Regulation 31(1)	June 21, 2018	March 23, 2020	641
Mrs. Prafulaben Ashokbhai Dudhagera ^	Continual Disclosures under Regulation 30(2) for the year ended March 31, 2018	April 7, 2018	March 23, 2020	713
	Continual Disclosures under Regulation 30(2) for the year ended March 31, 2019	April 7, 2019	March 23, 2020	349
	Disclosures of Encumbered Shares under Regulation 31(1)	June 21, 2018	March 23, 2020	641

3) Post completion of acquisition of 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakhs Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares from Sellers who are existing promoters of the Angel Fibers Limited, Sellers will not be holding Equity Shares in Angel Fibers Limited.

(C) INFORMATION ABOUT ANGEL FIBERS LIMITED ("TARGET COMPANY")

1) The Target Company was originally incorporated in the name and style as "Angel Fibers Private Limited" at Rajkot on February 14, 2014 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli. Subsequently Company was converted to public limited Company pursuant to shareholders resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on December 7, 2017 and the name of Company was changed to "Angel Fibers Limited". A fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited Company was issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, on December 11, 2017. Company Identification Number of Target Company is L17200GJ2014PLC078738.

2) Equity Share of Target Company listed on the SME Platform of BSE Limited (Security Code: 541006 Symbol: ANGEL) on March 6, 2018.

3) Registered office of the Target Company is situated at Shivalik-2, Shop No.6, Nr. Pushkardham Temple, University Road, Rajkot 360005. **E-Mail ID:** info@angelfibers.com/ cs@angelfibers.com; **Website:** www.angelfibers.com

4) The Target company is engaged in the business of spinning of cotton yarn.

5) As on the date of this DPS, the authorized share capital of the Target Company is ₹ 25,00,00,000 (Rupees Twenty Five Crores) comprising of 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs) Equity Shares of face value of ₹ 10. As on the date of this DPS, the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Target Company is ₹ 25,00,00,000 (Rupees Twenty Five Crores) comprising of 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs) Equity Shares of face value of ₹ 10.

6) Equity Shares of Target Company are in-frequently traded within the meaning of the Regulation 2(1)(j) of SEBI (SAST) Regulation.

7) Brief Financial of Target Company are as follows: **(Rs. in Lakhs)**

Particulars	Year Ended as on March 31, 2017 (Audited)	Year Ended as on March 31, 2018 (Audited)	Year Ended as on March 31, 2019 (Audited)	For the period Ended September 30, 2019 (Un-Audited)
Total Revenue (In ₹ Lakhs)	8,162.33	8,635.32	13,690.60	6,929.71
Net Income (after tax) (In ₹ Lakhs)	59.95	435.08	53.82	(-620.19) (Loss)
EPS (In ₹)	0.24	1.74	0.22	(-2.48) (Negative)
Net worth / Shareholder' Funds (In ₹ Lakhs)	2454.94	2890.02	2943.85	2323.66

(Source: Annual Report and half yearly financials results filed with BSE Limited; www.bseindia.com)

8) None of the directors of the Target Company represents the Acquirers.

9) Shree Ganesh Cotton Industries ("Operational Creditor") had filed Rebuttal Affidavit/Petition dated March 17, 2020 before the National Company Law Tribunal ("NCLT") - Ahmedabad Bench against the response to counter affidavit filed by the Target Company, for recovery of dues of ` 4,94,23,348.90 (Rupees Four Crores Ninety Four Lakhs Twenty Three Thousand Three Hundred Forty Eight and Ninety paisa only) from Target Company. The copy of Rebuttal Affidavit/Petion filed by Operation creditor dated March 17, 2020 was received by the Target Company on March 20, 2020. (Source: Information provided by the Sellers/Target Company).

(D) DETAILS OF THE OFFER

1) The Acquirers are making Open Offer for acquisition of up to 65,00,000 (Sixty Five Lakhs) fully paid up equity shares of ` 10 each representing 26.00% of equity share capital/voting capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer from the eligible shareholders of the Angel Fibers Limited.

2) This open offer is made to all the equity shares holders of the Target Company other than parties to SPA executed on March 17, 2020.

3) The Open Offer is made at a price of ₹ 9.00 (Rupees Nine Only) per equity share ("offer price") subject to the terms and conditions mentioned in the Public Announcement, this detailed public statement ("DPS"), and to be set out in the letter of offer and any corrigendum thereto, if any, that may be issued in relation to the Offer in accordance with the Takeover Regulations. The Offer Price will be paid in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations and the terms and conditions mentioned in the Public Announcement, this DPS and to be set out in the letter of offer to be sent to all the Public Shareholders in relation to this Offer.

4) To the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory or other approval(s) required by the Acquirers to complete the acquisition under the SPA and the Offer as on the date of this DPS. If, however, any statutory or other approval(s) becomes applicable prior to completion of such acquisition, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s). In the event such statutory approvals are refused, the Acquirers will have the right to withdraw this Offer in accordance with Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

5) **Except as stated below there are no conditions, the meeting of which would be outside reasonable control of Acquirers and in view of which the offer might be withdrawn under regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations stipulated in the SPA which threatens or questions the validity or enforceability of the SPA or any of the transaction contemplated in SPA between Sellers and Acquirers:**

a. **Target Company has received application in form no. 5 dated January 3, 2020 from Operational Creditor namely Shree Ganesh Cotton Industries, one of the suppliers of the company, to initiate corporate insolvency resolution process under the code/rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority), Rules 2016 for recovery of dues of ₹ 4,94,23,348.90 (Rupees Four Crores Ninety Four Lakhs Twenty Three Thousand Three Hundred Forty Eight and Ninety paisa only). Further Target Company has filed counter affidavit/Petition dated March 6, 2020 in response to above application, being the matter related to dispute of quality and allowances matter for raw material supplied by the operational creditor. If a Corporate Debtor (Target Company) is accepted into the CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) by National Company Law Tribunal ("NCLT") – Ahmedabad Bench, NCLT- Ahmedabad Bench will i) Declare Moratorium, ii) Cause a Public Announcement iii) Appoint an Interim resolution Professional. Subsequently, the management is placed under an independent "Interim Resolution Professional" till the end of the CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process), the management ceases to have any control over the activities of the company.**

6) **On triggering of aforesaid event of CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) by NCLT Ahmedabad Bench, the situation will be outside the reasonable control of Acquirers and consequently Acquirers will withdraw this open offer under Regulation 23 of SEBI (SAST) Regulations and will rescind the SPA dated March 17, 2020 and sellers will immediately refund the amount received from the Acquirers towards sale shares.**

7) This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Shareholder(s) of the Target Company.

8) This is not a competing Offer in terms of Regulataon 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

9) There are no partly paid shares and other convertible instruments pending for conversion.

10) The Manger to the open offer, Beeline Broking Limited does not hold Equity shares of the Target Company. The manager to the open offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the Equity Shares of the Target company during the Offer Period.

11) The SPA is subject to compliance of provision of SEBI (SAST) Regulations, and in case of non compliance with the provision of SEBI (SAST) Regulations, the SPA shall not be acted upoun by the Sellers and Acquirers.

12) In terms of Regulation 25(2), the Acquirers will not dispose-off or otherwise encumber any assets or investments of the Target Company, through sale, lease, reconstruction, restructuring including but not limited to amalgamation and/or demerger with its group companies and/or re-negotiation or termination of existing contractual/operating arrangements, for restructuring and/or rationalizing the assets, investments or liabilities of the Target Company and/or it subsidiaries, to improve operational efficiencies and for other commercial reasons. The Board of Directors of the Target Company will take decisions on these matters in accordance with the requirements of the business of the Target Company.

13) Assuming full acceptance of 65,00,000 fully paid up equity shares of ₹ 10 each representing 26.00% of equity share capital/voting capital as of the tenth working day from the closure of the tendering period of the open offer from the eligible shareholders of the Target Company by the Acquirers, public shareholding will be reduced to 17.53% in the target company. As per Regulation 38 of SEBI (LODR) Regulations read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25% Public Shareholding, on continuous basis for listing. As per sub rule 2 of rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, where the public shareholding in a listed company falls below twenty five per cent, at any time, such company shall bring the public shareholding to twenty five per cent within a maximum period of twelve months from the date of such fall in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India.

14) In the Open offer, the Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirers as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1) The Acquirers has agreed to acquire from the promoters of the Target Company namely Mr. Ashok Mavjibhai Dudhagara and Mrs. Prafulaben Ashokbhai Dudhagara ("Sellers"), 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakhs Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares ("Sale Shares") of face value of ₹ 10.00 each which constitutes 56.47% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of Target Company (including 53,04,840 Equity Shares constituting 21.22% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target company are pledged with Lender(s) – State Bank of India (SBI) and 51,25,000 Equity Shares constituting 20.50% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the Target Company are Lock-In upto March 7, 2021) for an aggregate consideration of ₹ 12,70,68,120 (Twelve Crores Seventy Lakhs Sixty Eight Thousand One Hundred and Twenty Only), i.e. ₹ 9 (Rupees Nine Only) per Equity Share ("Negotiated Price") through a Share Purchase Agreement dated March 17, 2020 ("SPA"). Consequent upon acquisition of Sale Shares, the Shareholding of the Acquirers will be holding 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakhs Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares constituting 56.47% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of Target Company. Pursuant to SPA, the Acquirers shall hold majority of Equity Shares by virtue of which they shall be in a position to exercise control over management and affairs of the Target Company. This offer is made in terms of Regulations 3(1) and 4 of the Takeover Regulations.

2) **Some Salient Features of SPA are as follows:**

- Sellers has agreed to transfer the 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakh Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares in Target Company and the Acquirers have agreed to take over the 1,41,18,690 (One Crore Forty One Lakh Eighteen Thousand Six Hundred and Ninety only) equity shares of ₹ 10/- each from Sellers for cash at ₹ 9.00 per share; thus the total amount of consideration comes to ₹ 12,70,68,120 (Twelve Crores Seventy Lakhs Sixty Eight Thousand One Hundred and Twenty Only) ("**Total Consideration" or "Purchase Consideration**") thorough SPA executed on March 17, 2020. The purchase consideration will be paid to sellers as follows;
  - An earnest money deposit of Rs. 3,81,20,436 (Rupees Three Crores Eighty One Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Thirty Six only) (30.00% of the total consideration) will be paid at the time of execution of this Agreement.
  - 30% of total consideration amounting to Rs. 3,81,20,436 (Rupees Three Crores Eighty One Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Thirty Six only) will be paid on or before March 31, 2020.
  - 30% of total consideration amounting to Rs. 3,81,20,436 (Rupees Three Crores Eighty One Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Thirty Six only) will be paid on or before April 15, 2020.
  - Balance 10% of total consideration amounting to Rs. 1,27,06,812 (Rupees One Crore Twenty Seven Lakhs Six Thousand Eight Hundred and Twelve only) will be paid on will be paid after the completion of the formalities of takeover with SEBI/Stock Exchange and Other Regulatory Authorities, etc.
- The Acquirers shall purchase from the Seller and the Seller shall sell to the Acquirers, as legal and beneficial owners, the Sale Shares, free from all encumbrances 1,41,18,680 (One Crore Forty One Lakhs Eighteen Thousand Six Hundred and Eighty only) equity shares which constitutes 56.47% (including 53,04,840 Equity Shares constituting 21.22% of the issued, paid up and subscribed equity share capital of the AFL which are pledged with Lender(s) and are subject to NOC/approval from lender(s)), and 51,25,0000 Equity Shares which are under lock in upto March 7, 2021 and will continue to locked-in in the hands of new Acquirers/Promoters as per Regulation 243 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018, and together with all rights, title, interest and benefits appertaining thereto, for the Purchase Consideration to the Seller by the Acquirers.
- Sellers and Acquirers shall jointly approach to Lenders Banks to get approval /NOC for change in management (including transferring of Equity Shares duly pledged by the Sellers with the lenders), release of personal guarantee and property of selling shareholder's group (except Non agriculture residential plot of approx ₹ 589.15 Lakhs (Rupees Five Crores Eighty Eight Nine Lakhs and Fifteen Thousand only) and by offering personal guarantee and properties acceptable to bank with equivalent valuation or as approved by bank of Acquirers as well as change in signatary authority with bank. In case of delay in receipt of NOC/consent from the lenders (SBI) or any other secured Bankers by more than 15 days from the date of making an application for change in management or releasing of pledge shares of sellers for transferring to Acquirers, in such a case, Sellers or Acquirers may approach other lenders/Bankers or existing lenders/Bankers for takeover of loan for repayment of outstanding loan amount to existing lenders (SBI) and will further continue to proceed with the takeover formalities as per SEBI (Takeover) Regulations, 2011.
- The Sellers will not transfer any of it existing shareholding of AFL to anyone except Acquirers till completion of Takeover formalities as prescribed under SEBI (Takeover) Regulations, 2011
- The Acquirers may after the expiry of twenty-one working days from the date of detailed public statement, act upon this agreement and the acquirers may complete the acquisition of shares or voting rights in, or control over the target company as contemplated in this agreement, subject to deposit of entire consideration payable in the Open Offer, assuming full acceptance, in cash, in the Escrow Account, in terms of Proviso to regulation 22(2) read with regulation 17 of the Securities And Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011. **The Acquirers are entitled to appoint themselves or their representatives on the Board of Target Company, after an initial period of 15 working days from the date of Detailed Public Statement, subject to deposit of entire consideration payable in the Open Offer, assuming full acceptance, in cash, in the Escrow Account, in terms of Proviso to regulation 24(1) read with regulation 17 of the Securities And Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011. However, as informed by sellers/Target Company, Target company has received application from one of the operational creditor (namely Shree Ganesh Cotton Industries) under code/Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority), Rules 2016 for recovery of dues of ₹ 4,94,23,348.90 (Rupees Four Crores Ninety Four Lakhs Twenty Three Thousand Three Hundred Forty Eight and Ninety paisa only) and due to this if there is triggering of any event of CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) by NCLT Ahmedabad Bench, resulting the situation which would be outside the reasonable control of Acquirers and consequently Acquirers will withdraw this Open Offer under Regulation 23 of SEBI (SAST) Regulations and will rescind the SPA dated March 17, 2020 and sellers will immediately refund the amount received from the Acquirers towards sale shares.**

3) The Open Offer is made at a price of ₹ 9.00 (Rupees Nine Only) per equity share ("offer price") subject to the terms and conditions mentioned in this Public Announcement, the detailed public statement ("DPS"), the letter of offer and any corrigendum thereto, if any, that may be issued in relation to the Offer in accordance with the Takeover Regulations. The Offer Price will be paid in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations and the terms and conditions mentioned in the Public Announcement, this DPS and to be set out in the letter of offer to be sent to all the Public Shareholders in relation to this Offer.

4) The object of acquisition is to acquire substantial shares/voting rights accompanied by control over the Target Company thereby exploring the business opportunity in textile sector through spinning unit. Acquirers may reorganize the present Capital Structure of the Company and also further strengthen the Board by appointing themselves or their representatives including appointment of new independent directors on the board of Target Company. Acquirers may allow the existing executive Directors to be appointed as Key Managerial Personnel for their technical advice. Upon consummation of the transaction contemplated in the SPA, the Acquirers will also acquire control over the Target Company and the Acquirers shall become the promoters of the Target Company upon compliance with the provision of regulation 31A(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirers in TC and the details of their acquisition are as follows:

Details	Mr. Jitendra G. Raiyani (Acquirer No. 1)		Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa (Acquirer No. 2)		Total	
	No of Shares	% of Total Equity Share Capital/Voting Capital	No of Shares	% of Total Equity Share Capital/Voting Capital	No of Shares	% of Total Equity Share Capital/Voting Capital
Shareholding as on the PA date	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Shares agreed to be acquired under SPA	28,23,680	11.29	1,12,95,000	45.18	1,41,18,680	56.47
Shares acquired between the PA date and the DPS date	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Shares to be acquired under open offer (Assuming Full Acceptance)	13,00,000	5.20	52,00,000	20.80	65,00,000	26.00
Post Offer shareholding (On Diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering period)	41,23,680	16.49	1,64,95,000	65.98	2,06,18,680	82.47

- At present Acquirers are not holding any Equity Shares of the Target Company.

IV. OFFER PRICE

1) The Equity Shares of Target Company are listed and traded on SME Platform of BSE Limited (BSE) with Script ID "ANGEL" and with script code "541006".

2) The annualized traded turnover of the Equity Shares on the BSE during the period March 1, 2019 to February 29, 2020 ("Twelve Month Period"), viz. twelve calendar months preceding the calendar month in which the PA has been made is set out below:

Name of the Stock Exchange	Total Number of Equity Shares traded during the preceding 12 calendar months prior to the month of PA (A)	Total No. of Equity Shares listed (B)	Trading turnover (as % of total number of listed Equity Shares-(A/B))
BSE LIMITED	15,44,000	2,50,00,000	6.18%

(Source: BSE and Based on Certificate received dated March 17, 2020 issued by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAO5891 having office at 314, 3rd Floor, Neo Square, Opp. I.T. Office, P.N. Marg, Jamnagar-361 008 dated March 17, 2020)

3) Based on above equity shares of Target Company are not frequently traded within the meaning of regulation 2(1)(j) of SEBI (SAST) Regulations.

4) The Offer Price of INR 9.00 per Offer Share is justified, being highest price of below, in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations on the basis of the following:

Sr. No.	Particulars	Amount in ₹
(a)	The highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an open offer	9.00
(b)	the volume-weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the Acquirers or by any person acting in concert with him, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the public announcement	Nil
(c)	the highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirers or by any person acting in concert with him, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the public announcement	Nil
(d)	the volume weighted average market price of such shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable as Equity Shares are Infrequently Traded
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies; and such other Parameters:	**For the period ended September 30, 2020**
	Other Parameters	
	Return on Networth (%)	Negative
	Earning Per Share (₹ per Share)	Negative
	Book Value Per Share (₹)	9.29

5) The fair value of Shares of the Target Company is **₹8.00 (Rupees Eight Only)** per Equity Share as certified by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAO5891 having office at 314, 3rd Floor, Neo Square, Opp. I.T. Office, P.N. Marg, Jamnagar-361 008 vide valuation certificate dated March 17, 2020. The said valuation is done considering the Supreme Court decision in the case of Hindustan Lever Employee Union V/s Hindustan Lever Limited (1995) (83 Companies Case 30).

6) Based on the above information, the Manger to the offer and Acquirers confirms that the offer price of **₹ 9.00 (Rupees Nine Only)** per fully paid up Equity Share is justified in terms of Regulation 8(2) of SEBI (SAST) Regulations.

7) Since the date of the Public Announcement and as on the date of this DPS, there have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Reguation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations.

8) As on the date of this DPS, there is no revision in Offer Price or Offer Size. The Offer Price and/or Offer Size is subject to upward revision, if any, pursuant to the SEBI (SAST) Regulations or at the discretion of the Acquirers at any time prior to the commencement of the last 1 Working Day before the commencement of the Tendering Period in accordance with Regulation 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall make corresponding increases to the escrow amount shall: (i) make a public announcement in the same newspapers in which the DPS is published; and (ii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, the Stock Exchanges and the Target Company at its registered office, of such revision.

9) In the event of future acquisition of equity shares of target company by the acquirers during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the offer price, then offer price will be revised upward to be equal to or more then the highest price paid for such acquisition in terms of regulation 8(8) of SEBI (SAST) Regulations. However, Acquirers will not be acquiring any equity shares of the target company after third working day prior to commencement of tendering period and until expiry of tendering period.

10) If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty six weeks after the Tendering Period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price to all the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under the open offer as per SEBI (SAST) Regulation or pursuant to SEBI (Delisting Equity Shares) Regulations, 2009 or open market purchase made in the ordinary course on the stock exchange, not being the negotiated acquisition of shares of the Target company whether by way of bulk/block deals or in any other form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1) Assuming full acceptance of this Offer, the total requirement of funds for this Offer is Rs. 5,85,00,000/- (Rupees Five Crore Eighty Five Lakhs Only) ("**Maximum Consideration**").

2) The Acquirers, the Manager to the Offer have entered into an escrow agreement with Indusind Bank Ltd. ("Escrow Agent"), acting through its Fort Branch office at Mumbai 400 001, dated March 17, 2020 ("Escrow Agreement"). Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirers have created an escrow account under the name and style "AFL OPEN OFFER CASH ESCROW ACCOUNT" (Escrow Account") and In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations acquirers have deposited an amount of ₹ 6,50,00,000/- (Rupees Six Crore Fifty Lakhs Only) in cash towards performance of his obligations under this open offer which represents 111.11% of the Maximum Consideration. The cash deposit in the Escrow Account has been confirmed by the Escrow Agent on March 19, 2020.

3) The Manager to the Offer have been fully authorised and empowered by the Acquirers operate and realise the Escrow Amount lying to the credit of the Escrow Account in accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

4) In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirers, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

5) The Net worth of Mr. Jitendra G. Raiyani as on March 16, 2020 is ₹ 287.88 lakhs (Rupees Two Crore Eighty Seven Lakhs Eighty Eight Thousand Only and same is certified by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAQ7596 vide her certificate dated March 17, 2020 and further certifies that Mr. Jitendra G. Raiyani has sufficient funds to meet his part of obligations under open offer to the shareholders of Target Company.

6) The Net worth of Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa as on March 16, 2020 is ₹ 1310.59 lakhs (Rupees Thirteen Crore Ten Lakhs Fifty Nine Thousand Only (Rounded Off) and same is certified by Ms. Jyoti katariya, Chartered Accountant (Membership No. 116861), Proprietor of Jyoti Katariya & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 125309W), UDIN: 20116861AAAAAP1208 vide her certificate dated March 17, 2020 and further certifies that Mr. Rameshkumar Jivrajbhai Ranipa has sufficient funds to meet his part of obligations under open offer to the shareholders of Target Company.

7) Based on above, we Beeline Broking Limited manager to this open offer, are satisfied that Acquirers will be able to implement this Offer. Further we hereby confirm that firm arrangements for funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfill the Open offer obligations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1) To the best of the knowledge of the Acquirers, As on the date of this DPS there are no statutory or other approval(s) required by the Acquirers to complete the acquisition under the SPA and the Offer as on the date of this Draft Letter of Offer. If, however, any statutory or other approval(s) becomes applicable prior to completion of such acquisition, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained. In the event such statutory approvals are refused, the Acquirers will have the right to withdraw this Offer in accordance with Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

2) In case of delay in receipt of any statutory approval that may be required by the Acquirers, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirers to diligently pursue such approval, and subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, grant an extension of time to the Acquirers to make the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer. Where any statutory approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirers shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.

3) If the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and registered FPIs and FIIs require any approvals (including from Reserve Bank of India ("RBI"), the Foreign Investment Promotion Board or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Open Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer.

4) Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirers shall complete all procedures relating to the Open Offer, including payment of consideration within 10 Working Days from the closure of the tendering period..

5) By agreeing to participate in this Open Offer (i) the holders of the Equity Shares who are persons resident in India and the (ii) the holders of the Equity Shares who are persons resident outside India (including NRIs, OCBs and FPIs) give the Acquirers the authority to make, sign, execute, deliver, acknowledge and perform all actions to file applications and regulatory reportings, if required, including FC-TRS form, if necessary and undertake to provide assistance to the Acquirers for such regulatory filings, if required by the Acquirers.

6) Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirers shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

Continue On Page

Garima Advertising

www.readwhere.com

मुंबई में सोमवार को बंबई शेयर बाजार भवन में डिजिटल स्क्रीन के पास से गुजरती एक महिला।

शेयर बाजारों में हाहाकार, सूचकांक करीब 4,000 अंक टूटा

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के प्रहार से सोमवार को शेयर बाजार चारों खाने चित हो गए। कल-कारखानों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। तमाम राज्यों में आवागमन रोक दिया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने की आशंका में सूचकांक करीब 4,000 अंक टूट गया। यह शेयर बाजार में एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 1,135.20 अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 3,935 अंक यानी 13.15 फीसद लुढ़ककर 25,981.24 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 1,135.20 अंक यानी 12.98 फीसद गिरकर 7,610.25 अंक रह गया। वहीं डालर के मुकाबले रुपया 76 रुपए से भी नीचे लुढ़क गया।

सोमवार को कारोबार के शुरुआती दौर में ही शेयर बाजार 10 फीसद से अधिक गिर गए। इसके बाद 45 मिनट के लिए बाजार में कारोबार रोक दिया गया। दुनिया के देशों के साथ आवागमन को पूरी तरह रोक दिए जाने के बाद सोमवार को देश में भी कई राज्यों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। निवेशकों में इसको लेकर घबराहट बढ़ी है और उन्हें वैश्विक बाजारों में मंदी छाने की आशंका है।

सूचकांक में शामिल एक्सिस बैंक का शेयर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। इसमें 28 फीसद से अधिक की गिरावट रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, मारुति और एलएंडटी का स्थान रहा। सभी क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों का सूचकांक भी 12 फीसद तक गिर गया। इस बीच एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष के लिए देश के वृद्धि दर अनुमान को पुराने 6.5 फीसद से घटाकर 5.2 फीसद कर दिया। इससे भी बाजार में धारणा प्रभावित हुई।

एशियाई बाजारों सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान भारी गिरावट हुई। दुनिया भर में आर्थिक राहत पैकेज की कवायद भी बाजार की धारणा को सुधार नहीं सकी। अमेरिका में खरबों डॉलर के आपातकालीन राहत पैकेज को सासंदों की मंजूरी नहीं मिलने से बाजार में नकारात्मक धारणा को बल मिला। न्यूजीलैंड में चार सप्ताह के लिए बंदी की घोषणा से वेलिंगटन ने 9.3 फीसद का नुकसान उठाया। हांगकांग में हैंगसेंग सूचकाकं 3.7 फीसद, सिडनी छह फीसद, शंघाई 2.5 फीसद और ताइवान 2.8 फीसद गिरा। सिंगापुर में 7.5 फीसद, जकार्ता में चार फीसद और सियोल में 3.4 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि डॉलर के मुकाबले येन के सस्ता होने से टोक्यो में 0.5 फीसद की बढ़ोतरी हुई।

रुपया 102 पैसे गिरकर 76.22 पर आया

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ने का असर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार पर भी दिखाई दिया। अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए में 102 पैसे की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद रुपया अब तक के सबसे निम्न स्तर 76.22 रुपए पर आ गया। बाजार में कारोबार की शुरुआत में रुपया 75.90 रुपए प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गया।

निवेशकों को 14.22 लाख करोड़ की चपत

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

सूचकांक के सोमवार को लगभग 4,000 अंक गिरकर बंद होने से शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति को 14.22 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। इसके बाद बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 14,22,207.01 करोड़ रुपए घटकर 1,01,86,936.28 करोड़ रुपए रह गया।

कंपनियों ने बदली भर्ती रणनीति, अब स्वचालित प्रणालियों पर जोर

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना महामारी से कंपनियां अब भर्ती के लिए रणनीति बदल रही हैं और आमने-सामने इंटरव्यू की जगह स्वचालित प्रणालियों व वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हैं।

कंपनियों ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में बढ़ते स्वास्थ्य संकट को बहुत गंभीरता से लिया है और अपने कर्मचारियों की सेहत के बारे में चिंतित हैं। इसलिए कॉरपोरेट अपनी भर्ती रणनीति को बदलकर वर्चुअल प्लेटफार्म पर स्थानांतरित कर रहे हैं। भर्ती संस्था एंटल इंटरनेशन के प्रवक्ता ने बताया- कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद हमारे कुछ इंटरव्यू रद्द किए गए हैं, उन्हें अप्रैल के मध्य या बाद तक स्थगित कर दिया गया है। कुछ कंपनियों ने ऐसे पदों के लिए वीडियो इंटरव्यू किया है, जो पद बेहद महत्त्वपूर्ण हैं और तत्काल भर्ती करना जरूरी है। हमारे ज्यादातर इंटरव्यू आमने-सामने की जगह वीडियो कॉल या टेलीफोन पर हो रहे हैं। कंपनियां भर्ती के लिए अब उम्मीदवारों के पिछले तीन महीनों के यात्रा ब्योरे को भी खंगाल रही हैं। साथ ही उनका चिकित्सा इतिहास भी जांचा जा रहा है।

मर्सर मेटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा- घर से काम, आभासी बैठक प्लेटफार्मों और दूसरे साधनों की मदद से बेहतर कार्य प्रबंधन किया जा सकता है। ऑनलाइन मूल्यांकन के इस्तेमाल से खासतौर से आइटी और तकनीकी भूमिकाओं के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है।

एडेको ग्रुप इंडिया के कंट्री मैनेजर और एमडी मार्को वल्सेची ने कहा- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिग, स्काइप और व्हाट्सऐप जैसे दूरसंचार अनुप्रयोगों का उपयोग करके हम भर्ती करने के लिए एक आधुनिक और सतर्क नजरिया बनाए रखने में सफल रहे हैं, जो इस अभूतपूर्व वक्त में जरूरी है। कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के चलते दुनिया भर में 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग संक्रमित हैं।

आयकर विभाग का कर संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए आयकर विभाग कर संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर जोर दे रहा है। राजस्व सेवा के अखिल भारतीय अधिकारी संघ ने यह है।

संगठन ने सभी आयकर अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर कार्मिक विभाग की ओर से जारी ड्यूटी व सावधानी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने और घर से काम करने को कहा है जिसमें संक्रमण के खतरसे से बचने के लिए लोंगे से सामाजिक स्तर पर दूरी खने की सलाह दी है। संगठन ने कहा है- बाहर काम करने वाले अधिकारियों ने कार्यालय जाने को लेकर अपनी वैध चिंता जाहिर की है। आयकर विभाग इस मामले में कानूनी समय सीमा और निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहा है। भारतीय राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों का कहना है कि तब तक, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले राजस्व विभाग के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के 22 मार्च के आदेश के आधार पर जारी निर्देशों के तहत हमें घर से जितना भी काम हो सकता है वह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहां तक कि आईटीबीए कार्य भी नहीं किया जा सकता है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल ही में मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि कनिष्क स्तर के अधिकारियों को मानव बल को कम करना चाहिए और उन्हें घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एसएंडपी ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 5.2 फीसद किया

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

वैश्विक रेटिग एजंसी स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) ने सोमवार को भारत के वर्ष 2020- 21 के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि के पूर्वानुमान को घटा कर 5.2 फीसद कर दिया। इससे पहले एजंसी ने 6.5 फीसद वृद्धि का अनुमान जताया था। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्थाओं में भारी गिरावट के बीच उसने अनुमान घटाया है।

एजंसी ने कोरोना वायरस 'कोविड 19' की वजह से एशिया प्रशांत क्षेत्र में करीब 620 अरब डालर के स्थायी नुकसान का अनुमान लगाया है। हालांकि उसने इसका देशवार ब्योरा नहीं दिया है। एस एंड पी ने कहा है कि उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में वास्तविक जीडीपी, मुद्रास्फीति और नीतिगत ब्याज दर के अनुमानों में भी संशोधन किया है। भारत के लिए एजंसी ने वर्ष 2020- 21 के लिए जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 6.5 फीसद से घटाकर 5.2 फीसद कर दिया है। इसी तरह उसने देश की 2021- 22 की वृद्धि के सात फीसद रहने के अनुमान को भी घटाकर 6.9 फीसद किया है।

चालू वित्त वर्ष के लिए रेटिंग एजंसी ने जीडीपी वृद्धि के अनुमान को पांच फीसद रखा है। एजंसी ने 2022- 23 और 2023- 24 के लिये जीडीपी वृद्धि अनुमान को सात फीसद बताया है। एजंसी ने कहा है कि मुद्रास्फीति की दर चालू वित्त वर्ष के 4.7 फीसद से घटकर अगले वित्त वर्ष में 4.4 फीसद रह सकती है। इसके बाद 2021- 22 में यह और घटकर 4.2 फीसद रह सकती है। इसके बाद इसमें हल्की वृद्धि होगी और यह 2022- 23 में 4.4 फीसद और उससे अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 4.5 फीसद तक पहुंच सकती है।

इससे पहले कई अन्य अंतरराष्ट्रीय एजंसियों ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। फिच रेटिंग ने शुक्रवार को ही भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 2020- 21 के लिए 5.6 फीसद से घटाकर 5.1 फीसद किया है। वहीं मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने पिछले सप्ताह ही 2019- 20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5.4 फीसद से घटाकर 5.3 फीसद किया है।

रिलायंस काम बंद होने पर ठेका कर्मियों को देगी पूरा वेतन

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना महामारी को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाकर एक लाख मास्क रोजाना करने, कोविड 19 के मरीजों को ले जाने वाले वाहनों को मुफ्त ईंधन देने और विभिन्न शहरों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

कंपनी ने सोमवार को कहा कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी इकाई द्वारा संचालित अस्पताल ने अपने एक अस्पताल में कोरोना वायरस मरीजों के लिए सौ बेड वाली एक इकाई स्थापित की है। कंपनी ने कहा कि अगर इस संकट के कारण उसका काम रुकता है तो भी वह स्थायी व ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन देगी। कंपनी कोरोना पीड़ित मरीजों को ले जाने वाले आपातकालीन वाहनों को मुफ्त में ईंधन उपलब्ध कराएगी। रिलायंस फाउंडेशन उन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाएगी जिनकी इस महामारी से आजीविका प्रभावित हुई है।

इंद्रप्रस्थ गैस ने बंद किए दो तिहाई सीएनजी स्टेशन

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए दिल्ली आने जाने पर पाबंदी (लॉकडाउन) के एलान के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अपने दो तिहाई सीएनजी स्टेशन सोमवार को बंद कर दिए। इसकी प्रमुख वजह वाहनों के आवागमन पर रोक से वाहनों के गैस ईंधन की मांग की कमी होना है।

दिल्ली-एनसीआर में कंपनी अब 55 सीएनजी स्टेशन का परिचालन करेगी। कंपनी की पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। हालांकि इसके नए कनेक्शन नगरबंदी की अवधि तक जारी रहेंगे। कंपनी ने एक बयान में कहा- दिल्ली राजधानी क्षेत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में नगरबंदी की घोषणा को देखते हुए आइजीएल ने चुनिदा सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से अपनी सेवा जारी रखने का फैसला किया है।

कंपनी ने कहा- इन शहरों में 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक कंपनी के 55 सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। यह मुख्य तौर पर अनिवार्य व आपातकालीन सेवाओं के लिए वाहनों को ईंधन मूहैया कराएंगे। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कंपनी करीब 155 सीएनजी स्टेशन का परिचालन करती है। अन्य पेट्रोल पंपो पर सीएनजी बिक्री जारी रहेगी। वहीं दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के डिपो में उसकी जरूरत के मुताबिक सीएनजी उपलब्ध होगी।

आइजीएल के खुले रखे जाने वाले 55 सीएनजी स्टेशनों में से 44 दिल्ली में, पांच गाजियाबाद में, तीन नोएडा में, दो ग्रेटर नोएडा में और एक गुरुग्राम में है। आइजीएल ने कहा है कि घरों में पीएनजी (पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति) आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी।

रिजर्व बैंक एक लाख करोड़ रुपए डालेगा बैंकिंग तंत्र में

मुंबई, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस की वजह से आवागमन पर व्यापक पाबंदी के कारण वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दबाव के बीच रिजर्व बेंक ने बैंकिंग तंत्र में एक लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त धन छोड़ने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह इस तरह के कदम आगे भी उठाएगा।

बैंक ने सोमवार को कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों की दीर्घकालिक खरीद की व्यवस्था (सावधि रेपो) के तहत इसमें से 50,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त को सोमवार को जारी कर दी गई है। इतनी ही राशि की दूसरी किस्त मंगलवार को उपलब्ध कराई जाएगी।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि किसी भी नकद धन की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से किसी भी तरह की तंगी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए की परिवर्तनीय रेपो दर नीलामी करने का फैसला किया है। बैंक ने कहा कि उसकी यह पहल बैंकों को सस्ती दर पर धन उपलब्ध कराना है। इससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि विशेष मामले के तहत अन्य पात्र भागीदारों के साथ ही प्राथमिक डीलरों को भी इन नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

एनसीएलटी के सभी पीठ 31 तक बंद

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 31 मार्च तक के लिए देशभर में अपनी सभी पीठें अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। हालांकि एनसीएलटी की चेन्नई पीठ पर एक सदस्यीय पीठ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी। ये मामले बुधवार और शुक्रवार को एनसीएलटी के कार्यवाहक अध्यक्ष सुनेंगे।

एनसीएलटी के रजिस्ट्रार ने 22 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा- एनसीएलटी की सभी पीठें 23 मार्च से 31 मार्च तक न्यायिक कार्यों के लिए बंद रहेंगी। अधिसूचना के मुताबिक तत्काल सुनवाई वाले अपरिहार्य मामलों की सुनवाई एनसीएलटी चेन्नई करेगी। इसके लिए आवेदन ईमेल के माध्यम से एनसीएलटी चेन्नई की रजिस्ट्री को भेजा जाना चाहिए। एनसीएलटी चेन्नई में कार्यवाहक अध्यक्ष एकल पीठ के तहत बुधवार और शुक्रवार को ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे।

एनसीएलटी ने कहा कि उसकी चेन्नई शाखा पर भी वकील और पक्षकार मौखिक दलीलें नहीं देंगे, क्योंकि चेन्नई पीठ पर लोगों के आने-जाने को हतोत्सहित किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक वकीलों को अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए एनसीएलटी चेन्नई को मेल करना चाहिए। वहीं दिवाला प्रक्रिया के तहत आने वाले मामलों को 'तत्काल सुनवाई' वाले मामलों के तौर पर नहीं देखा जाएगा। एक बार एनसीएलटी की पीठों के सुचारू रूप से काम करना शुरू करने के बाद इन मामलों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एनसीएलटी की प्रधान पीठ दिल्ली में है। इसकी और 14 पीठें अमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में हैं।

यूएई ने हवाई उड़ानों को पूरी तरह रोका, प्रभावित होंगी वैश्विक विमानन सेवाएं

दुबई, 23 मार्च (एपी)।

संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को घोषणा की कि वह कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहां सभी यात्री विमानन सेवाएं दो सप्ताह के लिए निलंबित कर रहा है। इसमें वहां से हो कर आने जाने वाली दूसरे देशों की उड़ानें भी शामिल होंगी।

यूएई ने गाजा पट्टी और सीरिया में कोरोना वायरस के पहले मामलों की रिपोर्ट के एक दिन बाद ये फैसला किया। कोरोना वायरस के इन नए मामलों से युद्ध ग्रस्त लीबिया और यमन में जैसे देशों में भी इस वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है। दुबई का हवाई अड्डा एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया के साथ पश्चिमी देशों के वायुमार्ग संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। वहां से पारगमन उड़ानों को स्थगित करने से दुनिया भर में हवाई यातायात प्रभावित होगा।

Continues Page

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 READ WITH REGULATIONS 13(4), 14(3) AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 (SEBI (SAST) REGULATIONS), AS AMENDED, TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

ANGEL FIBERS LIMITED

The Corporate Identification Number of our Company is L17200GJ2014PLC078738

HAVING ITS REGISRED OFFICE AT SHIVALIK-2, SHOP NO.6, NR. PUSHKARDHAM TEMPLE, UNIVERSITY ROAD, RAJKOT-360005, TEL: +91-7622022349 / 9426785557; WEBSITE: www.angelfibers.com; EMAIL ID: info@angelfibers.com/ cs@angelfibers.com

7) In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, except a condition precedent in this DPS and SPA or approvals; in case if a Corporate Debtor (Target Company) is accepted into the CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) by National Company Law Tribunal ("NCLT") – Ahmedabad Bench, the situation will be outside the reasonable control of Acquirers and consequently Acquirers will withdraw this open offer under Regulation 23 of SEBI (SAST) Regulations and will rescind the SPA dated March 17, 2020 and sellers will immediately refund the amount received from the Acquirers towards sale shares and in the event that the approvals which may become applicable prior to completion of the Offer are not received in terms of paragraph VI - (i), (ii) and (viii), the Acquirers shall have the right to withdraw the Offer. In the event of such a withdrawal of the Offer, the Acquirers (through the Manager to the Offer) shall, within 2 (Two) Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations, in the same newspapers in which the DPS has been published and such public announcement will also be sent to the Stock Exchanges, SEBI and the Target Company at its registered office.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Particulars	Date	Day
Date of the Public Announcement (PA)	March 17, 2020	Tuesday
Date of publishing the Detailed Public Statement (DPS)	March 24, 2020	Tuesday
Last date for filing of Draft Letter of Offer with SEBI	April 1, 2020	Wednesday
Last date of a competing offer	April 21, 2020	Tuesday
Last date for receipt of SEBI observations on the DLOF (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	April 28, 2020	Tuesday
Identified Date*	April 30, 2020	Thursday
Last date by which the Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders (Except the Acquirers and the Selling Shareholders) as on the identified date	May 11, 2020	Monday
Last date by which the recommendation of the committee of Independent Directors of the Target Company will be given and published	May 14, 2020	Thursday
Last Date for upward revision of the Offer Price/number of shares	May 14, 2020	Thursday
Date of Public Announcement for Opening the Offer in the newspapers in which the DPS was published	May 15, 2020	Friday
Date of Commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	May 18, 2020	Monday
Date of Closing of the Tendering Period (Offer Closing Date)	June 1, 2020	Monday
Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders	June 15, 2020	Monday

* Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Draft Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer, PAC and Sellers) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECIEPT OF (LETTER OF OFFER) LOF

1) This open offer is made to all the equity shares holders, whether holding equity shares in physical or dematerialised form, registered or unregistered, whether they have received Letter of Offer to tender their shares or who have acquired equity shares after identified date i.e. the date falling on the 10 Working Day prior to the commencement of Tendering Period, of the Target Company other than parties to SPA executed on March 17, 202, are eligible to participate in this open offer at any time during the tendering period.
2) The Offer will be implemented by the Acquirers through the Stock Exchange Mechanism made available by the BSE in the form of a separate window ("Acquisition Window") the Acquirers will acquire the Offer Shares in accordance with the 'tender offer method' prescribed by SEBI, in accordance with SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended by SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 ("Acquisition Window Circulars").
3) BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
4) The Acquirer has appointed buying broker for the open offer through whom the purchase and the settlement of the Open Offer shall be made during the tendering period. The contact details of the buying brokers are as mentioned below:

Swastika Investmart Limited (SEBI Registration no.INZ000192732) (CIN:L65910MH1992PLC067052)
Address: Flat no. 18, 2nd Floor, North Wing, Madhaveshwar Co-Op-Hsg Society Ltd, Madhav Nagar, 11/12, S.V. Road, Andheri West, Mumbai - 400058; Tel: 0731-6644223; Fax: 0731-6644300; Email: lokesh.s@swastika.co.in /mohit.goyal@swastika.co.in; Investor grievances: dp@swastika.co.in; website: www.swastika.co.in; Contact Person: Mr. Lokesh Soni

The Facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to open offer shall be available through stock exchange in the form of a separate window ("Acquisition Window")
5) All the shareholders who desires to tender their shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.
6) Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form
i) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019.
ii) Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE OFFER SHARES IN THIS OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION
1) The Acquirers accept full responsibility for the information contained in the PA, and this DPS (other than such information regarding the Target Company as has been obtained from public sources, which has not been independently verified by the Acquirers and the Manager to the Offer) and shall be jointly and severally responsible for the fulfilment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or DPS or Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been/will be compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The Acquirers have not independently verified such information and do not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or the Letter of Offer pertaining to the Target Company.
2) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers have appointed Beeline Broking Limited as the Manager to the Offer.
3) The Acquirers have appointed Bigshare Services Private Limited (SEBI Registration Number: INR000001385) as the Registrar to the Offer having office at 1st, Floor, Bharat Tin works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400059. Tel. No.: +91-022 62638200; Fax: +91 22 – 62638280; E-Mail ID: openoffer@bigshareonline.com; Investor Grievance E-Mail: investor@bigshareonline.com; Website: www.bigshareonline.com; Contact Person: Mr. Arvind Tandel.
4) In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.
5) In this DPS, all references to "Rs.", "`", or "INR" are references to the Indian Rupee (s)
6) The Public Announcement and this DPS would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

ISSUED BY MANAGER TO THE OPEN OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. JITENDRA G. RAIYANI AND MR. RAMESHKUMAR JIVRAJBHAI RANIPA

BEELINE
BEELINE BROKING LIMITED
CIN: U51900GJ2014PLC080598
SEBI Reg. No.: INM000012546
Registered Office Address:- Office No. 1 To 3,Vishwa Complex, First Floor, Opp. Jain Derasar, Navrangpura, Ahmedabad-380 009.
Merchant Banking Division: 807, Phoenix Tower, Opp. New Girish Cold Drinks, Near Vijay Cross Road, Navarangpura, Ahmedabad-380009, Tel. No.: +91 79 48405357/635, E-Mail ID: mb@beelinemb.com, Website: www.beelinebroking.com, Contact Person: Mrs. Khushbu Shah

Place: Ahmedabad
Date: March 23, 2020 (Monday)

Garima Advertising

ओलंपिक के स्थगन पर जापान की भी हामी

कनाडा ने नाम वापस लिया, चार सप्ताह में फैसला लेगी आइओसी

तोक्यो , 23 मार्च (एएफपी)।

कनाडा ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण तोक्यो ओलंपिक से नाम वापिस ले लिया। वहीं जापान के प्रधानमंत्री ने सोमवार को स्वीकार किया कि खेलों में विलंब संभव है। उधर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेलों पर चार सप्ताह के भीतर फैसला लेने की घोषणा की है।

आस्ट्रेलिया ने भी अपने खिलाड़ियों से तोक्यो ओलंपिक 2021 की तैयारी करने के लिए कहा है। ऐसी पूरी संभावना है कि 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होने वाले ये खेल अब स्थगित कर दिए जाएंगे।

जापान और ओलंपिक अधिकारी लगातार कहते आए हैं कि खेल निर्धारित समय पर होंगे। लेकिन दुनिया भर से खेल महासंघों और खिलाड़ियों के विरोध के बाद उनका रुख बदला है। प्रधानमत्री शिंजो आबे ने संसद में कहा कि जापान खेलों को मुकम्मिल कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने हालांकि कहा कि यदि वह मुश्किल होता है तो खिलाड़ियों को प्राथमिकता पर रखते हुए खेलों को स्थगित करने का फैसला लिया जाएगा।

वहीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रविवार को कहा कि दुनिया भर में कोविड 19 के प्रकोप के चलते ओलंपिक स्थगित करना एक विकल्प है लेकिन तोक्यो ओलंपिक रद्द करना उसके एजंडे में नहीं है। आइओसी अध्यक्ष थामस बाक ने कहा कि इस पर फैसला चार सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को एक खुले खत में लिखा कि इंसान सबसे ऊपर है, खेलों के आयोजन से भी। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी संकेत दिए हैं कि हम अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तोक्यो ओलंपिक 2020 की अंतिम तिथि तय करना अभी भी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि आइओसी संबंधित पक्षों और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में है। बाक ने कहा कि हमें यकीन है कि अगले चार सप्ताह में कोई हल निकल आएगा। खेलों को रद्द करना किसी समस्या का समाधान नहीं है और इससे किसी का भला नहीं होगा। लिहाजा यह हमारे एजंडे में नहीं है।

ब्राजील और स्लोवेनिया की ओलंपिक समिति ने भी कहा है कि इन हालात में वे अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए नहीं भेज सकते।

आस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति ने सोमवार को बोर्ड की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जुलाई में खेलों का हो पाना संभव नहीं है। आस्ट्रेलिया के दल प्रमुख इयान चेस्टरमैन ने कहा कि यह साफ है कि खेल जुलाई में नहीं होने जा रहे। हमारे खिलाड़ियों का तैयारी और अभ्यास को लेकर रवैया सकारात्मक रहा है लेकिन तनाव और अनिश्चितता उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण है।

"खिलाड़ियों को अपनी और परिवार की सेहत को लेकर प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आस्ट्रेलियाई टीम देश विदेश में मौजूदा हालात में एकत्र नहीं हो सकती और अब उसे अगले साल ओलंपिक को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए।
–मैट कैरोल, एओसी के मुख्य कार्यकारी

सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता : कनाडा

कनाडा की ओलंपिक समिति ने कहा कि बात सिर्फ खिलाड़ियों की सेहत की नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की है। कोविड 19 के चलते हमारे खिलाड़ियों, उनके परिवारों और कनाडाई लोगों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए उनका तैयारी जारी रखना सही नहीं होगा।

इससे पहले अमेरिका और फ्रांस के तैराकी महासंघ, अमेरिका और स्पेन के एथलेटिक्स महासंघ, नार्वे ओलंपिक समिति, फ्रांस एथलेटिक्स और जाने माने मौजूदा और पूर्व खिलाड़ी कह चुके हैं कि इन हालात में ओलंपिक नहीं होने चाहिए। चार बार के ओलंपिक चैंपियन फर्राटा और लंबी कूद के एथलीट कार्ल लुईस ने कहा कि वह खेलों को स्थगित करने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में खिलाड़ियों के लिए तैयारी कर पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि खेल दो साल बाद कराए जाने चाहिए। बेजिंग में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के साथ। इसे ओलंपिक वर्ष बना देना चाहिए।

टीम की तैयारियों पर प्रभाव नहीं : रीड

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण उनका अभ्यास कार्यक्रम अन्य देशों की तरह प्रभावित नहीं हुआ है। जहां तक तोक्यो ओलंपिक की तैयारियों का सवाल है तो आठ बार का चैंपियन भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

भारत के लिए यह निश्चित तौर पर निराशाजनक है कि कोविड-19 महामारी के कारण उसकी टीम एफआइएच प्रो लीग मैचों को खेलने के लिए जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा नहीं कर पाई लेकिन इस मुश्किल घड़ी में रीड इसके सकारात्मक पक्षों पर गौर करते हैं। प्रो हॉकी लीग को अभी स्थगित कर दिया गया है।

उन्होंने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे खतरे के बावजूद भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और हॉकी इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। रीड ने कहा कि संबंधित विभागों ने जल्दी से कार्रवाई की और साई केंद्र को अलग थलग कर दिया। हम अलग थलग जरूर हैं लेकिन हम अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। चीजें बड़ी सहजता से हो रही हैं। हम वायरस पर नियंत्रण नहीं कर सकते लेकिन हम अपने वातावरण पर नियंत्रण कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चीजें हर दिन बदल रही हैं लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम लगातार अभ्यास जारी रखे हुए हैं जबकि अन्य देशों के साथ ऐसा नहीं है। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ हैं और पर्थ में अभ्यास कर रहे हैं। अर्जेंटीना का केंद्रीकृत कार्यक्रम है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अभी हमारी तरह अभ्यास कर पा रहे हैं। हमारी पूरी टीम साथ में है।

रीड ने कहा कि यहां हमारे साथ शिविर में 32 खिलाड़ी हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धी हॉकी खेल सकते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय मानसिकता के साथ आपस में मैच खेल रहे हैं। हम हर दिन भिन्न शैली की हॉकी खेल रहे हैं। एक दिन हम जर्मनी जैसी तो दूसरे दिन आस्ट्रेलिया की तरह खेलने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत को 25 और 26 अप्रैल को होने वाले मैचों के लिए जर्मनी और दो और तीन मई को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए लंदन जाना था लेकिन अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रो लीग को 17 मई तक स्थगित कर दिया है जिससे ये मैच रद्द हो गए हैं।

रीड ने कहा कि हम अब भी लगातार वह कर रहे हैं जो अपनी तरफ से कर सकते हैं मतलब बंद और सुरक्षित माहौल में हॉकी खेलना। इस गंभीर संकट के मामले में हम हॉकी इंडिया और भारत सरकार की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें ओलंपिक तैयारियों के अपने कार्यक्रम को फिर से तैयार करना होगा।'' रीड ने कहा कि महामारी को देखते हुए तोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने की संभावना है लेकिन उम्मीद जताई कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि ओलंपिक होने चाहिए या उन्हें स्थगित कर देना चाहिए। यह फैसला आइओसी और तोक्यो खेल के आयोजकों को करना है।

अलग-अलग शैली की हॉकी खेलने का कर रहे अभ्यास

रीड ने कहा कि यहां हमारे साथ शिविर में 32 खिलाड़ी हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धी हॉकी खेल सकते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय मानसिकता के साथ आपस में मैच खेल रहे हैं। हम हर दिन भिन्न शैली की हॉकी खेल रहे हैं। एक दिन हम जर्मनी जैसी तो दूसरे दिन आस्ट्रेलिया की तरह खेलने का प्रयास कर रहे हैं।

सेबेस्टियन को ने कहा, जुलाई में संभव नहीं ओलंपिक

लंदन, 23 मार्च (एपी)।

अंतरराष्ट्रीय ट्रैक और फील्ड महासंघ के प्रमुख सेबेस्टियन को ने आइओसी अध्यक्ष थामस बाक को पत्र लिखकर कहा है कि जुलाई में ओलंपिक कराना ना तो मुनासिब है और ना ही उचित।

कू ने रविवार को ट्रैक और फील्ड के दुनिया भर के अधिकारियों से बातचीत के बाद यह पत्र भेजा। कू ने कहा कि अधिकांश देशों ने अपने नागरिकों को घरों के भीतर रहने के निर्देश दिए हैं लिहाजा ऐसे में एथलीटों का अभ्यास करना ठीक नहीं होगा।

लैंगर के मार्गदर्शन और पेन के नेतृत्व ने दिलाई आस्ट्रेलिया को सफलता : श्रीराम

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और आस्ट्रेलियाई टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम ने कहा कि केपटाउन में गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के बाद कोच जस्टिन लैंगर के मार्गदर्शन और टिम पेन की अद्भुत कप्तानी के कारण एशेज शृंखला में सफलता मिली।

इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी वेब सीरीज द्यद टेस्टद्ध के दो एपीसोड में श्रीराम की भूमिका दिखाई गई है। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसमें सब कुछ वास्तविक है कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे दोबारा फिल्माया गया हो। भारत के लिए आठ एकदिवसीय खेलने वाला यह पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ के बाद आस्ट्रेलियाई क्रिकेट की बदलाव की मुश्किल स्थिति का हिस्सा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को निलंबित करने के साथ टीम के बर्ताव को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। टीम को हालांकि लैंगर के मार्गदर्शन और पेन के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता का काफी फायदा हुआ। श्रीराम ने कहा कि आप जो देख रहे हैं (वेबसीरीज) वह पूरी तरह से वास्तविक है। किसी भी चीज को दोबारा नहीं फिल्माया गया है। सभी विजुवल वास्तविक हैं। इस वेबसीरीज का मुख्य आकर्षण लैंगर के चेहरे की भावभंगिमा, कप्तान के तौर पर पेन की क्षमता का निखरना और स्टीवन स्मिथ व डेविड वार्नर का टीम से फिर से जुड़ना है।

आस्ट्रेलिया ने नेशनल रग्बी लीग निलंबित किया

सिडनी, 23 मार्च (एपी)।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण आस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले नेशनल रग्बी लीग (एनआरएल) के आयोजन को सोमवार को टाल दिया गया।

आस्ट्रेलिया की 16 टीमों की इस घरेलू लीग को वित्तीय कारणों से पहले टलीविजन के लिए जारी रखने का फैसला किया गया था। मैचों का आयोजन एक ही स्टेडियम में बिना दर्शकों के होना था। लेकिन सरकार की ओर से जारी चिकित्सा परामर्श के बाद इसे निलंबित कर दिया गया। आस्ट्रेलियाई रग्बी लीग आयोग के प्रमुख, पीटर ने इस निलंबन को विपत्तिपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों की नवीनतम चिकित्सा सलाह से यह साफ हो गया कि एनआरएल का निलंबन आवश्यक था।

खाली समय में फिल्में देख रहे हैं भालाफेंक एथलीट नीरज

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

स्टार भालाफेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह एनआइएस पटियाला में अलग रहने के दौरान जिम में वर्कआउट करने के अलावा फिल्में देखने में व्यस्त हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देश के लोगों से गरीबों की खातिर जिम्मेदारी से व्यवहार करने का आग्रह किया।

तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके नीरज को भारतीय खेल प्राधिकरण ने 14 दिन अलग रहने की सलाह दी है क्योंकि वह तुर्की में ट्रेनिंग करके स्वदेश लौटे हैं। चोपड़ा ने कहा कि मैं बिलकुल भी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं। इस होस्टल में विदेश से अभ्यास करके लौटे खिलाड़ी ही ठहरे हैं। उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है लेकिन हमें वर्कआउट के लिए एक पुराना जिम दिया गया है ताकि हम फिट रहें।

उन्होंने कहा कि मैं इस खाली समय का इस्तेमाल संगीत सुनने, परिवार वालों और दोस्तों से फोन पर बात करके और थोड़ा बहुत पढ़ने में कर रहा हूं। कभी कभार अपने लैपटॉप पर फिल्में भी देख रहा हूं। चोपड़ा ने अपने साथी भारतीयों से खतरनाक कोरोना वायरस को गंभीरता से लेने और अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि लोगों को इस महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें यह खुद ही करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री का जनता कर्फ्यू। यूरोप में देश बहुत छोटे होते हैं और उनके पास बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हैं लेकिन वे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। नीरज ने कहा कि हमारा देश काफी बड़ा है जिसमें काफी संख्या में गरीब लोग हैं। अगर हमारा देश इस महामारी के तीसरे चरण में पहुंच जाएगा तो बहुत ही भयावह नतीजे होंगे।

आइसीसी के ज्यादातर कर्मचारी घर से करेंगे काम

दुबई, 23 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ (आइसीसी) ने कोरोना विषाणु के बढ़ते संक्रमण के कारण अपने ज्यादातर कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की नीति बनाई है।

अध्यक्ष शशांक मनोहर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी के अलावा आइसीसी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिल कर इस विषाणु के संक्रमण के कारण प्रभावित होने वाले क्रिकेट कैलेंडर को लेकर वीडियो कांफ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। इस वैश्विक इकाई ने हालांकि इस योजना के लिए कोई समय नहीं तय किया है। आइसीसी एक प्रवक्ता ने एजंसी से कहा, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह आइसीसी भी अधिकारियों के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और अब हमारे ज्यादातर कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता कर्मचारियों के काम को प्रभावित किए बिना स्वास्थ्य की रक्षा करना है। हमारी टीम के पास घर से काम करने की क्षमता है जिससे हम अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यापक समुदायों को सुरक्षित रखते हुए पूरी तरह से कार्य कर सकते हैं। पुरुषों का टी 20 विश्व कप अक्तूबर-नवंबर में आस्ट्रेलिया में खेला जाना है, लेकिन वहां की सरकार कोरोना विषाणु के संक्रमण से निपटने में लगी है जिससे इसके आयोजन पर संदेह उत्पन्न हो गया है।

एएफआइ ने कोरोना के प्रसार के कारण फेड कप के आयोजन को टाला

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार के कारण अगले महीने प्रस्तावित फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप को सोमवार को आधिकारिक तौर स्थगित करने की घोषणा की। एजंसी ने गुरुवार को ही इसके निलंबित होने के साथ सत्र के पहले इंडियन ग्रां प्री को रद्द खबर दी थी लेकिन एएफआइ ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की।

एएफआइ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, एएफआइ की प्रतियोगिता समिति ने सोमवार को कोरोनो वायरस महामारी के प्रकोप के कारण 24वें फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 को स्थगित करने का निर्णय किया। फेडरेशन कप राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप का आयोजन 10 से 13 अप्रैल तक एनआइएस पटियाला में होना था। एएफआइ के अध्यक्ष आदिल सुमरिवाला ने कहा, देश और दुनिया भर में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, किसी भी प्रतियोगिता की मेजबानी करना मुश्किल है। सभी के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और जब चीजें बेहतर होने लगेंगी तो हम फिर से प्रतियोगिताओं को शुरू कर सकते हैं।

विश्राम के समय में आत्ममंथन करें खिलाड़ी : पोलार्ड

पोर्ट ऑफ स्पेन, 23 मार्च (भाषा)।

वेस्ट इंडीज की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान कीरेन पोलार्ड का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण मिला विश्राम करिअर को लेकर 'आत्ममंथन' करने का अच्छा समय है। खिलाड़ियों को इसका उपयोग 'मानसिक और शारीरिक रूप से फिट' रहने के लिए करना चाहिए।

कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में 13000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 300,000 से अधिक लोग संक्रमित है। इसके कारण दुनिया भर में खेल गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं।

पोलार्ड ने कहा कि यह अपने खेल पर ध्यान देने का अच्छा समय है। उन्होंने जमैका ग्लीनर से कहा कि यह आत्ममंथन के लिए अच्छा समय है। यह खुद को समझने का अच्छा मौका है। यह जानने के लिए यह अच्छा वक्त है कि अपने करिअर में एक व्यक्ति के तौर पर आप कहां हो और आगे आप क्या हासिल करना चाहते हो।

पोलार्ड दाईं जांघ में चोट के कारण पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने कहा कि यह समय अपनी फिटनेस पर काम करने और आगामी सत्र के लिए तैयार रहने का है।

पोलार्ड ने कहा कि आपको इस समय का सदुपयोग खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए करना चाहिए क्योंकि जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो हो सकता है कि तब तैयारियों के लिए अधिक समय न मिले।

संगकारा ने खुद को अलग किया

कोलंबो, 23 मार्च (भाषा)।

श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने कहा है कि उन्होंने फिलहाल खुद को अलग कर लिया है। कोविड 19 के चलते श्रीलंका सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि यूरोप से लौटने वाले नागरिक खुद को अलग कर लें। संगकारा ने न्यूज फर्स्ट से कहा कि मुझमें कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं लेकिन मैं सरकार के निर्देशों का पालन कर रहा हूं।

मैकुलम ने कहा, टेलर से मतभेद न्यूजीलैंड क्रिकेट पर काला धब्बा

वेलिंगटन, 23 मार्च (भाषा)।

रोस टेलर के साथ अपने मतभेदों को 'न्यूजीलैंड क्रिकेट पर काला धब्बा' करार देते हुए पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि ऐसा इन दोनों के बीच 2011 में कप्तानी की होड़ के कारण हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि वे अब भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं लेकिन अच्छे दोस्त नहीं हैं।

अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय टेलर ने डेनियल विटोरी के विश्व कप 2011 के बाद कप्तानी छोड़ने के बाद यह पद संभाला था। मैकुलम ने 'स्काई स्पोर्ट्स पोडकास्ट' से कहा कि इससे रोस के साथ मेरी दोस्ती और रिश्तों पर दबाव बढ़ा। मैंने आयु वर्ग से लेकर ही रोस के साथ काफी क्रिकेट खेली थी। मैं अंडर-19 टीम का कप्तान था और टेलर मेरे साथ उप कप्तान थे। हम दोनों के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते रहे।

श्रीलंका के खिलाफ 2012 में टैस्ट शृंखला के बाद यह बात सामने आई कि टेलर के तत्कालीन कोच माइक हेसन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। इसके बाद न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और भारत में हार का सामना करना पड़ा।

मैकुलम ने कहा कि हमें इस पद के लिए साक्षात्कार के लिए जाना था। एक पैनल के सामने न्यूजीलैंड के भविष्य को लेकर खाका पेश करना था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि हम क्या रहे थे। अगर मेरे पास समय होता तो मैं कहता, नहीं मैं इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता हूं आप रोस को कप्तान नियुक्त कर दीजिए और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है।

मैकुलम ने कहा कि यह न्यूजीलैंड क्रिकेट पर काला धब्बा था और इससे रोस और मुझ पर दबाव बना। इसके बाद मुझे रोस की जगह कप्तान नियुक्त किया गया। मैकुलम ने कहा कि वह टेलर अब भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं लेकिन उनके मन में न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के लिए भरपूर सम्मान है।

उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। मेरे मन में उनके लिए बहुत अधिक सम्मान है। उनका प्यारा परिवार और शानदार करिअर है। उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। टेलर को टैस्ट कप्तान बने रहने का विकल्प दिया गया था जबकि मैकुलम सीमित ओवरों की टीम की कमान संभालते। टेलर ने हालांकि यह पेशकश ठुकरा दी थी।

ओलंपिक रद्द हुए तो सारे प्रयास बेकार : मीराबाई

नई दिल्ली, 23 मार्च (भाषा)।

भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू आजकल सिर्फ एक प्रार्थना करने में लगी हुई हैं कि कोविड-19 महामारी के बावजूद तोक्यो ओलंपिक कार्यक्रम के अनुसार आयोजित हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओलंपिक पदक जीतने की उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी।

पिछले चार वर्षों से मीराबाई ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए काफी मेहनत की है। लेकिन इस समय सिर्फ वह यही बात सोच सकती हैं कि 24 जुलाई से नौ अगस्त तक होने वाले तोक्यो खेलों का क्या होगा जिन्हें कोविड-19 के कारण स्थगित किया जा सकता है।

भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 324 हो गई है। दुनिया भर में इससे मरने वालों की संख्या 13,000 से ऊपर पहुंच गई है जिसमें इटली सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

मीराबाई ने कहा कि अगर ओलंपिक नहीं हुए तो हमारे पिछले चार वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ये रद्द हों, मैं रोज भगवान से प्रार्थना कर रही हूं। मैं बस खुद के लिए एक ओलंपिक पदक चाहती हूं।

मीराबाई का एकमात्र ओलंपिक अभियान निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ था क्योंकि वह क्लीन एवं जर्क वर्ग में अपने तीन प्रयासों में वजन उठाने में असफल रही थीं। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के खेलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ज्यादातर टूर्नामेंट या तो रद्द हो गए हैं या फिर उन्हें स्थगित करना पड़ा है।

तोक्यो खेलों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने तक स्थगित करने की मांग की जा रही है। कई खिलाड़ियों ने ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ट्रेनिंग जारी रखने की सलाह की आलोचना भी की है जबकि पूरी दुनिया में सरकार सामाजिक दूरी बनाने की बात कर रही हैं।

हालांकि दो बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदकधारी मीराबाई चाहती हैं कि खेलों का आयोजन योजना के अनुसार ही हों। वह पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पदक जीतने का दबाव अब बदल गया है। बस ओलंपिक खेलों को रद्द नहीं होना चाहिए। मैं बस यही सोच रही हूं। बाकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए मैं इस समय इतनी चिंतित नहीं हूं।

मीराबाई ने कहा कि अगर ये स्थगित हो गए तो भी काफी समस्या होगी क्योंकि हमारे लिए इतने थोड़े समय में ही काफी कुछ बदल जाएगा।

भारोत्तोलन का ओलंपिक क्वालीफाइंग कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आइडब्लूएफ) ने पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप को रद्द कर दिया जिसमें एशियाई क्वालीफायर भी शामिल है।

मीराबाई का एकमात्र ओलंपिक अभियान निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ था क्योंकि वह क्लीन एवं जर्क वर्ग में अपने तीन प्रयासों में वजन उठाने में असफल रही थीं।

इसके बाद मीराबाई ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए काफी मेहनत की है और कई टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 127, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com